ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

dhyeyaias.com

यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024

(करंट अफेयर्स संकलन)

अर्थव्यवस्था

(मुख्य परीक्षा के लिए पूरक अध्ययन सामग्री)

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

ALIGANJ

UPSC (IAS) Foundation Batch

9th June 2025

Timing: 08:30 AM

UP - PCS Foundation Batch

11th June 2025

Timing: 09:00 AM | 06:00 PM

FOR
ONLINE COURSES

IAS- 9506256789, PCS - 7619903300

A-12 Sector-J, Aliganj, Lucknow

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए एक आवश्यक साधन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी तंत्र है। यह 813.5 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्यान्न प्रदान करता है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण कार्यक्रम बन जाता है। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि भूख और कुपोषण जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके।

ऐतिहासिक संदर्भ और विकास:

- पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब खाद्य आपूर्ति में कमी थी और सरकार ने खाद्य नियंत्रण तंत्र लागू किया था। 1943 के बंगाल के अकाल ने औपचारिक खाद्य वितरण प्रणाली की आवश्यकता को उजागर किया। 1992 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आरपीडीएस) को शुरू किया गया, जिसने दूरदराज के क्षेत्रों में खाद्य वितरण को प्राथमिकता दी।
- इसके बाद 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) लागू की गई, जो विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को लक्षित करती थी। 2013 में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ने खाद्य कवरेज को और विस्तार दिया और इसे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए कानूनी अधिकार बना दिया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उद्देश्य:

पीडीएस के प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- **किफायती मूल्य पर आवश्यक खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराना:** इसका मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्गों की खाद्य असुरक्षा को कम करना है।
- **कीमतों में स्थिरता:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने में मदद करती है, जिससे मूल्य स्थिरता सुनिश्चित होती है।
- **जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना:** पीडीएस खाद्यान्न की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजार में कालाबाजारी को रोकता है।
- **भूख और कुपोषण को समाप्त करना:** इसका लक्ष्य विशेष रूप से वंचित समुदायों में खाद्य असुरक्षा से निपटना है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्यकरण:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली चार प्रमुख चरणों में संचालित होती है:

- **खाद्यान्न की खरीद:** सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खाद्यान्न खरीदती है। यह प्रक्रिया बाजार की कीमतों को स्थिर रखने और खाद्य आपूर्ति की निरंतरता सुनिश्चित करने में मदद करती है, खासकर आपातकालीन स्थितियों में। हालांकि, खुली खरीद नीति के तहत अधिशेष स्टॉक के कारण कभी-कभी मूल्य विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं।
- **खाद्यान्न का भंडारण:** खरीद के बाद, खाद्यान्न को एफसीआई द्वारा गोदामों में संग्रहीत किया जाता है। भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन अपर्याप्त क्षमता और अनुचित भंडारण विधियों जैसी चुनौतियां खाद्यान्न के खराब होने या बर्बाद होने का कारण बन जाती हैं। अकुशल भंडारण प्रबंधन के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण नुकसान हो जाता है।
- **खाद्यान्न का आवंटन:** केंद्र सरकार राज्यों को खाद्यान्न आवंटित करती है, जो फिर उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को वितरित करते हैं। आवंटन राज्य सरकारों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों की संख्या पर निर्भर करता है। बीपीएल परिवारों की गलत पहचान जैसे मुद्दे खाद्य वितरण में अक्षमता पैदा करते हैं।
- **परिवहन और वितरण:** एफसीआई अनाज के अंतरराज्यीय परिवहन को संभालता है, जबकि राज्य सरकारें एफपीएस के माध्यम से उपभोक्ताओं तक अनाज पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। हालांकि, परिवहन के दौरान अनाज का रिसाव और डायवर्जन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे प्रणाली की दक्षता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

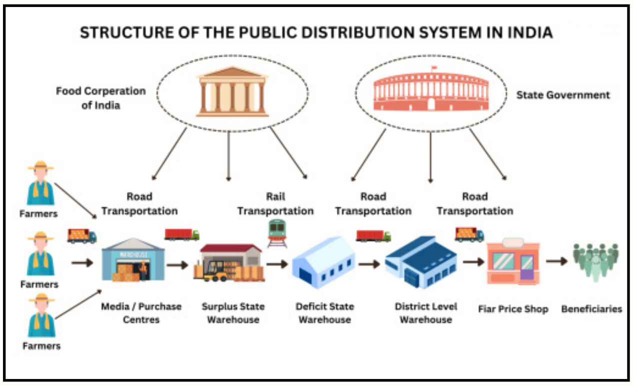

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व:

- टीपीडीएस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो। यह लक्षित दृष्टिकोण समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सब्सिडी देने में मदद करता है। 2013 के

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) ने भारत की लगभग दो-तिहाई आबादी तक पीडीएस के कवरेज का विस्तार किया, जिससे उनके लिए भोजन एक कानूनी अधिकार बन गया। एनएफएसए के तहत, 75 % ग्रामीण और 50% शहरी आबादी सब्सिडी वाले भोजन के लिए पात्र हैं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समक्ष चुनौतियाँ:

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- **रिसाव और भ्रष्टाचार:** पीडीएस में रिसाव एक गंभीर समस्या है। गरीबों के लिए आवंटित खाद्यान्न दूसरे के हाथ में चला जाता है या खुले बाजार में बेच दिया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, आवंटित अनाज का लगभग 28% हिस्सा इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे 69,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान होता है। फर्जी राशन कार्ड सहित वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है।
- **लाभार्थी पहचान में अकुशलता:** सब्सिडी वाले खाद्यान्न के लिए पात्र लाभार्थियों की पहचान में खामियाँ हैं। वर्गीकरण में त्रुटियाँ और बीपीएल पहचान में धोखाधड़ी के कारण अक्षमताएँ उत्पन्न हुई हैं। कुछ गैर-जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिला है, जबकि जरूरतमंद परिवारों तक अनाज नहीं पहुंचाता है।
- **अपर्याप्त भंडारण और बुनियादी ढांचा:** एफसीआई की भंडारण क्षमता अपर्याप्त है, जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न खराब हो जाता है। इसके अतिरिक्त, परिवहन बुनियादी ढांचा भी हमेशा विश्वसनीय नहीं होता है, जिससे अनाज की हानि और डायवर्सन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:** पीडीएस की प्रभावशीलता राज्यों के हिसाब से अलग-अलग है। बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने अपनी व्यवस्थाओं में सुधार किया है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को कम डिजिटलीकरण और अन्य बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार:

- **आधार लिंकिंग और डिजिटलीकरण:** पीडीएस को आधार से जोड़ने से धोखाधड़ी को कम करने में मदद मिली है और यह सुनिश्चित किया गया है कि खाद्यान्न सही लाभार्थियों तक पहुंचे। अभिलेखों का डिजिटलीकरण पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करता है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** डीबीटी योजना के तहत लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण किया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी बाजार से खाद्यान्न खरीदने की स्वतंत्रता मिलती है। यह प्रणाली लीकेज और भ्रष्टाचार को कम करने में मदद करती है।
- **एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड:** इस पहल से लाभार्थियों को देश भर में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा मिलती है, जिससे पोर्टेबिलिटी में वृद्धि होती है और प्रवासी श्रमिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **उचित मूल्य की दुकानों का कम्प्यूटरीकरण:** उचित मूल्य की दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल (PoS) मशीनों की शुरुआत से अनाज वितरण स्वचालित हो गया है और रिकॉर्ड-कीपिंग में सुधार हुआ है। इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और गलतियाँ कम हुई हैं।
- **खाद्य कूपन प्रणाली:** कुछ राज्यों में खाद्य कूपन की शुरुआत की गई है, जिनका उपयोग बुनियादी अनाज के बजाय विभिन्न प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए किया जा सकता है। यह मॉडल लाभार्थियों के लिए अधिक विविध और पौष्टिक आहार सुनिश्चित करता है।

आरबीआई ने एफपीआई को एफडीआई में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए रूपरेखा पेश की

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में बदलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक परिचालन ढांचा प्रस्तुत किया है। यह तब लागू होगा जब एफपीआई भारतीय कंपनियों में 10% की निधरित सीमा को पार कर जाता है। यह ढांचा 30 मई 2024 से प्रभावी होगा और यह सेबी के हालिया अद्यतन के अनुरूप है, जो 10% से अधिक एफपीआई होल्डिंग्स को पुनर्वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

भारत में एफपीआई निवेश सीमाएँ:

- मौजूदा नियमों के अनुसार, एफपीआई को किसी कंपनी की कुल इक्विटी पूंजी का अधिकतम 10% हिस्सा रखने की अनुमति है।
- यदि एफपीआई इस सीमा को पार कर जाता है, तो उसके पास दो विकल्प होते हैं:
  - **विनिवेश:** 10% की सीमा के भीतर रहने के लिए अतिरिक्त शेयरों को बेचना।
  - **पुनर्वर्गीकरण:** अतिरिक्त हिस्सेदारी को एफडीआई में बदलना, जिसके लिए भारत सरकार और निवेशित कंपनी से अनुमोदन आवश्यक है।

आरबीआई के नए ढांचे की मुख्य विशेषताएँ:

- **पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया:**
  - यदि एफपीआई की हिस्सेदारी 10% से अधिक है, तो एफपीआई को अतिरिक्त शेयरों को एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत करने का विकल्प मिलेगा।

» पुनर्वर्गीकृत हिस्सेदारी को एफडीआई माना जाएगा, भले ही बाद में हिस्सेदारी 10% से कम हो जाए।

- **पुनर्वर्गीकरण की समयसीमा:**
  » पुनर्वर्गीकरण 10% की सीमा का उल्लंघन होने की तिथि से पांच कारोबारी दिनों के भीतर पूरा करना होगा।
  » इससे एफपीआई के लिए समय पर अनुपालन और स्पष्टता सुनिश्चित होती है।
- **नियामक स्वीकृतियाँ:**
  » पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया के लिए भारत सरकार और निवेशित कंपनी दोनों से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होगा।
  » पुनर्वर्गीकृत निवेश को मौजूदा एफडीआई मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए, जिसमें क्षेत्रीय सीमा, प्रवेश मार्ग और अन्य शर्तें शामिल हैं।
- **संरक्षक की भूमिका:**
  » एफपीआई को अपने कस्टोडियन को पुनर्वर्गीकरण के इरादे के बारे में सूचित करना होगा।
  » कस्टोडियन एफपीआई के निर्दिष्ट डीमैट खाते से प्रतिभूतियों को एफडीआई होल्डिंग्स के लिए विशेष रूप से स्थापित खाते में स्थानांतरित करने में सहायता करेगा।
- **प्रतिबंध वाले क्षेत्र:**
  » उन क्षेत्रों में पुनर्वर्गीकरण की अनुमति नहीं होगी, जहाँ एफडीआई प्रतिबंजधित है, जैसे रक्षा, दूरसंचार, और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित क्षेत्र।
  » यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्वर्गीकरण देश की एफडीआई नीति के अनुरूप हो और संवेदनशील क्षेत्रों में विदेशी स्वामित्व को रोका जा सके।
- **रिपोर्टिंग और अनुपालन:**
  » विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) का अनुपालन करना होगा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भुगतान का तरीका और गैर-ऋण उपकरणों की रिपोर्टिंग) विनियम, 2019 के तहत आवश्यक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
  » संरक्षक द्वारा अनुपालन की पुष्टि होने के बाद, पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

विदेशी निवेशकों के लिए निहितार्थ:

- **उन्नत लचीलापन:**
  » नया ढांचा एफपीआई को 10% से अधिक निवेश को एफडीआई में परिवर्तित करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करता है।
  » यह रूपांतरण स्वामित्व का स्थायी और रणनीतिक स्वरूप प्रदान करता है, जोकि दीर्घकालिक निवेश लक्ष्यों से मेल खाता है।
- **पारदर्शिता और स्पष्टता:**
  » नया ढांचा पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया में स्पष्टता लाता है, जिससे एफपीआई को विनियामक आवश्यकताओं, समयसीमा और प्रक्रिया में शामिल चरणों को समझने में मदद मिलती है।
- **दीर्घकालिक जुड़ाव:**
  » एफडीआई में पुनर्वर्गीकरण की सुविधा प्रदान करके, यह ढांचा एफपीआई को भारतीय निवेशों को अल्पकालिक स्थिति के बजाय दीर्घकालिक, रणनीतिक प्रतिबद्धताओं के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है।
  » इस बदलाव से विदेशी भागीदारी में वृद्धि और भारतीय कंपनियों के सतत विकास में योगदान मिलने की संभावना है।

पैन 2.0 परियोजना: भारत में करदाता सेवाओं में परिवर्तन

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने पैन 2.0 परियोजना की शुरुआत की है, जोकि मौजूदा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रणाली को उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है। 1,435 करोड़ के निवेश के साथ, इस परियोजना का उद्देश्य करदाता पंजीकरण सेवाओं को आधुनिक बनाना, दक्षता, पहुंच और डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

पैन क्या है?

- स्थायी खाता संख्या (पैन) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फान्यूमेरिक कोड है। यह भारत की कर प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पैन का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है:
  » आयकर रिटर्न दाखिल करना।
  » बैंक खाता खोलना।
  » उच्च मूल्य के वित्तीय और व्यावसायिक लेन-देन का संचालन।

पैन 2.0 परियोजना के मुख्य उद्देश्य:

- **प्रौद्योगिकी - संचालित परिवर्तन:** करदाता पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और पैन/टैन जारी करने एवं सत्यापन सेवाओं को स्वचालित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग।
- **पहुंच में आसानी और शीघ्र सेवा वितरण:**
  » कर और वित्तीय प्रणालियों के साथ निर्बाध संपर्क के लिए पैन को अन्य डिजिटल सरकारी सेवाओं के साथ एकीकृत करना।
  » पैन जारी करने और सत्यापन प्रक्रियाओं को तीव्र और कुशल बनाना।
- **डेटा संगतता:** करदाता डेटा में त्रुटियों और विसंगतियों को कम करने के लिए सही पहचान का एकल स्रोत स्थापित करना।
- **पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाएं:** कागज आधारित अनुप्रयोगों से पूर्णतया डिजिटल प्रक्रियाओं की ओर बदलाव, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित होगी।
- **लागत अनुकूलन:** परिचालन लागत को कम करने और

करदाता सेवा की दक्षता बढ़ाने के लिए स्वचालन और डिजिटल उपकरणों का समावेश।

- **उन्नत सुरक्षा:** सुरक्षित, विश्वसनीय और कुशल सेवा वितरण के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना।

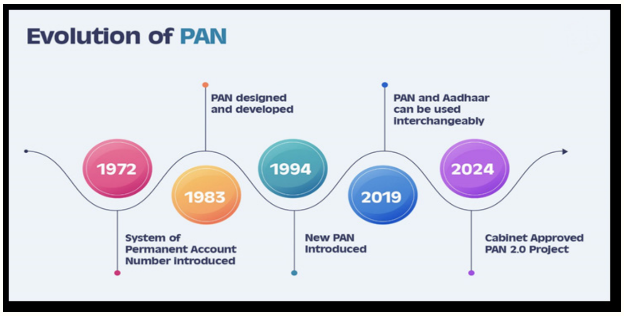

विजन: डिजिटल इंडिया और कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर

- पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है, जिसका लक्ष्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना है। पैन को एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में उपयोग करके , परियोजना सभी डिजिटल सरकारी प्रणालियों में संवाद को सरल बनाती है।

पैन 2.0 के लाभ:

- **करदाता सुविधा:** पैन के प्रबंधन और आवेदन की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बनाना।
- **एकीकरण:** डिजिटल प्रणालियों के साथ पैन का संरेखण उत्तरदायी और व्यक्तिगत सरकारी सेवाओं को सक्षम बनाता है।
- **सरकारी दक्षता:** केंद्रीकृत डेटा सूचना और सार्वजनिक सेवा वितरण के प्रबंधन में सुधार करता है।
- **वित्तीय समावेशन:** औपचारिक लेनदेन को प्रोत्साहित करता है, बैंकिंग और वित्तीय समावेशन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देता है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास:** डेटा प्रबंधन, समावेशिता और सुचारू डिजिटल इंटरैक्शन को बढ़ावा देता है।
- पैन 2.0 परियोजना डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जोकि भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

चर्चा में क्यों?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) पहल को शुरू किया है। इस मिशन के लिए 2,481 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 1,584 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपये है।

- इसका उद्देश्य 2025-26 तक 1 करोड़ किसानों को लाभान्वित करना है। यह योजना रसायन मुक्त और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए पारंपरिक कृषि-पारिस्थितिक ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि को संरेखित करने का प्रयास करती है।

उद्देश्य एवं विशेषताएँ:

- एनएमएनएफ का उद्देश्य इनपुट लागत को कम करना, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और पौष्टिक, रसायन-मुक्त भोजन सुनिश्चित करना है। यह मिशन पशुधन और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके जीवामृत और बीजामृत जैसी प्राकृतिक खेती की विधियों को प्रोत्साहित करता है।
- मिशन निम्नलिखित कार्य करेगा:
  - » 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 15,000 क्लस्टरों में परिचालन।
  - » उपयोग हेतु तैयार प्राकृतिक कृषि इनपुट की आपूर्ति के लिए 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना।
  - » कृषि में 2,000 मॉडल प्रदर्शन फार्म विकसित करना, जिसे विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.), कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में आयोजित किया जाएगा।
  - » 18.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना और 30,000 कृषि यंत्रों की तैनाती।
  - » जागरूकता और मार्गदर्शन के लिए सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की तैनाती।

क्रियान्वयन और निगरानी:

- जियो-टैग्ड पोर्टल के माध्यम से वास्तविक समय की निगरानी, पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। प्राकृतिक खेती के उत्पादों का प्रमाणन और ब्रांडिंग बाजार तक आसान पहुंच बनाएंगे। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण स्थानीय पशुधन, बाजार संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगा।
- इसके अतिरिक्त, छात्रों को RAWE कार्यक्रम और प्राकृतिक खेती में समर्पित पाठ्यक्रमों के माध्यम से जोड़ा जाएगा।

लाभ:

- » **पर्यावरणीय स्थिरता:** ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हुए मिट्टी की उर्वरता, जल उपयोग दक्षता और जैव विविधता में सुधार करता है।
- » **आर्थिक लाभ:** महंगे इनपुट पर निर्भरता कम होने से खेती की लागत घटती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
- » **स्वास्थ्य लाभ:** रसायन-मुक्त और पौष्टिक भोजन प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम न्यूनतम हो जाते हैं।
- » **जलवायु लचीलापन:** बाढ़, सूखे और अन्य जलवायु जोखिमों के प्रति कृषि की अनुकूलन क्षमता को बढ़ाता है।

एनएमएनएफ एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना करता है, जोकि पारंपरिक और टिकाऊ प्रथाओं को एकीकृत कर 'स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ भोजन और स्वस्थ राष्ट्र' सुनिश्चित करता है। यह पहल भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी बदलाव को चिह्नित करती है, जिससे किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण को समान रूप

से लाभ होता है।

भारत में युवा बेरोजगारी

चर्चा में क्यों?

भारत में युवा बेरोजगारी एक दीर्घकालिक चुनौती बनी हुई है, क्योंकि यहाँ युवा आबादी अधिक और गतिशील है। हालांकि, नवीनतम आँकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत की युवा बेरोजगारी दर वैश्विक औसत से कम है, जोकि रोजगार सृजन के क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति को दर्शाता है।

युवा बेरोजगारी: वैश्विक परिप्रेक्ष्य

- युवा बेरोजगारी का अर्थ 15-24 (या कभी-कभी 15-29) आयु वर्ग के उन व्यक्तियों के प्रतिशत से है, जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यह किसी देश के श्रम बाजार की स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, वैश्विक युवा बेरोजगारी दर 2021 में 15.6% से घटकर 2023 में 13.3% हो गई, जो देशों के सामने पर्याप्त रोजगार अवसर प्रदान करने की चुनौती को उजागर करती है।

भारत में युवा बेरोजगारी: वर्तमान रुझान

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) की रिपोर्ट के अनुसार, 15-29 आयु वर्ग के युवाओं के लिए भारत की बेरोजगारी दर 2023-24 में 10.2% होगी, जो वैश्विक औसत 13.3% से कम है।
- पीएलएफएस के प्रमुख संकेतक महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं:
  - » **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):** 2017-18 में 31.4% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो जाएगा, जोकि युवा रोजगार में सुधार का संकेत है।
  - » **EPFO पेरोल डेटा:** यह डेटा औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। 2023-24 में 1.3 करोड़ से अधिक नए ग्राहक EPFO में शामिल हुए और 2017 से 2024 के बीच 7.03 करोड़ से अधिक नए ग्राहक जुड़े।

रोजगार को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल:

- युवा बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल विकास और उद्यमिता पर केंद्रित कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है:
  - » **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):** ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों और रोजगार सृजन को समर्थन देता है।
  - » **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** यह योजना युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराती है।
  - » **दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (DDU-GKY):** यह योजना उच्च मांग वाले क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है।
  - » **ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (RSETI):** युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करने हेतु उद्यमशीलता प्रशिक्षण प्रदान करता है।

भारत के प्रयासों के परिणामस्वरूप युवा बेरोजगारी दर में गिरावट और रोजगार संकेतकों में सुधार हो रहा है। कौशल विकास, रोजगार के औपचारिकीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने में निरंतर निवेश इस सकारात्मक प्रवृत्ति को बनाए रखने, आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने और देश के युवा कार्यबल की क्षमता को विकसित करने के लिए आवश्यक है।

बौद्धिक संपदा को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता

चर्चा में क्यों?

भारत ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के तहत डिजाइन कानून संधि (DLT) पर हस्ताक्षर करके समावेशी विकास को बढ़ावा देने और अपनी बौद्धिक संपदा (IP) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

- लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद, WIPO के सदस्य देशों ने इस ऐतिहासिक संधि को अपनाया, जिसका उद्देश्य वैश्विक डिजाइन संरक्षण को सुसंगत बनाना और इसे विशेष रूप से स्टार्टअप्स, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) और स्वतंत्र डिजाइनरों के लिए अधिक सुलभ और कुशल बनाना है।

डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) के प्रमुख प्रावधान:

- डीएलटी ने औद्योगिक डिजाइन पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और उन्नत बनाने के लिए कई प्रावधान प्रस्तुत किए हैं:
  - » **एकल आवेदन में अनेक डिजाइन:** यह संधि आवेदकों को कुछ शर्तों के अधीन एक ही आवेदन में अनेक डिजाइन दाखिल करने की अनुमति देती है, जिससे कार्यकुशलता में सुधार होता है।
  - » **प्रकाशन के लचीले प्रावधान:** आवेदक दाखिल करने की तिथि प्राप्त करने के बाद छह महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रख सकते हैं, जिससे समय से पहले प्रकाशन के खिलाफ सुरक्षा मिलती है।
  - » **प्रकटीकरण के लिए अवधि:** 12 महीने की रियायती अवधि शुरू की गई है, जो आवेदकों को पंजीकरण वैधता से समझौता किए बिना अपने डिजाइन का खुलासा करने की अनुमति देती है।
  - » **ई-फाइलिंग प्रणाली:** इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग और प्राथमिकता दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की शुरुआत से आवेदन प्रक्रिया सरल हो गई है, और यह

अधिक सुलभ हो गई है।

» **दाखिल करने की तिथि से संबंधित आवश्यकताएँ:** संधि में आवेदन की तिथि निर्धारित करने के लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं और अधिकारों को खोने से बचने के लिए समय पर आवेदन दाखिल करने के महत्व पर जोर दिया गया है।

- इन प्रावधानों का उद्देश्य डिजाइन पंजीकरण को सरल बनाना है, जिससे यह विश्व भर के आवेदकों के लिए अधिक पूर्वानुमानित, कम जटिल और किफायती बन सके।

डीएलटी का महत्व:

- डीएलटी स्टार्टअप्स, एसएमई और स्वतंत्र डिजाइनरों को उनके डिजाइनों के लिए वैश्विक सुरक्षा प्रदान करके सशक्त बनाता है। प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को मानकीकृत करके, संधि प्रशासनिक बोझ को कम करती है और वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा देती है।
- डिजाइन संरक्षण पर भारत के नीतिगत प्रयास इसके आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, नवाचार और बाजार विकास को समर्थन देने के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप है।
- स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) योजना जैसे कार्यक्रम उद्यमियों के लिए आईपी पहुंच को सुविधाजनक बनाकर डीएलटी के पूरक हैं।

डिजाइन पंजीकरण में भारत की प्रगति:

- भारत ने आर्थिक विकास में डिजाइन के महत्व को लंबे समय से पहचाना है। हाल के वर्षों में डिजाइन पंजीकरण में उछाल आया है, पिछले दो वर्षों में अकेले घरेलू दाखिलों में 120% की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष डिजाइन आवेदनों में 25% की वृद्धि हुई, जोकि डिजाइन संरक्षण के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

डब्ल्यूआईपीओ और भारत का योगदान:

- डब्ल्यूआईपीओ (विश्व बौद्धिक संपदा संगठन), एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो वैश्विक स्तर पर आईपी अधिकारों को बढ़ावा देती है। भारत द्वारा डीएलटी पर हस्ताक्षर करने से उसका आईपी पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है और वैश्विक डिजाइन संरक्षण का समर्थन होता है, जो डब्ल्यूआईपीओ के लक्ष्यों में योगदान करता है।

औद्योगिक डिजाइन संरक्षण को अधिक सुलभ और कुशल बनाने की दिशा में डीएलटी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के लिए, यह आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है, स्टार्टअप और एसएमई को सशक्त बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की रचनात्मकता वैश्विक रूप से संरक्षित है, जिससे सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

भारत में दूध, मांस और अंडा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि

चर्चा में क्यों?

पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2024 में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **दूध उत्पादन:**
  » **वृद्धि:** भारत में दूध उत्पादन 2023-24 में 3.78% बढ़कर अनुमानित कुल 239.30 मिलियन टन तक पहुंच गया।
  » ऐतिहासिक वृद्धि: पिछले दशक में भारत का दूध उत्पादन 5.62% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है। 2014-15 में दूध उत्पादन 146.3 मिलियन टन था।
  » **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना हुआ है और अन्य दूध उत्पादक देशों से काफी अधिक अंतर से आगे है।
  » **राज्यवार योगदान:**
    ➢ कुल दूध उत्पादन में 16.21% के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद राजस्थान (14.51%), मध्य प्रदेश (8.91%), गुजरात (7.65%), और महाराष्ट्र (6.71%) का स्थान है।
    ➢ पश्चिम बंगाल और झारखंड जैसे राज्यों ने 2022-23 की तुलना में 2023-24 के लिए क्रमशः 9.76% और 9.04% की उच्चतम वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की।
- **अंडा उत्पादन:**
  » **वृद्धि:** 2023-24 के लिए भारत का अंडा उत्पादन 142.77 बिलियन अंडे तक पहुंचने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 6.8% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है।
  » **वार्षिक वृद्धि:** अंडा उत्पादन में पिछले वर्ष (138.38 बिलियन अंडे) की तुलना में 3.18% की वृद्धि हुई।
  » **वैश्विक रैंकिंग:** भारत दुनिया में दूसरे सबसे बड़े अंडा

उत्पादक देश का स्थान रखता है, जोकि वैश्विक अंडा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

» **राज्यवार योगदान:**
  - ➢ कुल अंडा उत्पादन में 17.85% हिस्सेदारी के साथ आंध्र प्रदेश देश में सबसे आगे है, इसके बाद तमिलनाडु (15.64%), तेलंगाना (12.88%), पश्चिम बंगाल (11.37%), और कर्नाटक (6.63%) का स्थान है।

- **मांस उत्पादन:**
  - » **वृद्धि:** भारत में 2023-24 के लिए मांस उत्पादन 10.25 मिलियन टन होने का अनुमान है, जोकि पिछले दशक की तुलना में 4.85% की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है। देश का मांस उत्पादन 2014-15 में 6.69 मिलियन टन से बढ़ा है।
  - » **वार्षिक वृद्धि:** 2023-24 के दौरान मांस उत्पादन में पिछले वर्ष (9.77 मिलियन टन) की तुलना में 4.95% की वृद्धि हुई।
  - » **संघटन:**
    - ➢ मुर्गीपालन का इसमें प्रमुख योगदान है, जोकि कुल मांस उत्पादन का 48.96% है।
    - ➢ मांस के अन्य स्रोतों में भैंस का मांस (18.09%), मवेशी (2.60%), भेड़ (11.13%), बकरी (15.50%), और सूअर का मांस (3.72%) शामिल हैं।
  - » **राज्यवार योगदान:**
    - ➢ पश्चिम बंगाल 12.62% के साथ सबसे बड़ा मांस उत्पादक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश (12.29%), महाराष्ट्र (11.28%), तेलंगाना (10.85%), और आंध्र प्रदेश (10.41%) का स्थान है।
    - ➢ मांस उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर असम (17.93%) में दर्ज की गई, उसके बाद उत्तराखंड (15.63%) तथा छत्तीसगढ़ (11.70%) का स्थान रहा।
- **ऊन उत्पादन:**
  - » **वृद्धि:** 2023-24 में भारत का ऊन उत्पादन 33.69 मिलियन किलोग्राम होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की मामूली वृद्धि दर्शाता है। इसकी तुलना 2019-20 में 36.76 मिलियन किलोग्राम और पिछले वर्ष 33.61 मिलियन किलोग्राम से की जा सकती है।
  - » **राज्यवार योगदान:**
    - ➢ राजस्थान ऊन उत्पादन में अग्रणी है, जोकि कुल उत्पादन में 47.53% का योगदान देता है, इसके बाद जम्मू और कश्मीर (23.06%), गुजरात (6.18%), महाराष्ट्र (4.75%), और हिमाचल प्रदेश (4.22%) का स्थान आता है।

डिजिटल करेंसी: वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलाव

चर्चा में क्यों?

डिजिटल करेंसी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को बदल रही है। दुनिया भर में सेंट्रल बैंक और सरकारें इलेक्ट्रॉनिक मनी लागू करने के नए तरीकों पर काम कर रही हैं। हाल के वर्षों में दो बड़े प्रयास सामने आए हैं: यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा डिजिटल यूरो और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा डिजिटल रुपया। ये डिजिटल करेंसी पैसे के इस्तेमाल और लेन-देन के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाते हैं, जो तेज लेन-देन और कम शुल्क जैसे फायदे प्रदान करते हैं।

डिजिटल करेंसी क्या है?

- डिजिटल करेंसी किसी भी ऐसे पैसे को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित और उपयोग किया जाता है। सिक्कों या कागजी नोटों जैसी भौतिक मुद्राओं के विपरीत, डिजिटल करेंसी केवल डिजिटल रूप में मौजूद होती है और ऑनलाइन लेन-देन के लिए उपयोग की जाती है। डिजिटल करेंसी दो प्रकार की होती है:
  - » **क्रिप्टोकरेंसी:** यह एक विकेंद्रीकृत डिजिटल करेंसी है जो सुरक्षा के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करती है और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होती है। उदाहरण: बिटकॉइन, एथेरियम और रिपल (XRP)। इसे सरकार या किसी सेंट्रल बैंक द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता।
  - » **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC):** यह किसी देश के सेंट्रल बैंक द्वारा जारी और नियंत्रित डिजिटल करेंसी है। इसे उस देश की आधिकारिक मुद्रा का डिजिटल रूप माना जाता है।

डिजिटल यूरो

- डिजिटल यूरो को यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) द्वारा एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी तैयारी 2023 में शुरू हुई। डिजिटल यूरो को कैश के डिजिटल रूप में पेश किया जाएगा, जो यूरो क्षेत्र के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा।

भारत का डिजिटल रुपया

- भारत का डिजिटल रुपया, जिसे eRs या eINR भी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा लॉन्च किया गया है। RBI ने 2022 में इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया।
- डिजिटल रुपया लेन-देन की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने का लक्ष्य रखता है और यह पारंपरिक नकद प्रणाली का एक विकल्प प्रदान करता है। डिजिटल रुपया दो प्रकारों में उपलब्ध है:
  - » **थोक CBDC (e₹&W):** बैंकों के बीच भुगतान और निपटान को सरल बनाने के लिए।
  - » **खुदरा CBDC (e₹&R):** आम जनता के लिए, जो सामान्य नकदी की तरह उपयोग किया जा सकता है।

मुख्य विशेषताएं:

- यह ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक पर आधारित है।

- यह भारतीय रुपये का डिजिटल रूप है और इसे वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से भौतिक नकदी में बदला जा सकता है।
- यह एक वैध मुद्रा है, जिसे व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारी संस्थाएं स्वीकार कर सकती हैं।

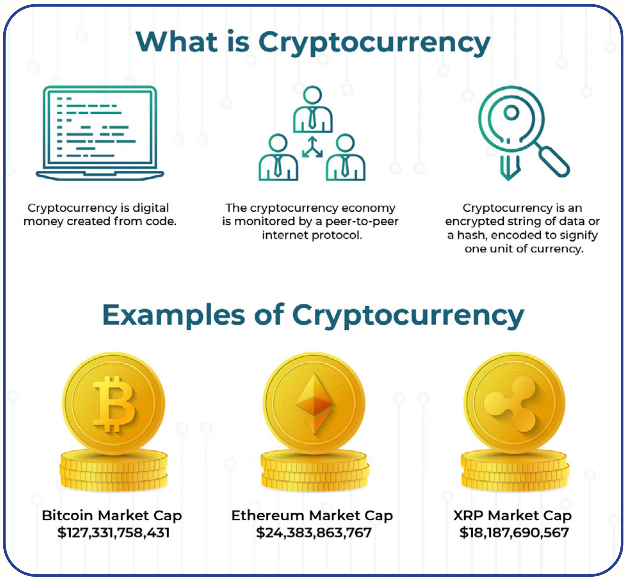

डिजिटल करेंसी का महत्व:

- **तेज और सुरक्षित लेन-देन:** डिजिटल करेंसी पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम की तुलना में तेज और सुरक्षित लेन-देन की सुविधा देती है।
- **वित्तीय समावेशन:** डिजिटल करेंसी उन लोगों को भी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकती है जिनके पास पारंपरिक बैंक तक पहुंच नहीं है।
- **कम लागत:** बिचौलियों (जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनियां) को हटाकर लेन-देन शुल्क को कम किया जा सकता है।
- **सरकारी नियंत्रण:** सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग सब्सिडी जैसे विशेष उद्देश्यों के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं, ताकि उसका दुरुपयोग न हो।

डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक और आरबीआई के नियम

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पुष्टि की है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को 2023 की तरह ही डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (D-SIBs) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। यह वर्गीकरण 31 मार्च, 2024 के डेटा के आधार पर किया गया है और यह इन बैंकों की वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

D-SIBs क्या हैं?

- D-SIBs वे बैंक हैं जिन्हें 'टू बिग टू फेल' (Too Big To Fail) माना जाता है।
- इन बैंकों की विफलता से पूरे बैंकिंग सिस्टम और अर्थव्यवस्था में भारी असर हो सकता है।
- ऐसे बैंकों को अतिरिक्त नियामक नियमों का पालन करना पड़ता है ताकि उनके जोखिमों को कम किया जा सके और उनकी स्थिरता सुनिश्चित हो।

D-SIBs की मुख्य विशेषताएं

- **आकार (Size):** बड़े पैमाने पर संचालन जो अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक हैं।
- **आपस में जुड़ाव (Interconnectedness):** अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ गहरा संबंध।
- **जटिलता (Complexity):** विभिन्न वित्तीय सेवाओं और गतिविधियों में शामिल होना।
- **अद्वितीयता (Lack of Substitutability):** वित्तीय प्रणाली में इनके कार्यों को आसानी से बदलना मुश्किल है।

D-SIBs का महत्व

- D-SIBs के विफल होने से पूरे वित्तीय सिस्टम में हलचल मच सकती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता और आवश्यक सेवाओं में बाधा आ सकती है।
- इन्हें सरकार से 'अप्रत्यक्ष गारंटी' प्राप्त होती है, यानी संकट के समय इन्हें समर्थन मिलने की संभावना होती है। यह स्थिति प्रतिस्पर्धा में असंतुलन और अत्यधिक जोखिम लेने को बढ़ावा दे सकती है।

D-SIBs के लिए नियामक उपाय

- **अतिरिक्त पूंजी बनाए रखना:** इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है ताकि जोखिमों को संभाला जा सके।
- **संकट के समय तैयारी:** अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि ये बैंक वित्तीय संकट के दौरान घाटे को सहन कर सकें, जिससे सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत न पड़े।

D-SIBs का वर्गीकरण:

- D-SIBs को उनकी सिस्टमेटिक महत्वता स्कोर के आधार पर विभिन्न बकेट्स में रखा जाता है। यह स्कोर तय करता है कि उन्हें कितनी अतिरिक्त पूंजी रखनी होगी:
  - » **SBI:** बकेट 4 में है, इसे 0.80% अतिरिक्त CET1 (कॉमन इक्विटी टियर 1) पूंजी रखनी होगी।
  - » **HDFC बैंक:** बकेट 3 में है, इसे 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी।
  - » **ICICI बैंक:** बकेट 1 में है, इसे 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी।

पूंजी आवश्यकताएं:

- » **SBI:** 0.80% अतिरिक्त CET1 पूंजी (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)।

- » **HDFC बैंक:** 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी (1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी)।
- » **ICICI बैंक:** 0.20% अतिरिक्त CET1 पूंजी।
- इन बैंकों पर यह पूंजी आवश्यकता 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी, जबकि SBI और HDFC बैंक पर अस्थायी सरचार्ज 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगा।

D-SIBs की पहचान कैसे होती है?

- RBI दो चरणों में सिस्टमेटिक महत्व का आकलन करता है:
  - » **बैंकों का चयन:** केवल वे बड़े बैंक (जो GDP के 2% से अधिक हैं) D-SIB वर्गीकरण के लिए चुने जाते हैं।
  - » **मूल्यांकन:** आकार, जटिलता और आपस में जुड़ाव जैसे संकेतकों के आधार पर कंपोजिट स्कोर तैयार किया जाता है।

ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (G-SIBs):

- D-SIBs के अलावा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड (FSB) ग्लोबल सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक (G-SIBs) की पहचान करता है।
- G-SIBs वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और उनकी विफलता का व्यापक असर हो सकता है।
- उदाहरण: जेपी मॉर्गन चेस, HSBC और बैंक ऑफ अमेरिका।

D-SIBs वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं। RBI के नियम सुनिश्चित करते हैं कि ये बड़े बैंक पर्याप्त पूंजी बनाए रखें ताकि किसी भी संकट की स्थिति में झटकों को संभाला जा सके। इन बैंकों के वर्गीकरण और अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं के माध्यम से, RBI इनसे जुड़े जोखिमों को कम करने और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करता है।

स्कूल आधरित कौशल विकास के माध्यम से अवसरों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी एक अध्ययन 'जॉब्स एट योर डोरस्टेप्स' में विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतर को कम करने पर ध्यान दिया गया है। यह अध्ययन विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में स्थानीय आर्थिक मांगों को पूरा करने के लिए कौशल शिक्षा को बढ़ाने पर केंद्रित है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने जारी किया।

प्रमुख निष्कर्ष:

- अध्ययन में सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में स्कूल आधारित कौशल विकास के लिए बड़ी संभावनाओं की पहचान की गई है।
- **सेवाओं का क्षेत्र (Services Sector):** अध्ययन में कई ऐसे सेवा क्षेत्रों को उजागर किया गया है जहां बहु-कौशल वाले कर्मचारियों की मांग बढ़ रही है:
  - » **रिटेल (Retail):** ग्राहक सेवा, बिक्री और इन्वेंटरी प्रबंधन में ज्ञान की आवश्यकता होती है।
  - » **आईटी (IT):** सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और नेटवर्क प्रबंधन जैसे कौशल की मांग है।
  - » **बैंकिंग:** वित्त, डिजिटल लेनदेन, और ग्राहक सेवा में दक्षता जरूरी है।
- अध्ययन ने सभी क्षेत्रों में संचार और टीमवर्क जैसे रोजगार कौशल को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।
- **कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector):** कृषि क्षेत्र में स्कूल आधारित कौशल विकास के लिए बड़ी संभावनाएं हैं, खासकर:
  - » **बागवानी और उद्यान विज्ञान:** ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, ये कौशल खेतों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
  - » **डेयरी फार्मिंग:** पशुधन स्वास्थ्य और डेयरी प्रबंधन का प्रशिक्षण ग्रामीण आय में सुधार कर सकता है।
  - » **मत्स्य पालन और जलीय कृषि:** भारत के व्यापक समुद्र तट को देखते हुए, ये क्षेत्र रोजगार के बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
- स्थानीय कृषि जरूरतों को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन, कृषि विज्ञान और उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है।

अन्य क्षेत्रों की चुनौतियां:

- जबकि सेवाएं और कृषि क्षेत्र काफी संभावनाएं देते हैं, अध्ययन ने अन्य क्षेत्रों की चुनौतियों की भी जांच की:
  - » **खनन (Mining):** यह एक बड़ा उद्योग है, लेकिन खतरनाक कार्य परिस्थितियों और अकुशल श्रमिकों की अधिक मांग के कारण स्कूल से कार्य तक कौशल विकास के लिए उपयुक्त नहीं है।
  - » **निर्माण (Manufacturing):** MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग): बहु-कौशल वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं।
  - » **बड़े उद्योग:** औपचारिक प्रमाणपत्र (जैसे ITI) की मांग करते हैं।
- स्कूलों को पाठ्यक्रम तैयार करने में उद्योगों के साथ सहयोग करने की सलाह दी गई है।

स्कूल आधारित कौशल विकास में सुधार के लिए सिफारिशें

- **कौशल केंद्र बनाना:** स्थानीय उद्योगों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने वाले क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करना।
- **पाठ्यक्रम में बदलाव:** व्यापार विकल्पों को बढ़ाना और उन्हें स्थानीय आर्थिक जरूरतों के अनुरूप बनाना।
- **रोजगार योग्य कौशल पर ध्यान:** तकनीकी कौशल के साथ संचार, टीमवर्क, और समस्या-समाधान जैसे कौशल शामिल करना।
- **व्यावहारिक शिक्षा:** इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्रदान करना।

- **उद्योग साझेदारी:** यह सुनिश्चित करने के लिए उद्योगों के साथ सहयोग को मजबूत करना कि प्रशिक्षण नौकरी बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
- **कैरियर परामर्श:** छात्रों और अभिभावकों को कौशल-आधारित शिक्षा के प्रति जागरूक करना और उनकी सोच में बदलाव लाना।

'जॉब्स एट योर डोरस्टेप्स' अध्ययन स्कूल आधारित कौशल विकास को बढ़ाने का एक खाका प्रदान करता है, विशेष रूप से सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में। पाठ्यक्रम को अपडेट करके, रोजगार योग्य कौशल पर ध्यान केंद्रित करके, और उद्योगों के साथ साझेदारी को मजबूत करके, भारत न केवल युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, बल्कि उनकी रोजगार क्षमता में भी सुधार कर सकता है।

भारत और EFTA: व्यापार और निवेश के नए आयाम

चर्चा में क्यों?

भारत के वाणिज्य सचिव ने नॉर्वे का दौरा किया, जहां भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन (EFTA) के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौते (TEPA) को शीघ्र लागू करने पर चर्चा हुई। यह समझौता मार्च में हस्ताक्षरित हुआ था और इसका उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। हालांकि, इस समझौते के लागू होने की तारीख अभी तय नहीं हुई है।

- EFTA में आइसलैंड, लीख्टेनश्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। यह समझौता भारत और इन देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है।

नार्वे दौरे के मुख्य उद्देश्य:

- **व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना:** भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए म्थ्ज्। देशों में बाजार के अवसरों को खोलना।
- **भारतीय पेशेवरों की गतिशीलता:** कार्यबल विनिमय को बढ़ाने के लिए पेशेवर गतिशीलता को प्रोत्साहित करना।
- **TEPA की पुष्टि:** समझौते को जल्दी लागू करने की प्रक्रिया को सुगम बनाना।
- **निवेश लक्ष्य:** द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का लक्ष्य।

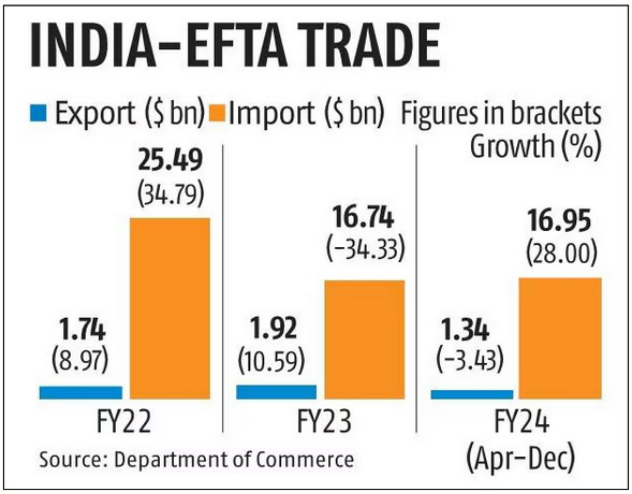

भारत के समुद्री उत्पादों के निर्यात में वृद्धि:

- मूल्य (7.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और मात्रा (17.81 लाख मीट्रिक टन) दोनों में निर्यात दोगुना हुआ है।
- यूरोपीय संघ (EU) अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री उत्पाद बाजार है, जहां वार्षिक खरीद 0.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर की होती है।
- भारत EU का दूसरा सबसे बड़ा झींगा (Shrimp) आपूर्तिकर्ता है, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 8% है, और EU में स्क्विड (Squid) आयात में 12% हिस्सा है।

संस्थानिक सहयोग को मजबूत बनाना:

भारत और EFTA के बीच संस्थानिक सहयोग को बेहतर बनाने के प्रयास भी चल रहे हैं। दोनों पक्ष निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं:

- **मौजूदा ढांचे को पुनर्जीवित करना:** समुद्री उत्पादों समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा तंत्र को मजबूत बनाना।
- **व्यापार चुनौतियों को हल करना:** वैश्विक व्यापार चुनौतियों का समाधान और वस्तुओं के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना।

भारत- EFTA साझेदारी के भविष्य की संभावनाएं:

- **बाजार तक पहुंच:** TEPA से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए EFTA देशों में विस्तारित बाजार उपलब्ध होगा।
- **निवेश के अवसर:** समझौते के तहत 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से भारत में आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा।
- **क्षेत्रीय विकास:** समुद्री उत्पादों और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों को इस समझौते के तहत बढ़ते व्यापार और सहयोग से लाभ होगा।

भारत और EFTA के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के प्रयास प्रगति पर हैं और TEPA इस साझेदारी का एक प्रमुख आधार बन रहा है। समुद्री उत्पाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वृद्धि के साथ, भारत-EFTA व्यापार संबंधों का भविष्य उज्जवल दिख रहा है। TEPA का कार्यान्वयन भारत को वैश्विक व्यापार में एक प्रमुख भूमिका निभाने में मदद करेगा।

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब खर्च (OOPE) में कमी

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाता (NHA) 2021-22 के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में स्वास्थ्य पर होने वाले जेब खर्च (Out-of-Pocket Expenditure - OOPE) में बड़ी गिरावट आई है। यह सुधार मुख्य रूप से सरकारी स्वास्थ्य खर्च में बढ़ोतरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के विस्तार के कारण हुआ है।

जेब से खर्च (OOPE) क्या है?

- OOPE का मतलब है कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सीधे अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयों का खर्च और अस्पताल में भर्ती होने का खर्च शामिल होता है।
- उच्च OOPE, विशेष रूप से भारत जैसे देशों में, परिवारों को आर्थिक तंगी में डाल सकता है, कर्ज और गरीबी का कारण बन सकता है। यह समय पर चिकित्सा सेवा लेने से भी रोकता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं।

OOPE में कमी के कारण:

- **सरकारी स्वास्थ्य खर्च (GHE) में बढ़ोतरी:**
  - » 2014-15 से 2021-22 के बीच, सरकारी स्वास्थ्य खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 1.13% से बढ़कर 1.84% हो गया।
  - » इस बढ़ोतरी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया है, जिससे लोगों की वित्तीय बोझ कम हुआ।
  - » कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 3.94% से बढ़कर 6.12% हो गई।
- **सामाजिक सुरक्षा खर्च (SSE) का विस्तार:**
  - » स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च 2014-15 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 5.7% था, जो 2021-22 में बढ़कर 8.7% हो गया।
  - » यह विस्तार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों से बचाव में मदद करता है।
- **सरकार द्वारा वित्त पोषित बीमा योजनाओं का विकास:**
  - » आयुष्मान भारत और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य बीमा योजनाओं जैसे कार्यक्रमों ने गरीब वर्ग के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाया है।
  - » ये योजनाएं उन चिकित्सा खर्चों को कवर करती हैं, जिन्हें अन्यथा व्यक्तियों को खुद वहन करना पड़ता।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे पर ध्यान:**
  - » ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिए निवेश किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ और किफायती हो गई हैं।
  - » इसका सीधा प्रभाव यह पड़ा है कि लोगों का जेब से खर्च कम हुआ है।
- **गैर-संचारी रोगों (NCDs) के लिए लक्षित कार्यक्रम:**
  - » डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे गैर-संचारी रोगों के बढ़ने पर सरकार ने इनसे बचाव और प्रबंधन के लिए कार्यक्रम शुरू किए।
  - » यह पहल उन मरीजों के आर्थिक बोझ को कम करती है, जिन्हें इन बीमारियों के लिए निजी तौर पर भुगतान करना पड़ता।

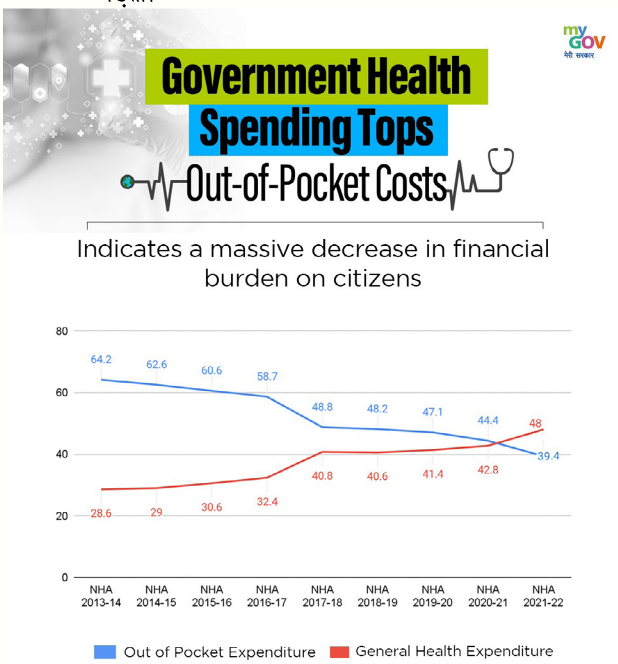

OOPE में कमी के प्रभाव

- **स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच:** कम OOPE का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों सहित अधिक लोग चिकित्सा सेवाएं ले सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित होती है।
- **बेहतर स्वास्थ्य परिणाम:** सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को समय पर इलाज और बचावात्मक देखभाल के लिए प्रेरित करती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी परिणाम बेहतर होते हैं और कुल खर्च कम होता है।
- **परिवारों की आर्थिक स्थिरता:** OOPE कम होने से परिवार अपनी आय को अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।
- **सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की नींव:** OOPE में कमी भारत में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) की दिशा में एक अहम कदम है, जहां चिकित्सा सेवाएं व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं होती।

भारतीय रुपये का अवमूल्यनः विनिमय दर की समझ

भारतीय रुपया हाल ही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 85 के स्तर को पार कर गया है, यानी 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 85 रुपये हो गई है। यह भारतीय रुपये के कमजोर होने को दर्शाता है, जो एक दशक पहले डॉलर के मुकाबले करीब 61 रुपये पर था। डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर में लंबे समय से गिरावट का रुझान है, जो विभिन्न आर्थिक कारकों और बाजार की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है।

विनिमय दर की समझः

- विनिमय दर का मतलब है एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा की तुलना में। यह निर्धारित करता है कि एक मुद्रा को खरीदने के लिए दूसरी मुद्रा की कितनी आवश्यकता होगी, जैसे कि रुपये का अमेरिकी डॉलर या यूरो के संदर्भ में मूल्य। उदाहरण के लिए, यदि भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर के बीच विनिमय दर 85 है, तो एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए 85 रुपये की आवश्यकता होगी।
- विनिमय दर समय-समय पर कई कारकों के आधार पर बदलती रहती है, जिनमें व्यापार संतुलन, निवेश प्रवाह, मुद्रास्फीति दर, और सरकारी नीतियाँ शामिल हैं। भारत और अमेरिका के मामले में, विदेशी मुद्रा बाजार में एक-दूसरे की मुद्राओं की मांग में बदलाव रुपये की डॉलर के मुकाबले विनिमय दर को सीधे प्रभावित करता है।

विनिमय दर को निर्धारित करने वाले कारकः

- **वस्तुओं का व्यापारः** एक मुख्य कारण जो विनिमय दर को प्रभावित करता है, वह देशों के बीच का व्यापार है। जब कोई देश, जैसे भारत, दूसरे देश, जैसे अमेरिका, से अधिक माल आयात करता है, तो उसे उन आयातों के लिए विदेशी मुद्रा (इस मामले में अमेरिकी डॉलर) प्राप्त करनी पड़ती है। अगर भारत अमेरिका से आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है, तो अमेरिकी डॉलर की मांग भारतीय रुपये की मांग से अधिक हो जाएगी, जिससे रुपये का अवमूल्यन होगा। दूसरे शब्दों में, एक अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होगी।
- **सेवाओं का व्यापारः** माल की तरह, पर्यटन, शिक्षा, और सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग जैसी सेवाएं भी मुद्राओं की मांग में भूमिका निभाती हैं। यदि भारतीय अमेरिका से अधिक सेवाएं खरीदते हैं, जबकि अमेरिकी भारत से कम सेवाएं खरीदते हैं, तो अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपये की कीमत पर दबाव पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर अधिक भारतीय घूमने या पढ़ाई के लिए अमेरिका जाते हैं, तो अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ जाएगी, जिससे रुपया कमजोर होगा।
- **विदेशी निवेशः** विदेशी निवेश भी विनिमय दर को प्रभावित करता है। अगर विदेशी निवेशक, खासकर अमेरिकी, भारत में अधिक निवेश करते हैं, जबकि भारतीय अमेरिका में कम निवेश करते हैं, तो भारतीय रुपये की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया मजबूत होगा। दूसरी ओर, अगर अमेरिकी निवेश भारत में घटता है या भारतीय निवेश अमेरिका में बढ़ता है, तो रुपये की मांग कम होगी, जिससे रुपये का अवमूल्यन होगा।

रुपये की मांग को प्रभावित करने वाले कारकः

- **शुल्क और व्यापार बाधाएंः** सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क और व्यापार बाधाएं मुद्रा की मांग को काफी प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाता है, तो यह भारतीय उत्पादों को महंगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए कम आकर्षक बना देगा। इससे भारतीय वस्तुओं की मांग घट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की मांग कम होगी। कम मांग से रुपया कमजोर होगा, और डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर घट जाएगी।
- **मुद्रास्फीति दर और आर्थिक परिस्थितियांः** मुद्रास्फीति एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो विनिमय दर को प्रभावित करता है। जब कोई देश अपने व्यापारिक भागीदारों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव करता है, तो उसकी मुद्रा का मूल्य तेजी से घटता है। उदाहरण के लिए, अगर भारत में मुद्रास्फीति दर 6% है, जबकि अमेरिका में मुद्रास्फीति शून्य है, तो भारतीय रुपये का वास्तविक मूल्य अमेरिकी डॉलर की तुलना में घट जाएगा। यह निवेश निर्णयों को प्रभावित करता है। विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करना कम आकर्षक

लग सकता है, क्योंकि उनकी आय मुद्रास्फीति से कम हो जाएगी। परिणामस्वरूप, रुपये की मांग कम हो जाएगी, जिससे यह डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाएगा।

- **पूंजी प्रवाह और निवेशक विश्वास:** मुद्रास्फीति के अलावा, निवेशक विश्वास मुद्रा की मांग को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर निवेशकों को लगता है कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है या देश में निवेश करना जोखिमपूर्ण है, तो वे अपना निवेश भारत से निकाल सकते हैं। यह रुपये की मांग में कमी ला सकता है, जिससे यह डॉलर के मुकाबले कमजोर हो सकता है। इसके विपरीत, अगर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ती और निवेश-अनुकूल समझा जाता है, तो रुपये की मांग बढ़ेगी, जिससे मुद्रा मजबूत होगी।

रुपये के कमजोर होने का वर्तमान परिदृश्य:

- **अमेरिकी डॉलर का वैश्विक मजबूत होना:** अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल के वर्षों में ब्याज दरें बढ़ाई हैं, जिससे डॉलर निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया है। उच्च ब्याज दरें अमेरिकी मुद्रास्फीति वाली संपत्तियों पर बेहतर रिटर्न देती हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ती है।
  - अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने मजबूत विकास दिखाया है, जो डॉलर की मांग को और बढ़ाता है। जैसे-जैसे डॉलर मजबूत होता है, एक डॉलर खरीदने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता होती है, जिससे रुपये का अवमूल्यन होता है।
- **भारत का व्यापार असंतुलन:** भारत आयात अधिक और निर्यात कम करता है, जिससे विदेशी मुद्राओं, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर, की अधिक मांग होती है। इन आयातों के भुगतान के लिए भारत को डॉलर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जिससे रुपये पर दबाव पड़ता है।
  - भारत तेल का एक बड़ा आयातक है, जिसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। जैसे-जैसे कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ती हैं, भारत की इन आयातों के लिए डॉलर की मांग बढ़ती है, जिससे रुपये का अवमूल्यन और अधिक होता है।
- **भारत में मुद्रास्फीति का दबाव:** भारत की मुद्रास्फीति दर कई विकसित देशों की तुलना में अधिक रही है। जब भारत में मुद्रास्फीति अधिक होती है, तो रुपये का वास्तविक मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में तेजी से घटता है, जिससे यह विदेशी निवेशकों के लिए कम आकर्षक हो जाता है।
  - उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है भारत में उपभोक्ताओं और व्यवसायों की क्रय शक्ति में कमी। विदेशी निवेशकों के लिए यह संभावित रिटर्न को कम कर देता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश कम होता है। परिणामस्वरूप, रुपये की मांग कम हो जाती है, जिससे इसके मूल्य पर और अधिक दबाव पड़ता है।
- **पूंजी का बहिर्वाह:** जैसे-जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है और निवेश का माहौल कम आकर्षक हो जाता है, विदेशी निवेशक बेहतर रिटर्न के लिए अन्य जगहों की तलाश कर सकते हैं। जब विदेशी निवेशक भारत से अपना निवेश निकालते हैं और अन्य बाजारों में स्थानांतरित करते हैं, तो रुपये की मांग घटती है और अन्य मुद्राओं (जैसे अमेरिकी डॉलर) की मांग बढ़ती है। यह पूंजी प्रवाह का बदलाव रुपये को और कमजोर करता है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा आरक्षित प्रबंधन:

- **विदेशी मुद्रा भंडार:** आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग बाजार में हस्तक्षेप करने और रुपये के अत्यधिक अवमूल्यन को रोकने के लिए करता है। हालांकि, अगर हस्तक्षेप के बावजूद रुपया कमजोर होता रहता है, तो केंद्रीय बैंक अपने भंडार को समाप्त कर सकता है, जो भारत की समग्र आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।
- **ब्याज दर का अंतर:** RBI की मौद्रिक नीति, जिसमें ब्याज दर में बदलाव शामिल है, रुपये की मांग को प्रभावित कर सकती है। अगर भारत की ब्याज दरें वैश्विक दरों की तुलना में कम हैं, तो यह पूंजी के बहिर्वाह का कारण बन सकती हैं, जिससे रुपये पर और अधिक दबाव पड़ता है।

खाद्य मुद्रास्फीति: कृषि और जलवायु नीति में सुधार की आवश्यकता

खाद्य मुद्रास्फीति, यानी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि, भारत के लिए सबसे गंभीर आर्थिक चुनौतियों में से एक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में भोजन और पेय पदार्थों का हिस्सा लगभग 45.86% है, जिससे खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि सीधे हेडलाइन मुद्रास्फीति को प्रभावित करती है। यह न केवल परिवारों और व्यवसायों पर प्रभाव डालती है बल्कि सरकारी नीतियों को भी चुनौती देती है। भारत में, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी आय का अधिकांश भाग भोजन पर खर्च करता है, मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को कम करती है, असमानता को बढ़ाती है और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है। हाल के दिनों में भारत में खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति कुछ हद तक घटकर नवंबर में 9.04% हो गई, जो अक्टूबर में 10.87% थी। हालांकि, गेहूं और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं पर अभी भी चिंता बनी हुई है, जो खाद्य लागत में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कारण:

- भारत में खाद्य मुद्रास्फीति संरचनात्मक, चक्रीय और बाहरी कारकों के मिश्रण से प्रेरित होती है। आपूर्ति की बाधाएं मुख्य चालक हैं, लेकिन मांग कारक भी मुद्रास्फीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन और मौसम की अनिश्चितता:** भारत की कृषि काफी हद तक मानसून पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण अस्थिर हो गया है। हीटवेव, बाढ़, सूखा और असमय बारिश जैसी घटनाएं फसल चक्र को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं, उत्पादन घटाती हैं, और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट पैदा करती हैं।
    - » **हीटवेव:** 2022-23 में उत्तरी भारत में हीटवेव के कारण गेहूं सिकुड़ गया और उत्पादन घट गया। इसी प्रकार, उच्च तापमान से दूध और पोल्ट्री उत्पादन भी प्रभावित हुआ।
    - » **असमय बारिश:** 2023 में प्याज, टमाटर और गेहूं जैसी फसलें कटाई के दौरान भारी बारिश से खराब हो गईं।
    - » **एल नीनो प्रभाव:** 2023 में एल नीनो प्रभाव से अगस्त में रिकॉर्ड सूखा पड़ा, जिससे चावल, दाल और सब्जियों की पैदावार प्रभावित हुई।
- **कमजोर कृषि बुनियादी ढांचा:** भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला में काफी खामियां हैं, विशेष रूप से फलों, सब्जियों और डेयरी जैसे जल्दी ही खराब हो जाने वाले उत्पादों के प्रबंधन में।
    - » **खराब कोल्ड स्टोरेज:** भारत में लगभग 16-18% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, जिससे हर साल 44,000 करोड़ का नुकसान होता है।
    - » **TOP की समस्या:** टमाटर, प्याज और आलू (TOP) जैसी वस्तुओं के मामले में आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं के कारण कीमतें तेजी से बढ़ती हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाएं:** भारत कुछ प्रमुख वस्तुओं, जैसे खाद्य तेल और दालों के लिए आयात पर निर्भर है, जो वैश्विक मूल्य अस्थिरता के प्रति इसे संवेदनशील बनाती हैं।
    - » **रूस-यूक्रेन संघर्ष:** इस संघर्ष ने गेहूं और खाद्य तेल की आपूर्ति को बाधित किया और उनकी कीमतों को बढ़ा दिया।
    - » **खाद्य तेल संकट:** भारत अपनी खाद्य तेल की आवश्यकता का 60% से अधिक आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय झटकों के कारण घरेलू कमी बढ़ जाती है।
- **नीतिगत कारक:** सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), बफर स्टॉक प्रबंधन और आयात-निर्यात प्रतिबंध जैसी नीतियां भी खाद्य मुद्रास्फीति को प्रभावित करती हैं।
    - » **MSP:** यह किसानों को बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करता है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ जाती है।
    - » **निर्यात प्रतिबंध:** उच्च वैश्विक कीमतों के दौरान, चावल और गेहूं जैसे वस्तुओं का निर्यात अधिक लाभदायक हो जाता है, जिससे घरेलू आपूर्ति घटती है।
    - » **बफर स्टॉक प्रबंधन:** भारतीय खाद्य निगम (FCI) से खाद्य भंडारों की देरी से या अपर्याप्त रिलीज के कारण कृत्रिम कमी उत्पन्न होती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **इनपुट लागत में वृद्धि:** खाद, कीटनाशकों और डीजल जैसे इनपुट की बढ़ती लागत उपभोक्ताओं पर बोझ डालती है।
    - » **उर्वरक संकट:** रूस-यूक्रेन युद्ध ने उर्वरक की आपूर्ति को बाधित किया।
    - » **ईंधन की कीमतें:** परिवहन लागत बढ़ने से खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है।
- **उपभोग पैटर्न में बदलाव:** मध्यम वर्ग के बढ़ने के साथ, भारत में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों (जैसे अंडा, दूध, मांस) की मांग बढ़ रही है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि स्थिर है।

खाद्य मुद्रास्फीति के प्रभाव:

- **क्रय शक्ति का ह्रास:** खाद्य मुद्रास्फीति कम आय वाले परिवारों को अधिक प्रभावित करती है, क्योंकि उनकी आय

का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।

- » इससे परिवार स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक खर्चों में कटौती करने को मजबूर होते हैं।
- » लगातार मुद्रास्फीति वास्तविक मजदूरी को कम कर देती है, जिससे जीवन स्तर में गिरावट आती है।

- **समग्र मुद्रास्फीति पर प्रभाव:** खाद्य मुद्रास्फीति के कारण समग्र मुद्रास्फीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
  - » इससे भविष्य में मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, जिससे मजदूरी की मांग और गैर-खाद्य कीमतें प्रभावित होती हैं।
  - » इसके कारण आरबीआई को मौद्रिक नीति को सख्त करना पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास धीमा हो सकता है।
- **खाद्य सुरक्षा पर खतरा:** खाद्य मुद्रास्फीति पौष्टिक खाद्य पदार्थों तक पहुंच को बाधित करती है, जिससे कुपोषण और स्टंटिंग बढ़ती है।
- **राजनीतिक और सामाजिक अशांति:** खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि अक्सर जनता में असंतोष और विरोध प्रदर्शनों का कारण बनती है।

सरकार द्वारा खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के प्रयास:

- सरकार ने खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कई रणनीतियाँ अपनाई हैं, जो तत्काल हस्तक्षेप और दीर्घकालिक सुधारों दोनों पर केंद्रित हैं।
- **तत्काल उपाय:**
  - » **मूल्य स्थिरीकरण कोष (PSF):** प्याज, टमाटर और दालों की कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए।
  - » **भंडारण सीमा:** आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण।
  - » **निर्यात प्रतिबंध:** चावल और चीनी जैसे वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना।
- **दीर्घकालिक सुधार:**
  - » **कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश:** सिंचाई, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन नेटवर्क में सुधार।
  - » **घरेलू उत्पादन में बढ़ावा:** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (NFSM) जैसे कार्यक्रमों के तहत आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन।
  - » **फसल विविधता को बढ़ावा देना:** किसानों को उच्च-मूल्य वाली फसलें उगाने और स्थायी प्रथाएँ अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि मानसून पर निर्भर प्रमुख फसलों पर निर्भरता कम की जा सके।

खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ:

भारत, खाद्य मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए वैश्विक अनुभवों से कुछ महत्वपूर्ण सीख ले सकता है:

- **सटीक कृषि (इजराइल):** जल और उर्वरक के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, जो उत्पादकता को बढ़ा सकता है और अपव्यय को कम कर सकता है।
- **बफर स्टॉक तंत्र (चीन):** आपूर्ति संकट के दौरान कीमतों को स्थिर करने के लिए बड़े रणनीतिक भंडार बनाए रखना।
- **फसल बीमा (अमेरिका):** किसानों को जलवायु जोखिमों से बचाने और स्थिर उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक बीमा योजनाएँ।

आगे की राह:

समग्र रणनीति के तहत मुद्रास्फीति को संबोधित करना

- **जलवायु सहनशीलता बढ़ाना:**
  - » सूखा-प्रतिरोधी और गर्मी सहने वाले फसलों का विकास।
  - » ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा देना।
- **आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना:**
  - » कोल्ड स्टोरेज और गोदामों का विस्तार।
  - » ग्रामीण सड़कों और परिवहन नेटवर्क में सुधार।
- **घरेलू उत्पादन बढ़ाना:**
  - » दालों और तिलहनों के उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना।
  - » टिकाऊ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहन।
- **नीतिगत सुधार:**
  - » MSP नीतियों को तर्कसंगत बनाना।
  - » सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को सुव्यवस्थित करना।
- **आहार विविधता को बढ़ावा देना:**
  - » स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते और पौष्टिक खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

यूपीआई धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) धोखाधड़ी के मामलों में 85% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में धोखाधड़ी की घटनाओं की संख्या 7.25 लाख (2023) से बढ़कर 13.42 (2024) लाख हो गई। इन धोखाधड़ी वाले लेन-देन का कुल मूल्य भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ा, जो पिछले वर्ष के 573 करोड़ से बढ़कर 1,087 करोड़ तक पहुँच गया।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा बैंकों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की सुविधा के लिए विकसित किया गया है। यह मोबाइल उपकरणों के माध्यम से

निर्बाध, सुरक्षित और त्वरित डिजिटल लेनदेन को सक्षम बनाता है।

यूपीआई धोखाधड़ी के प्रकार

- **फिशिंग हमले:** यह धोखाधड़ी का सबसे सामान्य रूप है, जिसमें हमलावर भ्रामक ईमेल या संदेशों का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं से यूपीआई पिन या बैंक खाता विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त कर लेते हैं।
- **मैलवेयर हमले:** यह दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर स्मार्टफोन को निशाना बनाकर यूपीआई ऐप्स से समझौता कर सकते हैं और संवेदनशील डेटा चुरा सकते हैं। इस प्रकार के हमलावरों को उपयोगकर्ता के डिवाइस तक दूर से पहुँच प्राप्त करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेन करने की अनुमति मिलती है।
- **सोशल इंजीनियरिंग धोखाधड़ी:** इस प्रकार में धोखेबाज पीड़ितों में तात्कालिकता या भय की भावना पैदा करके (जैसे कि बैंक अधिकारी या पुलिस अधिकारी होने का दिखावा कर) संवेदनशील जानकारी निकालने या दबाव में लेनदेन करने के लिए उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं।

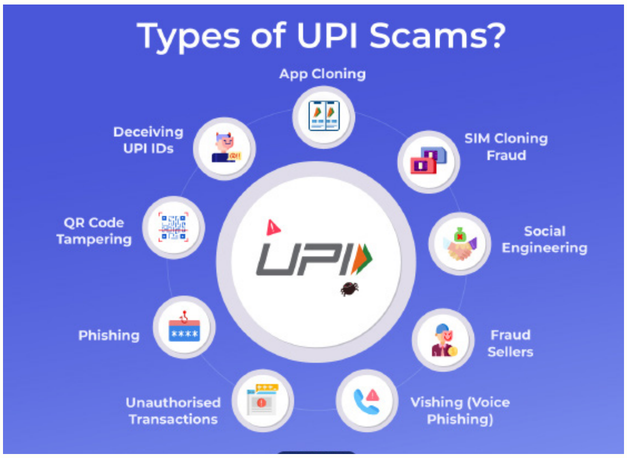

मुख्य बिंदु:

- **धोखाधड़ी के मामलों में वृद्धि:** यूपीआई धोखाधड़ी की घटनाएं वित्त वर्ष 2023 में 7.25 लाख से बढ़कर 2024 में 13.42 लाख हो गई, जिसमें कुल वित्तीय मूल्य लगभग दोगुना हो गया, जो साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय नुकसान में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है।
- **यूपीआई का बढ़ता प्रचलन:** यूपीआई लेन-देन में लगातार वृद्धि देखी जा रही हैं, हालांकि यह वृद्धि सकारात्मक है। लेकिन इससे धोखेबाजों के लिए और भी अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।
- **वित्त वर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी की घटनाएं:** वित्त वर्ष 2024-25 के पहले महीनों में 6.32 लाख धोखाधड़ी की घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 485 करोड़ की राशि शामिल थी। यह पिछले वर्ष की कुल राशि का लगभग आधा है, जोकि एक खतरनाक प्रवृत्ति को उजागर करता है।
- **विकास के साथ बढ़ी भेद्यता:** जैसे-जैसे यूपीआई का प्रचलन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है, डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण उपयोगकर्ता धोखाधड़ी के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहे हैं। धोखेबाज अब फर्जी कॉल और संदेश जैसे भ्रामक तरीकों का उपयोग कर रहे हैं।

भारत में साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए पहल:

- **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी):** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- **सर्ट-इन:** साइबर सुरक्षा मार्गदर्शन प्रदान करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी।
- **पीएमजी दिशा:** एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम जिसका उद्देश्य ग्रामीण भारत को सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं के बारे में शिक्षित करना है।
- **साइबर स्वच्छता केंद्र:** बॉटनेट संक्रमण का पता लगाता है और साइबर खतरों से उपकरणों और नेटवर्क को सुरक्षित रखने में मदद करता है।
- **सुरक्षा उपाय:** सरकार और आरबीआई ने सीपीएफआईआर, डिवाइस बाइंडिंग, पिन-आधारित प्रमाणीकरण और लेनदेन सीमा जैसे उपाय पेश किए हैं।
- **जन जागरूकता और रिपोर्टिंग:** राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और जागरूकता अभियान जैसी पहलों का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना और धोखाधड़ी को कम करना है, हालांकि धोखेबाजों की बदलती रणनीति के लिए अधिक उन्नत समाधानों की आवश्यकता हो सकती है।

पर्यटन अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने 23 राज्यों में 40 प्रमुख पर्यटन परियोजनाओं के लिए 3,295.76 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। इस पहल का उद्देश्य भारत के पर्यटन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, प्रमुख स्थलों को वैश्विक आकर्षण में बदलना, टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

निवेश की मुख्य विशेषताएं:

- **शामिल क्षेत्र:** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष सहायता (SASCI) योजना के तहत पूंजी निवेश से 23 राज्यों में पर्यटन स्थलों का आधुनिकीकरण और उन्नयन किया जाएगा।
- **परियोजनाएं:** प्रमुख परियोजनाओं में गंडिकोटा किला, पुष्करम घाट (आंध्र प्रदेश), सियांग एडवेंचर और इको-टूरिज्म (अरुणाचल प्रदेश), असम चिड़ियाघर और बॉटनिकल गार्डन, रोरिक एस्टेट (बेंगलुरु), उमियम झील (शिलांग), नाथुला दर्रा (सिक्किम), ऋषिकेश राफ्टिंग स्टेशन और सिंधुदुर्ग अंडरवाटर

टूरिज्म (महाराष्ट्र) शामिल हैं।

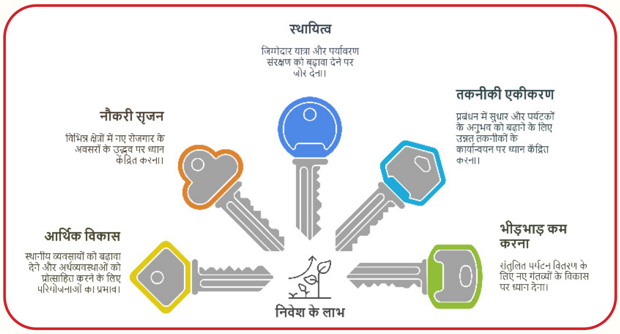

निवेश के लाभ:

- **आर्थिक विकास:** ये परियोजनाएं पर्यटन को आकर्षित करके, आतिथ्य, परिवहन और खुदरा व्यापार को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेंगी।
- **रोजगार सृजन:** निर्माण, पर्यटन सेवाओं और बुनियादी ढांचा प्रबंधन में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- **स्थिरता:** कई परियोजनाएं पारिस्थितिकी पर्यटन और हरित पहल पर केंद्रित हैं, जो जिम्मेदार यात्रा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं।
- **तकनीकी एकीकरण:** सरकार डिजिटल टिकटिंग और आगंतुक ट्रैकिंग जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे प्रबंधन में सुधार और पर्यटक अनुभव को बढ़ावा मिलेगा।
- **भीड़भाड़ कम करना:** सरकार का उद्देश्य नए पर्यटन स्थलों का विकास करके लोकप्रिय स्थलों पर भीड़भाड़ को कम करना है, जिससे पर्यटन का संतुलित वितरण संभव हो सके।

भारत में पर्यटन क्षेत्र के बारे में:

- भारत, अपनी विविध भौगोलिक विशेषताओं और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के साथ, पर्यटन के लिए अनंत संभावनाएं प्रस्तुत करता है। इस दिशा में सरकार ने आध्यात्मिक पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य तीर्थयात्रियों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहे हैं।
- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख अंग हैं, जोकि न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित करने में योगदान करते हैं, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को भी प्रेरित करते हैं। पर्यटन न केवल भारत के गौरवपूर्ण इतिहास और विविध संस्कृति का प्रदर्शन करता है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और समृद्धि के नए अवसर भी उत्पन्न करता है।

पर्यटन क्षेत्र के लिए प्रमुख पहल:

- 2024 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र के लिए 2,449.62 करोड़ (294.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किए हैं, जोकि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 44.7% की वृद्धि है।

महत्वपूर्ण पहल:

- **स्वदेश दर्शन योजना (SD 2.0):** थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका उन्नत संस्करण SD 2.0, व्यापक विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार पर केंद्रित है।
- **गंतव्य-आधारित कौशल विकास:** स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने पर्यटन सेवाओं में सुधार और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने के लिए 145 गंतव्यों पर 12,187 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2024-25 जारी की है, जिसमें विश्व स्तर पर वेतन प्रवृत्तियों, वेतन असमानता तथा वास्तविक वेतन वृद्धि से संबंधित प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट वर्ष 2008 से प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है और विभिन्न देशों में वेतन वितरण और उसमें होने वाले परिवर्तनों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- **वेतन असमानता में कमी:**
  - » वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक स्तर पर लगभग दो-तिहाई देशों में मजदूरी असमानता औसतन 11.1% प्रति वर्ष की दर से कम हुई है।
  - » यह प्रवृत्ति विभिन्न देशों में वेतन असमानताओं को कम करने की दिशा में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।
- **वैश्विक वेतन वृद्धि:**
  - » हाल के वर्षों में वैश्विक मजदूरी मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है।
  - » 2024 में वास्तविक वैश्विक मजदूरी में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जोकि पिछले 15 वर्षों में सर्वाधिक है।
  - » वैश्विक वास्तविक मजदूरी में पिछले वर्ष 1.8% की वृद्धि हुई।
- **क्षेत्रीय असमानताएँ:**
  - » अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के कुछ हिस्सों में वास्तविक मजदूरी वृद्धि स्थिर या नकारात्मक रही है।
  - » इसके विपरीत, एशिया और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वेतन वृद्धि अधिक रही है, जोकि इन क्षेत्रों में आर्थिक सुधार को दर्शाती है।
- **निरन्तर वेतन असमानता:**
  - » वेतन असमानता में वैश्विक कमी के बावजूद, महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं। कम आय वाले देश उच्च आय

वाले देशों की तुलना में काफी अधिक वेतन असमानता से पीड़ित हैं, लगभग 22% श्रमिक औसत प्रति घंटा वेतन के आधे से भी कम कमाते हैं।

- **उत्पादकता और मजदूरी का पृथक्करण:**
  - » उच्च आय वाले देशों में, 1999 से 2024 तक उत्पादकता में 29% की वृद्धि हुई, फिर भी वास्तविक मजदूरी में केवल 15% की वृद्धि हुई, जोकि उत्पादकता लाभ के असमान वितरण को उजागर करता है।
- **लैंगिक वेतन अंतर:**
  - » महिलाओं को, विशेष रूप से निम्न-मध्यम आय वाले देशों में, अनौपचारिक, अनिश्चित और कम वेतन वाले कार्यों में उनकी अधिक उपस्थिति के कारण, असमान वेतन असमानता का सामना करना पड़ रहा है।

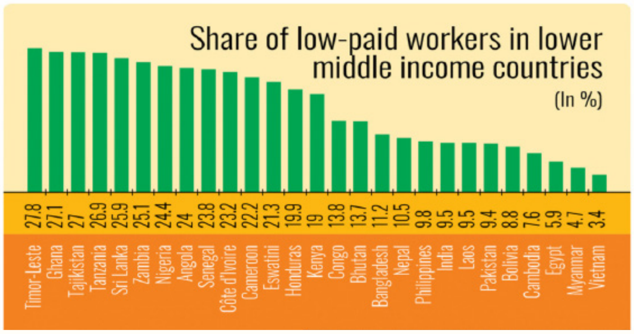

भारतीय परिदृश्य:

- 2008 और 2018 के बीच , भारत में कम वेतन वाले श्रमिकों (औसत प्रति घंटा वेतन का 50% से कम कमाने वाले) की हिस्सेदारी में सालाना 6.3% की कमी आई।
- इसी अवधि में कम वेतन वाले गैर-मजदूरी श्रमिकों की संख्या में वार्षिक 12.7% की गिरावट देखी गई। भारत में दोनों श्रेणियां के श्रमिकों की गिरावट की संयुक्त दर प्रति वर्ष 11.1% थी।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में 9.5% वेतनभोगी कर्मचारी औसत वेतन के 50% से भी कम कमाते हैं, जोकि इसके पड़ोसी देशों- पाकिस्तान (9.4%), नेपाल (10.5%), बांग्लादेश (11.2%), भूटान (13.7%) और श्रीलंका (25.9%) की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।

अनुशंसाएँ:

- **न्यूनतम वेतन समायोजन:** न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए, ताकि विशेष रूप से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की क्रय शक्ति बनी रहे और वे आर्थिक असमानता से सुरक्षित रहें।
- **श्रमिक सुरक्षा:** अनिश्चित और असुरक्षित कार्य से निपटने के लिए नियमों और नीतियों को मजबूत करना आवश्यक है।
- **लैंगिक वेतन अंतर:** समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करके लिंग वेतन अंतर को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

आईएलओ के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की स्थापना 1919 में वर्साय की संधि के तहत हुई थी और 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की पहली विशिष्ट एजेंसी बन गयी।
- वर्तमान में इसके 187 सदस्य देश हैं और यह श्रम मानक निर्धारित करने, नीतियां विकसित करने तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सभ्य कार्य को बढ़ावा देने के लिए काम करता है।
- आईएलओ एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जोकि सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है।
- **मुख्यालय:** जिनेवा, स्विट्जरलैंड।

आईएलओ की प्रमुख रिपोर्टें:

- विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य (WESO)
- वैश्विक वेतन रिपोर्ट
- विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
- युवाओं के लिए विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण
- कार्य की विश्व रिपोर्ट (World of Work Report)

एसोचैम-ईग्रो अध्ययन: एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान

चर्चा में क्यों?

एसोचैम-ईग्रो द्वारा भारतीय एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत, इस क्षेत्र के विकास को समर्थन देने और उसकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए समाध ान सुझाए गए हैं।

एमएसएमई के समक्ष चुनौतियाँ:

- **वित्तीय चुनौतियाँ:** एमएसएमई को पारदर्शी ऋण स्वीकृति प्रक्रियाओं तक पहुंच बनाने में कठिनाई होती है तथा उच्च ब्याज दरों और अप्रयुक्त ऋण शुल्कों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- **अनुपालन चुनौतियाँ:** जीएसटी की जटिलता और स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) का बोझ एमएसएमई के लिए अनुपालन को कठिन बना देता है।

प्रस्तावित समाधान:

- **सरलीकृत जीएसटी:** एमएसएमई के लिए विनियामक बाध्यता को कम करने के लिए अधिक सुव्यवस्थित जीएसटी प्रणाली की सिफारिश की गई है।
- **कम टीडीएस:** अध्ययन में टीडीएस का बोझ कम करने के लिए केवल जरूरी भुगतानों पर कटौती और कुछ एमएसएमई के लिए टर्नओवर के आधार पर सरल कर प्रणाली लागू करने का

सुझाव दिया गया है।

- **कॉर्पोरेट कर में कमी:** व्यापार वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए एमएसएमई के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 25% से घटाकर 15% की जानी चाहिए।
- **वित्तीय समाधान:** एमएसएमई-विशिष्ट बांड और म्यूचुअल फंड की शुरूआत की सिफारिश की गई है और लघु वित्त बैंकों का विस्तार, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, ताकि वित्तीय तरलता में सुधार हो और अधिक से अधिक एमएसएमई को वित्तीय सहायता मिल सके।

एमएसएमई के बहुआयामी विकास हेतु सुझाव:

- **एमएसएमई-विशिष्ट संस्थान:** अध्ययन में प्रत्येक राज्य में एमएसएमई विश्वविद्यालयों के निर्माण की सिफारिश की गई है, ताकि अनुसंधान एवं विकास, वित्त, विपणन, और प्रशिक्षण जैसी व्यापक सहायता प्रदान की जा सके। इससे एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करने और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- **कौशल विकास:** कौशल भारत मिशन को राज्य-विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ उन्नत किया जाना चाहिए। एमएसएमई और उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच बेहतर समन्वय की सिफारिश की गई है, ताकि एक कुशल कार्यबल का निर्माण हो सके, जो एमएसएमई विकास का समर्थन कर सके।
- **बुनियादी ढांचा:** परीक्षण केंद्रों, वित्तीय संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचा टाउनशिप का विकास पूरे भारत में एमएसएमई समूहों को समर्थन प्रदान कर सकता है।

एमएसएमई को परिभाषित करना:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये रोजगार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और निर्यात में प्रमुख योगदान देते हैं।
- एमएसएमई का वर्गीकरण उनके संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में निवेश के आधार पर किया जाता है:
  - » **सूक्ष्म उद्यम:** 1 करोड़ तक का निवेश और 5 करोड़ तक का कारोबार।
  - » **लघु उद्यम:** 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार।
  - » **मध्यम उद्यम:** 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच निवेश और 250 करोड़ तक का कारोबार।

भारत की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई का महत्व:

- एमएसएमई भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 30%, विनिर्माण उत्पादन में 45% और निर्यात में 46% का योगदान करते हैं (वित्त वर्ष 2024 तक)।
- भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि 2047 तक 3.5 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 22.8 ट्रिलियन डॉलर हो जाने की संभावना है। इस आर्थिक परिवर्तन में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

भू-राजनीतिक परिवर्तनों के बीच भारत का व्यापार परिदृश्य

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के चलते वैश्विक स्तर पर विनिर्माण विविधीकरण की प्रवृत्ति तेज हुई है, जिससे 'चीन प्लस वन' रणनीति को बढ़ावा मिला है। हालांकि, इस रणनीति का पूरा लाभ उठाने में भारत को अब तक सीमित सफलता मिली है। रिपोर्ट में विशेष रूप से अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनावों के मद्देनजर भारत के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला गया है, जोकि भारत के व्यापारिक विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भू-राजनीतिक संदर्भ:

- **अमेरिका-चीन व्यापार तनाव**
  - » **अमेरिकी प्रतिबंध:** अमेरिका ने चीन की तकनीकी वृद्धि को कम करने के लिए चिप बनाने वाले उपकरणों और उच्च बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स जैसी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर निर्यात प्रतिबंध लगा दिया है।
  - » **चीन की प्रतिक्रिया:** चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उच्च तकनीक विनिर्माण के लिए आवश्यक गैलियम और जर्मेनियम जैसी प्रमुख सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- **भारत का आर्थिक अवसर:** भारत वैश्विक व्यापार में आए इन विचलनों से लाभ उठाने की बेहतर स्थिति में है। हालांकि, इन अवसरों का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसे अपने आंतरिक चुनौतियों का समाधान करने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, कई वैश्विक बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जोकि विकास के लिए पर्याप्त संभावनाओं को दर्शाता है।

"चीन प्लस वन" रणनीति में चुनौतियाँ:

- **अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा:** वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया और कंबोडिया निम्नलिखित कारणों से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक आकर्षित कर रहे हैं:
  - » **कम लागत:** सस्ता श्रम और सरल विनियामक प्रक्रियाएँ।
  - » **सक्रिय मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए):** अधिक एफटीए पर हस्ताक्षर करने से इन देशों ने अपनी व्यापारिक पहुंच का विस्तार किया है।
- **भारत के घरेलू मुद्दे:**
  - » भारत की श्रम और उत्पादन लागत अपेक्षाकृत अधिक है।
  - » जटिल नियमों के कारण व्यवसायों के लिए परिचालन करना तथा निवेश आकर्षित करना कठिन हो जाता है।
- **क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियाँ (लौह एवं इस्पात उद्योग):** भारत

का लोहा और इस्पात क्षेत्र, जोकि यूरोपीय संघ को उसके निर्यात का 23.5% हिस्सा है, नई यूरोपीय संघ नीतियों के कारण दबाव में है:

- » **कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM):** यूरोपीय संघ ने उच्च कार्बन उत्सर्जन वाले लोहा, इस्पात और एल्युमीनियम आयातों पर 20-35% टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जिससे लागत बढ़ेगी और भारतीय निर्यात की मांग घटेगी।
- » **अनुपालन लागत:** भारतीय कंपनियों को कार्बन उत्सर्जन की विस्तृत रिपोर्टिंग के लिए अधिक निवेश करना होगा, जिससे उनकी लागत बढ़ जाएगी।
- » **निर्यात में गिरावट:** वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कमजोर घरेलू मांग और चीन की अधिक आपूर्ति के कारण भारतीय लोहा और इस्पात निर्यात में 33% की गिरावट दर्ज की गई।

रणनीतिक सिफारिशें:

- **निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार:**
  - » उत्पादों में विविधता लाएं और नए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तलाशें।
  - » निर्यातकों की लागत कम करने के लिए विनियमों को सरल बनाएं।
- **टैरिफ नीतियों पर पुनर्विचार:**
  - » अत्यधिक उच्च टैरिफ से बचें जोकि डाउनस्ट्रीम उद्योगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकते हैं।
- **वैश्विक तनाव का उपयोग:**
  - » वर्तमान में चल रहे अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष का उपयोग भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए करना चाहिए, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाए हैं।
- **मुक्त व्यापार समझौतों पर फोकस:**
  - » बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ एफटीए को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना।

एफसीएनआर (बी) जमा पर ब्याज दर सीमा बढ़ी

चर्चा में क्यों?

भारत की वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक [एफसीएनआर (बी)] जमा पर ब्याज दर की सीमा बढ़ा दी है।

एफसीएनआर (बी) जमा के बारे में:

- एफसीएनआर (बी) जमा एक विदेशी मुद्रा सावधि जमा है, जिसे अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए भारतीय बैंकों में खोला जा सकता है।

विशेषताएँ:

- अनिवासी भारतीयों को विदेशी मुद्राओं में बचत जमा करने की सुविधा मिलती है, जिससे वे विनिमय दर जोखिम से बच सकते हैं।
- इन जमा का कार्यकाल 1 वर्ष से 5 वर्ष तक होता है।
- भारत को निवेश स्थल के रूप में और अधिक आकर्षक बनाने के लिए एफसीएनआर (बी) जमाओं के लिए ब्याज दर की अधिकतम सीमा में संशोधन किया गया है।

संशोधित ब्याज दर सीमा:

जमा अवधि	पिछली सीमा	नई सीमा
1 वर्ष से 3 वर्ष से कम	ओवरनाइट एआरआर + 250 आधार अंक (बीपीएस)	ओवरनाइट ARR + 400 बीपीएस
3 वर्ष से 5 वर्ष	ओवरनाइट ARR + 350 बीपीएस	ओवरनाइट ARR + 500 बीपीएस

ये परिवर्तन 31 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

महत्व:

- ब्याज दरों में वृद्धि का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों के माध्यम से भारत में एनआरआई निवेश को बढ़ाना है:
  - » **विदेशी पूंजी प्रवाह को बढ़ावा:** उच्च ब्याज दरें एनआरआई के लिए एफसीएनआर (बी) जमा को अधिक आकर्षक बनाती हैं, जिससे विदेशी निवेश में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है।
  - » **भारतीय रुपया को मजबूत बनाना:** पूंजी प्रवाह से रुपये को स्थिर करने और भारत के भुगतान संतुलन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) पर प्रभाव:

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) का प्रवाह मजबूत बना हुआ है:

- **2024-25 (अप्रैल-दिसंबर):**
  - » शुद्ध एफपीआई प्रवाह 9.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जोकि मुख्य रूप से ऋण भाग में था।
  - » बाह्य वाणिज्यिक उधारी और अनिवासी जमा से बढ़ता प्रवाह भारत में निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।

वैकल्पिक संदर्भ दर (ARR) के बारे में:

- ARR एक बेंचमार्क ब्याज दर है, जिसका उपयोग LIBOR (लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट) जैसी पारंपरिक दरों के विकल्प के रूप में किया जाता है।
- **भारत में:**
  - » यह ओवरनाइट मार्केट रेपो दरों पर आधारित है, जोकि अल्पकालिक उधारी की लागत को दर्शाती है।

» एफसीएनआर (बी) के लिए जमा दरें प्रचलित बाजार स्थितियों के अनुरूप होती हैं।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

चर्चा में क्यों?

भारत ने अप्रैल 2000 से सितंबर 2024 तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह में 1 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत के बढ़ते आकर्षण को उजागर करती है और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद विदेशी निवेशकों के लिए इसके आकर्षण को दर्शाती है।

एफडीआई प्रवाह में प्रमुख रुझान

- **प्रमुख मार्गों से एफडीआई:**
  - » मॉरीशस और सिंगापुर सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं, जिनकी कुल एफडीआई में 49% हिस्सेदारी है। अमेरिका 10% के साथ दूसरे स्थान पर है। नीदरलैंड, जापान, यूके और यूएई जैसे अन्य देश भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
- **एफडीआई का क्षेत्रीय फोकस:**
  - » सेवाएं एफडीआई के लिए सबसे बड़ा क्षेत्र बनी हुई हैं, जोकि दूरसंचार, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और व्यापार जैसे उद्योगों द्वारा संचालित हैं।
  - » पिछले दशक में विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई में 69% की वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स में।
  - » उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) जैसी सरकारी पहलों ने विनिर्माण को बढ़ावा दिया है और अधिक एफडीआई आकर्षित किया है।

पिछले दशक में वृद्धिः

- भारत में 2014 और 2024 के बीच एफडीआई प्रवाह में 119% की वृद्धि हुई, जोकि 667.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है।

एफडीआई नीति में सरकार की भूमिकाः

- भारत सरकार नियमित रूप से एफडीआई नीतियों की समीक्षा करती है और उन्हें समायोजित करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश निवेशक-अनुकूल बना रहे। इसी के अंतर्गत विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) जैसे क्षेत्रों में सुधार का उद्देश्य निवेश के माहौल को बेहतर बनाना है।

चुनौतियाँ और संभावित जोखिमः

- **भू-राजनीतिक जोखिमः** भू-राजनीतिक तनाव और बदलती वैश्विक व्यापार नीतियां एफडीआई प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन की आर्थिक नीतियों में बदलाव से निवेशकों के विश्वास में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
- **प्रमुख बाजारों में नीतिगत बदलावः** प्रमुख एफडीआई स्रोत देशों में नीतिगत बदलाव से प्रवाह धीमा हो सकता है। हालांकि, भारत के निरंतर संरचनात्मक सुधारों से ऐसे जोखिमों को कम करने की उम्मीद है।
- **विनियामक वातावरणः** हालांकि भारत ने एफडीआई नीतियों को उदार बनाया है, लेकिन नौकरशाही की देरी और जटिल विनियमन जैसी चुनौतियां अभी भी व्यापार करने में आसानी में बाधा डालती हैं। भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए और सुधारों की आवश्यकता है।

निरंतर विकास के लिए रणनीतिक उपायः

- **संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करनाः** निवेश वातावरण को सरल बनाने और अधिक एफडीआई आकर्षित करने के लिए कराधान, श्रम कानून और विलय एवं अधिग्रहण प्रक्रियाओं जैसे क्षेत्रों में सुधारों को लागू करना जारी रखना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ानाः** बुनियादी ढांचे में केंद्रित निवेश, विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से, विदेशी निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहित करेगा तथा व्यापार करने में आसानी को बढ़ाएगा।
- **कार्यबल को कुशल बनानाः** कुशल कार्यबल का निर्माण भारत को वैश्विक बाजारों में, विशेष रूप से उच्च तकनीकी और विनिर्माण क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में सहायक होगा।
- **डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देनाः** प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में निवेश के जरिए डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने से दीर्घकालिक मूल्य सृजन में मदद मिलेगी और भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सहारा मिलेगा।

महत्वपूर्ण शब्दावली

- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक प्रकार का निवेश है, जिसमें एक देश की कंपनी या व्यक्ति दूसरे देश में व्यवसाय संचालन स्थापित करता है या अधिग्रहण करता है। एफडीआई रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विकास और तकनीकी उन्नति को बढ़ावा देता है।
- **स्वचालित और सरकारी स्वीकृति मार्गः** भारत में, अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति देते हैं, जहाँ विदेशी निवेशकों को निवेश करने के बाद केवल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को सूचित करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, दूरसंचार और मीडिया जैसे क्षेत्रों में निवेश से पहले सरकारी स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

आईएलओ की सोशल डायलॉग रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने 11 दिसंबर, 2024 को अपनी सोशल डायलॉग रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरकारों से बुनियादी श्रमिक अधिकारों, विशेष रूप से संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का पालन करने का आग्रह किया गया। रिपोर्ट में पीक-लेवल सोशल डायलॉग (PLSD) को न्यायपूर्ण और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में रेखांकित किया गया है।

श्रम अधिकार और सोशल डायलॉग पर मुख्य निष्कर्ष:

- रिपोर्ट में पाया गया कि 2015 से 2022 के बीच संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अनुपालन में 7% की गिरावट आई है। यह गिरावट नियोक्ताओं और श्रमिकों दोनों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण हुई।
- रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि सोशल डायलॉग आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने और निम्न-कार्बन और डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में समावेशी परिवर्तन बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- सोशल डायलॉग को मजबूत करके, देश आर्थिक चुनौतियों से निपट सकते हैं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकते हैं।

शिखर-स्तरीय सामाजिक संवाद (पीएलएसडी) का महत्व:

- PLSD सरकार के प्रतिनिधियों, नियोक्ता संगठनों और श्रमिक संगठनों को एक साथ लाकर श्रम, आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर बातचीत, परामर्श और जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ावा देता है। इसमें शामिल हैं:
  - » **द्विपक्षीय प्रक्रियाएँ:** केवल नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के बीच बातचीत।
  - » **त्रिपक्षीय प्रक्रियाएँ:** सरकार, नियोक्ता और श्रमिकों को नीति निर्माण में शामिल करना।
- रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि PLSD, विशेष रूप से अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए नीति निर्माण में प्रभावी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे श्रम नीतियाँ समावेशी और न्यायपूर्ण हो सकें।

सोशल डायलॉग को मजबूत करने के लिए सिफारिशें:

- **मौलिक अधिकारों का पालन करें:** सरकारों को संगठन की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए।
- **श्रम प्रशासन को सुसज्जित करें:** सरकारों को श्रम प्रशासन और सामाजिक भागीदारों को प्रभावी PLSD भागीदारी के लिए संसाधन और तकनीकी क्षमताएं प्रदान करनी चाहिए।
- **आउटरीच का विस्तार करें:** राष्ट्रीय सामाजिक संवाद संस्थानों (NSDIs) को अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों, जैसे गिग वर्कर्स तक अपनी पहुंच बढ़ानी चाहिए।
- **सोशल डायलॉग प्रक्रियाओं का मूल्यांकन करें:** नियमित, साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन से PLSD की सामाजिक-आर्थिक निर्णय-निर्माण में प्रभावशीलता का आकलन किया जाना चाहिए।

केस स्टडी: राजस्थान का प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड:

- रिपोर्ट में राजस्थान द्वारा प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण और कल्याण) विधेयक की शुरुआत को उजागर किया गया है, जिससे राजस्थान प्लेटफॉर्म-आधारित गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना हुई है।
- इस बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि, गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर्स और सिविल सोसाइटी के 12 सदस्य शामिल हैं, जिसका उद्देश्य गिग वर्कर्स के कल्याण और अधिकारों में सुधार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के बारे में

- ☑ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO), 1919 में स्थापित, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो सामाजिक न्याय और न्यायपूर्ण श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करता है और श्रमिक अधिकारों की वकालत करता है।
- ☑ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को साथ लाकर गरिमापूर्ण काम और आर्थिक प्रगति के लिए नीतियाँ विकसित करता है।
- ☑ इसके प्रयास श्रम अधिकार, सामाजिक संरक्षण और स्थायी रोजगार पर केंद्रित होते हैं ताकि एक न्यायपूर्ण और अधिक समावेशी वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सके।

सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) अनुपात

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित संपतियो (NPA) अनुपात सितंबर 2024 के अंत तक घटकर 2.5% रह गया, जोकि पिछले 13 वर्षों में सबसे कम स्तर है। यह मार्च 2024 के अंत में दर्ज 2.7% के सकल NPA अनुपात की तुलना में और अधिक सुधार को दर्शाता है।

सकल एनपीए अनुपात और शुद्ध एनपीए क्या है?

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियाँ (GNPA) अनुपात बैंकों द्वारा दिए गए कुल ऋणों के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है, जोकि सहमत शर्तों के अनुसार चुकाए नहीं जा रहे हैं। इन ऋणों को गैर-निष्पादित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि

उधारकर्ता एक निश्चित अवधि, आमतौर पर 90 दिन या उससे अधिक समय तक मूलधन या ब्याज चुकाने में असमर्थ रहते हैं।

- शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियाँ (NNPA) उन गैर-निष्पादित आस्तियों का हिस्सा होती हैं, जोकि खराब ऋणों के लिए बैंकों द्वारा बनाए गए प्रावधानों (आरक्षित राशि) को घटाने के बाद शेष रहती हैं। मार्च 2024 के अंत में, NNPA अनुपात घटकर 0.62% हो गया था और सितंबर 2024 तक इसमें और सुधार होकर यह 0.57% हो गया।

सकल एनपीए अनुपात में सुधार का कारण:

- सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) अनुपात में गिरावट का कारण बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality), मजबूत वसूली और पहले गैर-निष्पादित (Non-Performing) माने गए ऋणों का उन्नयन (upgradation) है। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक बैंकों की समग्र बैलेंस शीट (Balance Sheet) निरंतर ऋण और जमा (Deposits) के विस्तार के साथ मजबूत बनी हुई है।

किस सेक्टर में सबसे ज्यादा और सबसे कम सकल NPA अनुपात है?

- सितंबर 2024 के अंत में, कृषि क्षेत्र का सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) अनुपात सबसे अधिक 6.2% था, जबकि खुदरा ऋण क्षेत्र में यह सबसे कम 1.2% दर्ज किया गया। शिक्षा ऋणों के GNPA अनुपात में मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% तक की महत्वपूर्ण कमी दर्ज की गई।

स्लिपेज अनुपात क्या है?

- स्लिपेज अनुपात (Slippage Ratio) उस दर को मापता है, जिस पर वर्ष की शुरुआत में मानक अग्रिम (standard advances) एनपीए (NPA) में बदल जाते हैं। यह दिखाता है कि एक निश्चित अवधि में कितने ऋण खराब हो रहे हैं। RBI की रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के दौरान स्लिपेज अनुपात में सुधार हुआ है।

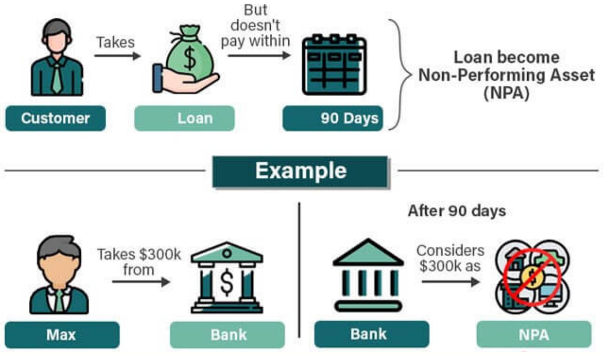

बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में किस तरह सुधार हुआ है?

- बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जोकि सकल गैर-निष्पादित आस्तियों (GNPA) और शुद्ध गैर-निष्पादित आस्तियों (NNPA) अनुपात में कमी से स्पष्ट है। कुल अग्रिमों में मानक परिसंपत्तियों (standard assets) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि गैर-मानक अग्रिमों में गिरावट बेहतर परिसंपत्ति प्रबंधन का संकेत देती है।
- विभिन्न ऋण श्रेणियों में GNPA अनुपात में सुधार दर्ज किया गया है, विशेष रूप से शिक्षा ऋणों में, जहां यह अनुपात मार्च 2023 में 5.8% से घटकर सितंबर 2024 तक 2.7% हो गया। इसी तरह, क्रेडिट कार्ड प्राप्तियों और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (consumer durables) जैसे खुदरा ऋणों में भी एनपीए (NPA) में कमी दर्ज की गई।

एनपीए में गिरावट का महत्व:

- एनपीए में गिरावट यह दर्शाती है कि बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, जिससे लाभप्रदता (profitability) और स्थिरता (stability) बढ़ रही है। इससे बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं (depositors) और निवेशकों (investors) का विश्वास भी मजबूत होता है।
- कम GNPA अनुपात सामान्यतौर पर बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता (asset quality) और अधिक कुशल बैंकिंग संचालन (efficient banking operations) का संकेत देता है।
- यह दिखाता है कि बैंक अपने क्रेडिट जोखिम (credit risk) को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर रहे हैं, जिससे चूक (defaults) कम हो रही है और प्रावधान (provisions) की आवश्यकता घट रही है। इससे बैंकों की वित्तीय ताकत में सुधार हो रहा है।

सकल एनपीए अनुपात की तुलना:

कुछ वर्षों के सकल एनपीए (Gross NPA) अनुपात की तुलना:

- 2010-11: 2.35%
- 2015-16: 7.48%
- 2020-21: 7.33%
- 2023-24: 2.7%
- 2024-25 (सितंबर 2024): 2.5%

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2023-24

चर्चा में क्यों?

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2023-24 में पूरे भारत के खाद्य व्यय और उपभोग पैटर्न में महत्वपूर्ण रुझान सामने आए हैं। एक दशक से अधिक की गिरावट के बाद, भारतीय परिवारों में खाद्य व्यय में वृद्धि हुई है। 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों ने अपने व्यय का 47.04% भोजन पर खर्च किया, जोकि पिछले वर्ष के 46.38% से अधिक है, जबकि शहरी परिवारों में भी इसी तरह की वृद्धि देखी गई और यह 39.17% से बढ़कर 39.68% हो गया। खाद्य व्यय में यह वृद्धि खाद्य कीमतों में उछाल के कारण हुई है, जिसने पूरे देश में खपत को प्रभावित किया है।

बढ़ती खाद्य कीमतों का उपभोग पर प्रभाव:

- खाद्य व्यय में वृद्धि से स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट पर काफी दबाव डाला है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, उपभोग व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने शहरी और ग्रामीण उपभोग पैटर्न के बीच की खाई को कम किया है।
- यह बदलाव उपभोग व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जो नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के लिए यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि बढ़ती कीमतें भारत भर में विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों को कैसे प्रभावित करती हैं।

ग्रामीण और शहरी उपभोग व्यय में हालिया रुझान :

- 2023-24 में, ग्रामीण परिवारों का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) 4,122 रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.3% की वृद्धि दर्शाता है। इसके विपरीत, शहरी परिवारों का औसत एमपीसीई 6,996 रुपये रहा, जो 8.3% की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण उपभोग व्यय में वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों से अधिक रही, जिससे ग्रामीण और शहरी उपभोग स्तरों के बीच का अंतर और कम हो गया।

घटती उपभोग असमानता:

- ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच उपभोग असमानता में कमी आई है, जैसा कि दोनों क्षेत्रों के गिनी गुणांक में देखा जा सकता है। 2023-24 में, ग्रामीण गिनी गुणांक 0.266 से घटकर 0.237 हो गया, जबकि शहरी गिनी गुणांक 0.314 से घटकर 0.284 हो गया।
- यह गिरावट असमानता में कमी का संकेत देती है, जो यह सुझाव देती है कि ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच आर्थिक अंतर कम हो रहा है, और ग्रामीण उपभोग शहरी उपभोग की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

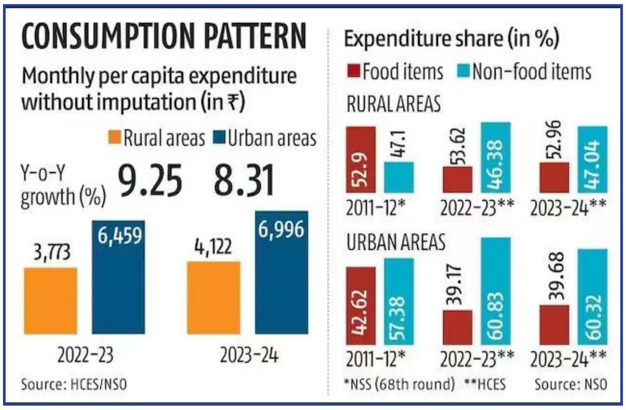

खाद्यान्न व्यय पैटर्न में परिवर्तन:

- 2023-24 में विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर व्यय के हिस्से में भी बदलाव आया है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही परिवारों ने अनाज, अंडे, मछली और मांस पर अधिक खर्च किया।
- उल्लेखनीय यह है कि पेय पदार्थ, स्नैक्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ सबसे अधिक व्यय वाली श्रेणियां बनी रहीं, जिसमें ग्रामीण परिवारों ने इन वस्तुओं पर अपने कुल उपभोग का 9.84% और शहरी परिवारों ने 11.09% खर्च किया। यह ग्रामीण और शहरी दोनों ही आबादी में बदलते खान-पान के रुझान और प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

क्षेत्रीय और आय समूह भिन्नताएं:

- आय समूहों और क्षेत्रों के अनुसार उपभोग व्यय में काफी भिन्नता देखी गई। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में निम्न आय वाले 5% लोगों ने व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि (ग्रामीण क्षेत्रों में 19.2%, शहरी क्षेत्रों में 18%) दर्ज की, जबकि उच्च आय वाले 5% लोगों ने कमी दर्ज की।
- क्षेत्रीय स्तर पर, महाराष्ट्र, पंजाब और केरल जैसे राज्यों ने औसत से अधिक व्यय प्रदर्शित किया, जबकि पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में औसत से कम उपभोग व्यय रहा। ये क्षेत्रीय असमानताएं देश के भीतर आर्थिक असमानता को उजागर करती हैं।

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25: एक व्यापक विश्लेषण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2025 को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 प्रस्तुत किया। यह भारत के पिछले वर्ष के आर्थिक प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा प्रदान करता है तथा आगामी वित्त वर्ष के लिए अनुमान प्रस्तुत करता है। यह सर्वेक्षण मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंथा नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण नीति-निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह देश के आर्थिक प्रदर्शन की व्यापक समीक्षा प्रस्तुत करता है, प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित करता है और आर्थिक लचीलेपन को सुदृढ़ करने के लिए रणनीतियाँ सुझाता है।

इस वर्ष का सर्वेक्षण संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की आर्थिक स्थिरता पर बल देता है। साथ ही, यह उन संरचनात्मक कमजोरियों को भी इंगित करता है जो दीर्घकालिक विकास को बाधित कर सकती हैं। भारत की विकास गाथा को निरंतर बनाए रखने के लिए यह सर्वेक्षण विनियामक सुधारों, व्यापार सुलभता में वृद्धि और एक अधिक उद्यम-हितैषी वातावरण के निर्माण की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वैश्विक आर्थिक संदर्भः

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दो प्रमुख वैश्विक चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है जो भारत की आर्थिक प्रगति को प्रभावित कर सकती हैं:

- **वैश्विक व्यापार और निवेश में मंदीः** वैश्विक आर्थिक वातावरण लगातार प्रतिकूल होता जा रहा है। वैश्विक व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, जिसका मुख्य कारण संरक्षणवाद में वृद्धि और वैश्वीकरण में आई गिरावट है। भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं ने इस प्रवृत्ति को और अधिक गहरा किया है। सर्वेक्षण में इस बात की चेतावनी दी गई है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था एक दीर्घकालिक ठहराव (Stagnation) के दौर में प्रवेश कर सकती है, जिसमें वैश्विक आर्थिक विकास की गति मंद बनी रह सकती है।
- **वैश्विक विनिर्माण में चीन का प्रभुत्वः** सर्वेक्षण वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में चीन की प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित करता है। चीन वर्तमान में वैश्विक उत्पादन में लगभग एक-तिहाई योगदान देता है, जो अगली 10 सबसे बड़ी विनिर्माण अर्थव्यवस्थाओं के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक है। हालांकि, भू-राजनीतिक बदलाव, आर्थिक विखंडन (Fragmentation) और आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी चिंताओं ने वैश्विक विनिर्माण रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता को जन्म दिया है। वैश्वीकरण के युग में स्थापित आपूर्तिश्रृंखलाओं की पुनर्संरचना की संभावनाओं के बीच, चीन पर वैश्विक निर्भरता फिर से बढ़ सकती है। यह भारत के लिए न केवल चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है बल्कि अवसर भी प्रदान करता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थितिः

- **वास्तविक जीडीपी वृद्धिः** आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.4% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 6.3% से 6.8% के बीच में रहने की संभावना जताई गई है। यह स्थिरता आर्थिक वृद्धि मजबूत घरेलू मांग, बढ़ते निजी निवेश और सेवा क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन को दर्शाती है।
- **निजी उपभोग में वृद्धिः** निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE), जो व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को मापता है, में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में PFCE की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2023-24 में 60.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 61.8% होने की उम्मीद है। यह वृद्धि वित्त वर्ष 2002-03 के बाद से निजी उपभोग का उच्चतम स्तर होगी। उपभोग में यह वृद्धि मुख्य रूप से मजबूत उपभोक्ता विश्वास, बढ़ती डिस्पोजेबल आय, मध्यम वर्ग की खपत में विस्तार और शहरीकरण जैसे कारकों से प्रेरित होगी।
- **सकल मूल्य वर्धन (जीवीए):** समग्र सकल मूल्य वर्धन (GVA) महामारी से पहले के रुझानों को पार कर चुका है और ऐतिहासिक स्तरों से ऊपर बना हुआ है, जिससे विनिर्माण, सेवाओं और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि का संकेत मिलता है।
- **मुद्रास्फीति के रुझानः** सर्वेक्षण के अनुसार, मुख्य मुद्रास्फीति में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका मुख्य कारण कोर मुद्रास्फीति (जिसमें खाद्य और ईंधन की कीमतें शामिल नहीं होती हैं) में कमी है। हालांकि, खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 7.5% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 8.4% हो गई है।
  - खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान देने वाले कारकों में आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाली मौसम संबंधी अनिश्चितताएं तथा सब्जियों और दालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें शामिल हैं।

» सरकार का लक्ष्य मौद्रिक नीति में लचीलापन बनाए रखते हुए खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में लक्षित हस्तक्षेप के माध्यम से मुद्रास्फीति को स्थिर करना है।

क्षेत्रीय विकास:

- **कृषि विकास:** वित्त वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र में 3.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें दूसरी तिमाही में 3.5% की वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि खरीफ उत्पादन में वृद्धि, अनुकूल मानसूनी परिस्थितियों और उच्च जलाशय स्तरों द्वारा समर्थित रही, जिससे सिंचाई सुविधाओं और फसल उत्पादकता में सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कुल खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1647.05 लाख मीट्रिक टन (LMT) तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 5.7% की वृद्धि को दर्शाता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र में लचीलापन बनाए रखना आवश्यक है।
- **औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि का अनुमान है, जो निर्माण गतिविधियों, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से प्रेरित है। हालांकि, वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही, विशेष रूप से दूसरी तिमाही में, औद्योगिक विकास को विनिर्माण निर्यात में गिरावट, औसत से अधिक मानसून के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और त्योहारी सीजन के मिले-जुले प्रभावों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (PMI) वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले सूचकांकों में से एक बना हुआ है, जो घरेलू बाजार में मजबूत मांग और उत्पादन गतिविधि में सुधार को दर्शाता है।
- **सेवा क्षेत्र की वृद्धि:** सेवा क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, और वित्त वर्ष 2024-25 में इसकी अनुमानित वृद्धि दर 7.2% है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में इस क्षेत्र में 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवाओं, लोक प्रशासन और रक्षा द्वारा संचालित है। वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल से नवंबर के बीच भारत के सेवा निर्यात में 12.8% की वृद्धि हुई, जो वैश्विक बाजार में इस क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है, विशेष रूप से आईटी और व्यावसायिक सेवाओं में।

बाह्य क्षेत्र प्रदर्शन:

- **व्यापार और चालू खाता:** अप्रैल से दिसंबर 2024 तक भारत के व्यापारिक निर्यात में सालाना आधार पर 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि व्यापारिक आयात में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई। सेवाओं के निर्यात में मजबूत प्रदर्शन ने इस असंतुलन को दूर करने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप भारत वैश्विक स्तर पर सेवाओं के सातवें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में सफल रहा। विदेशों से भेजे गए धन ने भी चालू खाता घाटे (CAD) को Q2 FY25 में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 1.2% पर अपेक्षाकृत सीमित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):** एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो वित्त वर्ष 2024 में 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.9% अधिक है। यह वृद्धि आर्थिक सुधारों, राजनीतिक स्थिरता और बड़े उपभोक्ता बाजार द्वारा प्रेरित भारत की अपील को निवेश गंतव्य के रूप में उजागर करती है।

बुनियादी ढांचा और नवीकरणीय ऊर्जा:

- **बुनियादी ढांचे का विकास:** बुनियादी ढांचे में निवेश दीर्घकालिक विकास के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है। रेल और बंदरगाह क्षमता के विस्तार पर सरकार का ध्यान स्पष्ट है। 2031 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क शुरू हो गया है और अप्रैल से नवंबर 2024 के बीच वंदे भारत ट्रेनों की 17 नई जोड़ी शुरू की गई हैं, जिससे कनेक्टिविटी में और वृद्धि हुई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा:** भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2024 तक सालाना आधार पर 15.8% बढ़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और प्रधानमंत्री-कुसुम योजना जैसे हरित निवेशों पर सरकार के जोर से कार्बन में तेजी से कमी आने की संभावना है।

रोजगार और श्रम बाजार: बेहतर होते रुझान

- आर्थिक सर्वेक्षण में रोजगार रुझानों की रिपोर्ट दी गई है, जो महामारी के बाद की रिकवरी, नौकरियों के औपचारिकीकरण में वृद्धि और कार्यबल की बढ़ती भागीदारी द्वारा समर्थित है। 2023-24 के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार:
  » बेरोजगारी दर में गिरावट आई है।
  » श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) में सुधार हुआ है, जो रोजगार के अवसरों में वृद्धि का संकेत है।
  » श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (WPR) में वृद्धि हुई है, जो कार्यबल की अधिक सहभागिता को दर्शाता है।
- हालाँकि, नौकरी की गुणवत्ता और वेतन वृद्धि में संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

नीति अनुशंसाएँ:

- **आर्थिक वृद्धि के लिए विनियमन में कमी:** सर्वेक्षण में व्यवसाय विनियमन को सरल बनाने की बात की गई है, विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए। नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करने से व्यवसाय करने की लागत कम होगी, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा और

निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

- **व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP):** उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने व्यापार सुधार कार्य योजना (BRAP) पेश की है, जिसका उद्देश्य व्यापार के अनुकूल नीतियों को बढ़ावा देना है। सर्वेक्षण में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उभरते और महत्वाकांक्षी राज्यों में BRAP को लागू करने के महत्व पर जोर दिया गया है।
- **बुनियादी ढांचे और निवेश की कमी को दूर करना:** सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से वस्तुओं के उत्पादन में भारत की चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। इसके लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए घरेलू विनिर्माण और बुनियादी ढांचे में निवेश को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

केंद्रीय बजट 2025-26

भारत के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट एक ऐतिहासिक वित्तीय रोडमैप है, जोकि 'विकसित भारत' की दिशा में प्रगति करने और राष्ट्र के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। बजट इस विचार को रेखांकित करता है कि एक देश केवल उसकी मिट्टी नहीं, बल्कि उसके लोग होते हैं, जैसा कि प्रसिद्ध तेलुगु कवि और नाटककार श्री गुरजादा अप्पा राव द्वारा व्यक्त किया गया था। इसी विचार का अनुसरण करते हुए सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट में 'सबका साथ, सबका विकास' थीम को अपनाया गया है। संतुलित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सभी के लिए विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। यह बजट भारत के लिए एक सतत विकास पथ सुनिश्चित करते हुए दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्थिक सुधारों को एकीकृत करता है।

बजट 2025–26 के मुख्य उद्देश्य:

- वित्त मंत्री के बजट भाषण में विकास को बढ़ावा देने के लिए छह व्यापक सिद्धांतों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया:
  - **शून्य गरीबी:** कल्याणकारी उपायों को मजबूत करना और वंचितों के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना।
  - **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा:** उच्च मानक शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाओं तक पहुंच का विस्तार करना।
  - **किफायती स्वास्थ्य सेवा:** स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना।
  - **कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार:** कौशल विकास कार्यक्रमों और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना।
  - **महिलाओं की आर्थिक भागीदारी:** आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी का लक्ष्य।
  - **कृषि उत्कृष्टता:** भारत को खाद्य उत्पादन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना।
- इन सिद्धांतों के माध्यम से सरकार आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और समावेशी भारत की नींव रखना चाहती है।

आर्थिक विकास के चार इंजन:

केंद्रीय बजट का रणनीतिक दृष्टिकोण विकास के चार प्राथमिक इंजनों पर आधारित है- कृषि, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), निवेश और निर्यात। इन क्षेत्रों को भारत की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों के रूप में देखा जाता है, जिसमें लक्षित सुधार और योजनाएँ उनकी क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से हैं।

- **कृषि: ग्रामीण समृद्धि को मजबूत करना:** कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने, विविधीकरण को बढ़ावा देने और किसानों के लिए वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है।
  - **प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना:** इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाने, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करने का लक्ष्य रखा गया।
  - **दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन:** यह एक छह वर्षीय पहल है, जो नाफेड और एनसीसीएफ द्वारा खरीद समर्थन तथा तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन पर केंद्रित है।
  - **बिहार में मखाना बोर्ड:** यह बोर्ड मखाना की खेती, प्रसंस्करण और निर्यात पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिससे विशेष रूप से बिहार और अन्य क्षेत्रों के किसानों को लाभ होगा।
  - **किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी):** संशोधित ब्याज अनुदान के साथ ऋण सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है, जिससे किसानों को ऋण तक आसान पहुंच की सुविधा मिलेगी।
  - **ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम:** ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए एक लक्षित कार्यक्रम, जिसमें युवाओं, महिलाओं और हाशिए पर पड़े किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- इन पहलों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करना और किसानों की आजीविका में सुधार करना है।

- **एमएसएमई: लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना:** एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और निर्यात में इनकी हिस्सेदारी लगभग 45% है। केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और मापनीयता बढ़ाने के लिए कई सुधारों का प्रस्ताव किया गया है:
  - **निवेश और कारोबार की सीमा में वृद्धि:** एमएसएमई के लिए वर्गीकरण सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे व्यवसायों के लिए अधिक लाभ संभव हो सकेगा।
  - **नई उद्यमिता योजना:** अगले पांच वर्षों में 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण (टर्म लोन) प्रदान किया जाएगा।
  - **राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन:** 'मेक इन इंडिया' अभियान को मजबूत करने के लिए एक व्यापक पहल, जो नवाचार और निर्यात क्षमता पर केंद्रित है।
  - **खिलौना उद्योग विकास:** सरकार का लक्ष्य एक समर्पित योजना के माध्यम से भारत को खिलौना विनिर्माण के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
- एमएसएमई को मजबूत करके, बजट का उद्देश्य अधिक लचीली और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्था बनाना, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है।
- **निवेश: बुनियादी ढांचा और मानव पूंजी विकास:** आर्थिक विकास को गति देने में निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और केन्द्रीय बजट में बुनियादी ढांचे के विकास और मानव पूंजी दोनों पर जोर दिया गया है।
  - **मानव पूंजी निवेश:** सरकार सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगी, ग्रामीण स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को भारतनेट ब्रॉडबैंड पहुंच प्रदान करेगी और भारतीय भाषा की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय मानक ब्यूरो (आईएसबीएन) के माध्यम से डिजिटल करेगी। इसके अतिरिक्त, युवाओं को वैश्विक नौकरी बाजारों के लिए उपयुक्त कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास के पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  - **बुनियादी ढांचे का विकास:** सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए 3 साल की पाइपलाइन बनाई जाएगी और पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नई परियोजनाओं में पुनर्निवेश के लिए 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखते हुए एक परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना प्रस्तावित है।
  - **शहरी एवं जल अवसंरचना:** जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें जल गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। शहरी विकास के लिए आवंटित 1 लाख करोड़ रुपये के शहरी चुनौती कोष का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचे और टिकाऊ योजना के माध्यम से शहरों को आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
- इन पहलों से यह सुनिश्चित होगा कि भौतिक और मानव पूंजी दोनों में निवेश किया जाए, जिससे टिकाऊ और समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **निर्यात: भारत के वैश्विक व्यापार का विस्तार:** भारत के निर्यात आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और केंद्रीय बजट में वैश्विक बाजारों में भारत की उपस्थिति बढ़ाने के उपायों की रूपरेखा दी गई है।
  - **निर्यात संवर्धन मिशन:** इसका उद्देश्य एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुँचने में सहायता करना है।
  - **भारतट्रेडनेट (बीटीएन):** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दस्तावेजीकरण और वित्तपोषण के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका उद्देश्य व्यापार प्रक्रियाओं को सरल बनाना है।
  - **निर्यात अवसंरचना विकास:** निर्यात वृद्धि को समर्थन देने के लिए भंडारण और अवसंरचना, विशेष रूप से शीघ्र खराब होने वाले सामान और हवाई माल के लिए निवेश किया जाएगा।
  - **उद्योग 4.0 के लिए विनिर्माण:** इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वचालन जैसे उच्च तकनीक उद्योगों के लिए घरेलू क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा।

सुधार: विकास की रीढ़

- केन्द्रीय बजट में महत्वपूर्ण सुधार शामिल हैं जिनका उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना तथा अधिक निवेशक-अनुकूल विनियामक वातावरण बनाना है।
  - **बीमा में एफडीआई:** सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी है, जिससे इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **विनियामक सुधार:** विनियामक सुधारों पर एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना और निवेश मित्रता सूचकांक की शुरुआत से व्यवसाय प्रारंभ करने की आसानी में वृद्धि होगी और प्रतिस्पर्धी शासन को बढ़ावा मिलेगा।
  - **कानूनों का गैर-अपराधीकरण:** जन विश्वास विधेयक 2.0 विभिन्न कानूनों के 100 से अधिक प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण कर देगा, जिससे व्यवसायों के लिए अनुपालन का बोझ कम हो जाएगा।
- इन सुधारों का उद्देश्य भारत के निवेश माहौल को बेहतर

बनाना है, जिससे व्यवसायों के लिए विकास और समृद्धि आसान हो सके।

राजकोषीय समेकन और कराधान:

- **राजकोषीय घाटा:** 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% अनुमानित है, जबकि 2025-26 के लिए 4.4% का लक्ष्य है।
- **प्रत्यक्ष कराधान सुधार:** सरकार ने एक संशोधित कर संरचना पेश की है जो मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करती है:
  - » प्रति वर्ष 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई आयकर नहीं।
  - » वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय और किराये की आय पर कर कटौती बढ़ा दी गई है।
- **सीमा शुल्क एवं अप्रत्यक्ष कराधान:** घरेलू विनिर्माण को समर्थन देने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है, जिनमें महत्वपूर्ण खनिजों और जीवन रक्षक दवाओं के लिए छूट भी शामिल है।

आठवां वेतन आयोग: उद्देश्यों, प्रभाव और निहितार्थों का अवलोकन

भारत सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों के वेतनमान और भत्तों में संशोधन के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की घोषणा की है। लगभग हर दस वर्षों में गठित होने वाले वेतन आयोग, सरकारी कर्मचारियों को न्यायसंगत एवं महंगाई भत्ता सहित पारिश्रमिक प्रदान करने तथा सरकार के व्यय पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हुए, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वेतन आयोग:

- वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन ढांचे की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष निकाय है। ऐसे आयोगों के प्रमुख उद्देश्य हैं:
  - » **मुद्रास्फीति को संबोधित करना:** बढ़ती जीवन यापन लागत का सामना करने के लिए वेतन समायोजित करना।
  - » **समता:** सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बराबर होना चाहिए।
  - » **नौकरी संतुष्टि:** कर्मचारियों की कार्यकुशलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर वेतन संरचना में बदलाव करना।
  - » **मैक्रोइकोनॉमिक दृष्टिकोण:** कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ाकर समग्र अर्थव्यवस्था को गति देना।
- 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से, सात वेतन आयोग स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक ने कार्यबल की विकसित होती आवश्यकताओं और आर्थिक परिदृश्य को संबोधित करते हुए, मुआवजा संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं।

वेतन आयोग की सिफारिशों में ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ:

- ऐतिहासिक रूप से, वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन वेतन संरचनाओं और सरकारी खर्चों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहा है। उदाहरण के लिए:

वेतन आयोग	लागू वर्ष	फिटमेंट फैक्टर	वेतन पर प्रभाव
5वां वेतन आयोग	1996	1.40	मध्यम वृद्धि
6वां वेतन आयोग	2006	1.86	महत्वपूर्ण वृद्धि
7वां वेतन आयोग	2016	2.57	भारी वृद्धि
8वां वेतन आयोग	2026 (अपेक्षित)	2.28-2.86 (अंदाजा)	अनुमानित महत्वपूर्ण वृद्धि

- सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनमें न्यूनतम मूल वेतन को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करना, पेंशन में वृद्धि और विभिन्न भत्तों में सुधार शामिल हैं। आठवां वेतन आयोग इन उपलब्धियों पर आगे बढ़ते हुए, बदलते समय के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

आठवां वेतन आयोग: प्रमुख विवरण

- **संविधान और समयरेखा:** केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। हालांकि आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होने की संभावना है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य संबंधित पक्षों के साथ विचार-विमर्श करके इस प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया जाएगा।

आठवें वेतन आयोग के प्रमुख फोकस क्षेत्र:

- **मुद्रास्फीति समायोजन:** महंगाई दर में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में नियमित समायोजन किया जाएगा ताकि उनकी जीवन स्तर में

सुधार हो सके।

- **फिटमेंट फैक्टर में संशोधन:** संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले फिटमेंट फैक्टर को 2.28 से 2.86 के बीच बढ़ाया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 40-50% तक की वृद्धि हो सकती है।
- **भत्तों में संशोधन:** वेतन वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा, जैसे कि महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता आदि।
- **विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव:** सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लेकर बैंकिंग और इंजीनियरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों पर इन बदलावों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

क्षेत्रीय प्रभाव:

- **केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी:** लगभग 49 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी संशोधित वेतन और पेंशन संरचनाओं से लाभान्वित होंगे। यह कदम महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू):** महारत्न और नवरत्न पीएसयू, जैसे ओएनजीसी और एनटीपीसी, वेतन संरचनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन करने की उम्मीद है, जिससे शीर्ष प्रतिभाओं को बनाए रखने और प्रतिस्पर्धी मुआवजा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
- **सरकारी नौकरियों में इंजीनियर:** वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों, जैसे इसरो के साथ-साथ भारतीय रेलवे जैसे बड़े संगठनों में इंजीनियरों के वेतन में वृद्धि होने की उम्मीद है। इससे इन क्षेत्रों में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञों को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी:** सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कार्यरत कर्मचारी भी इस वेतन आयोग से होने वाले लाभों से वंचित नहीं रहेंगे, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार होगा।

आर्थिक निहितार्थ:

- आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन से न केवल कर्मचारियों का कल्याण होगा, बल्कि बढ़ती खपत के माध्यम से आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे-जैसे सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी अधिक आय से लाभान्वित होंगे, गुणक प्रभाव से विभिन्न क्षेत्रों में मांग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में योगदान होगा। हालांकि, 7वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के दौरान देखा गया, उच्च व्यय से जुड़े राजकोषीय बोझ को संतुलित करना भी सरकार के लिए आवश्यक है, जिसके कारण राजकोषीय व्यय में 1 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हुई थी।

चुनौतियाँ:

- **मुद्रास्फीति प्रबंधन:** वेतन वृद्धि से अर्थव्यवस्था में अधिक धन प्रवाहित होगा जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। इसलिए सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी मौद्रिक नीतियां अपनानी होंगी।
- **राजकोषीय जिम्मेदारी:** सरकार को कर्मचारियों की मांगों और देश की अर्थव्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। वेतन आयोग की सिफारिशों को इस तरह से लागू किया जाना चाहिए कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक बोझ न पड़े।
- **हितधारक परामर्श:** केंद्र और राज्य सरकारों, कर्मचारी संघों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए ताकि सभी हितधारकों की बात को सुनकर एक न्यायसंगत और व्यावहारिक समाधान निकाला जा सके।

नीति आयोग का राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने भारतीय राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान करने के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) 2025 लॉन्च किया है। यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारों का मार्गदर्शन करने का लक्ष्य रखता है।

- 'राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025' शीर्षक वाली रिपोर्ट ने 2022-23 के लिए राज्यों को रैंक दिया, जिसमें 18 प्रमुख राज्यों को शामिल किया गया जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, कुल सार्वजनिक व्यय, राजस्व और समग्र राजकोषीय स्थिरता में उनके योगदान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को चलाते हैं

राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है?

- राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) नीति आयोग की एक व्यापक पहल है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों की वित्तीय स्थिरता का आकलन और निगरानी करना है। यह सूचकांक पांच प्रमुख उप-सूचकांकों पर आधारित है:
  - » व्यय की गुणवत्ता
  - » राजस्व संग्रहण
  - » राजकोषीय सतर्कता
  - » ऋण सूचकांक
  - » ऋण स्थिरता
- इस सूचकांक के लिए डेटा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) से लिया गया है और इसमें 2014-15 से 2021-22 तक के रुझान शामिल हैं। एफएचआई उन राज्यों पर केंद्रित है जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय और राजस्व सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

प्रमुख विशेषताएं:

- **शीर्ष प्रदर्शनकर्ता (अचीवर्स)**
  - » **ओडिशा:** 67.8 के उच्चतम स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहते हुए, ओडिशा ने ऋण प्रबंधन और स्थिरता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
  - » **छत्तीसगढ़:** 55.2 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जो मजबूत राजकोषीय विवेक और संतुलित राजकोषीय नीतियों का प्रमाण है।
  - » **गोवा:** 53.6 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर, गोवा ने राजकोषीय प्रबंधन और राजस्व सृजन के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदर्शित किया है।
- **अल्प प्रदर्शनकर्ता:**
  - » **केरल:** 29.7 के स्कोर के साथ, केरल खराब ऋण स्थिरता और कम गुणवत्ता वाले व्यय से जूझ रहा है।
  - » **पंजाब:** 28.4 के स्कोर के साथ, पंजाब कम राजस्व जुटाने और उच्च राजकोषीय घाटे की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
  - » **पश्चिम बंगाल:** 27.8 के स्कोर के साथ, पश्चिम बंगाल ऋण सूचकांक और समग्र राजकोषीय प्रबंधन से संबंधित मुद्दों से जूझ रहा है।
  - » **आंध्र प्रदेश:** 26.9 के सबसे कम स्कोर के साथ, आंध्र प्रदेश लगातार उच्च राजकोषीय घाटे से प्रभावित रहा है
- **शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों (जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड) ने निम्नलिखित विशेषताएं प्रदर्शित की हैं:**
  - » **उच्च पूंजीगत परिव्यय:** इन राज्यों ने अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 4% तक का उच्च पूंजीगत परिव्यय किया है।
  - » **प्रभावी राजस्व संग्रहण:** इन राज्यों ने राजस्व जुटाने में प्रभावी ढंग से काम किया है।
  - » **राजस्व अधिशेष:** इन राज्यों ने राजस्व अधिशेष हासिल किया है।
  - » **कम ब्याज भुगतान:** इन राज्यों ने राजस्व प्राप्तियों का लगभग 7% ही ब्याज भुगतान पर खर्च किया

एफएचआई का महत्व:

- राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) डेटा-आधारित जानकारी प्रदान करके राज्यों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है।
- एफएचआई राज्य-विशिष्ट चुनौतियों की पहचान करने में भी मदद करता है और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक सुधारों का मार्गदर्शन करता है।
- एफएचआई सहकारी संघवाद को मजबूत करता है और भारत के 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य के अनुरूप है। यह सूचकांक राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य पर नियमित रूप से नजर रखता है और निरंतर सुधार सुनिश्चित करने में मदद करता है।

कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

किसानों का समर्थन करने और जूट उद्योग को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम में, केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 2025-26 विपणन सीजन के लिए नया MSP 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की कीमत से 315 रुपये अधिक है।

2024-25 की MSP से तुलना:

- 2025-26 के लिए वृद्धि वर्ष 2024-25 विपणन सीजन के लिए लागू की गई 285 रुपये की वृद्धि से अधिक है, जब MSP को बढ़ाकर 5,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया था।
- इस नवीनतम वृद्धि से किसानों को जूट की खेती के लिए और अधिक प्रोत्साहित करने की उम्मीद है, जिसे देश में जूट उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जाता है।
- MSP बढ़ाकर, सरकार न केवल जूट किसानों को बेहतर रिटर्न प्रदान कर रही है, बल्कि जूट क्षेत्र में स्थिरता को भी बढ़ावा दे रही है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के बारे में:

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से कुछ फसलों की खरीद की गारंटी देती है।
- यह एक सुरक्षात्मक उपाय है जो किसानों को एक उचित मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और उन्हें बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव से बचाता है, जिससे उन्हें नुकसान हो सकता है।
- MSP किसानों के लिए एक सुरक्षा जाल के रूप में काम करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उन्हें अपने उत्पाद के लिए एक निश्चित आय मिले, खासकर जब बाजार में कीमतें अस्थिर हों।

MSP की मुख्य विशेषताएं

- **सरकारी खरीद:** MSP वह मूल्य है जिस पर सरकारी एजेंसियां, जैसे कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) और अन्य राज्य एजेंसियां, किसानों से फसलों की खरीद करती हैं। यह खरीद तभी होती है जब बाजार मूल्य MSP से नीचे गिर जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने उत्पाद को नुकसान में बेचने के लिए मजबूर न किया जाए।
- **CACP द्वारा सिफारिशें:** कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) विभिन्न फसलों के लिए MSP तय करने की सिफारिश करता है। यह आयोग फसलों की उत्पादन लागत, बाजार में चल रहे भाव और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है। CACP मुख्यत: 23 फसलों के लिए MSP की सिफारिश करता है, जिनमें 22 प्रमुख फसलें और गन्ना भी शामिल है। हालांकि,

सरकार 25 फसलों के लिए MSP घोषित करती है।

- **कोई वैधानिक समर्थन नहीं:** जबकि MSP किसानों की आय की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। सरकार कानूनी रूप से MSP पर फसलों की खरीद के लिए बाध्य नहीं है, भले ही बाजार मूल्य घोषित मूल्य से नीचे गिर जाए। इसलिए, MSP एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करता है, न कि एक कानून के रूप में।

भारतीय कृषि में MSP की भूमिका:

- MSP भारत की कृषि नीति में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना है। यह किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होने के कारण, इसकी सफलता सरकार की नीतियों पर निर्भर करती है। यही कारण है कि MSP कृषि क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण, लेकिन विवादास्पद विषय बना हुआ है। MSP किसानों को कीमतों में गिरावट से बचाकर फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथोराइजेशन (DIA) योजना

चर्चा में क्यों?

भारत के डायमंड उद्योग में गिरते निर्यात और नौकरी की हानि को संबोधित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने 2025 अप्रैल से डायमंड इम्प्रेस्ट ऑथोराइजेशन (DIA) योजना शुरू की है। यह पहल भारत की वैश्विक स्तर पर हीरे के व्यापार में स्थिति को मजबूत करने और निर्यातकों को लक्षित समर्थन प्रदान करने के साथ-साथ घरेलू हितों की रक्षा करने का उद्देश्य रखती है।

DIA योजना के बारे में:

- यह योजना भारत के हीरे के निर्यात को बढ़ाने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और देश की वैश्विक हीरे के उद्योग में प्रमुखता बनाए रखने का लक्ष्य रखती है।
- **मुख्य प्रावधान:**
  - » **ड्यूटी-फ्री आयात:** 0.25 कैरेट (25 सेंट) से कम के प्राकृतिक कट और पॉलिश किए हुए हीरे बिना ड्यूटी चुकाए आयात किए जा सकते हैं।
  - » **मूल्य संवर्धन अनिवार्यता:** निर्यातकों को योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 10% मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना होगा।

पात्रता मानदंड:

- **कौन आवेदन कर सकता है?**
  - » केवल दो-स्टार एक्सपोर्ट हाउस और उससे ऊपर के निर्यातक पात्र होंगे।
  - » कंपनियों को हर साल $15 मिलियन या उससे अधिक का निर्यात राजस्व होना चाहिए।
- **दो-स्टार एक्सपोर्ट हाउस की परिभाषा:** वे व्यवसाय जो हर साल कम से कम $15 मिलियन का निर्यात करते हैं।

योजना का महत्व:

- **वैश्विक एकरूपता:** यह योजना अंतरराष्ट्रीय लाभकारीकरण (beneficiation) के अभ्यास के अनुरूप है, जैसा कि हीरे उत्पादक देशों जैसे बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला में स्थानीय प्रसंस्करण अनिवार्य है।
- **प्रतिस्पर्धा में वृद्धि:** बढ़ती लागत और खनन देशों से प्रतिस्पर्धा ने भारत के डायमंटैरों के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। यह योजना प्रतिस्पर्धा को संतुलित करती है और कंपनियों को अपने संचालन विदेशों में स्थानांतरित करने से रोकती है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** इनपुट लागत को कम करके और उन्नत कटाई एवं पॉलिशिंग तकनीकों को बढ़ावा देकर यह योजना हीरे के उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

हीरे के उद्योग पर प्रभाव:

- **निर्यात प्रवृत्तियाँ:** भारत दुनिया के 90% हीरे प्रसंस्कृत करता है, लेकिन निर्यात में गिरावट आई है।
- FY24 में निर्यात $32.71 बिलियन तक गिर गए, जो पिछले तीन वर्षों में सबसे कम है, जबकि FY23 में यह $37.96 बिलियन और FY22 में $38.94 बिलियन था।
- **रोजगार सृजन:** हीरे का उद्योग श्रम-गहन है, जिससे यह योजना मूल्य श्रृंखला में कारीगरों से लेकर प्रसंस्करण इकाइयों तक रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न कर सकती है।
- **उद्योग समर्थन:** यह योजना लागत को कम करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और भारत की वैश्विक हीरे के व्यापार में नेतृत्व को बनाए रखने की क्षमता रखती है।

चुनौतियाँ और अवसर:

- **चुनौतियाँ:**
  - » उत्पादन लागत में वृद्धि और अमेरिका और चीन जैसे प्रमुख बाजारों से मांग में गिरावट।
  - » खनन देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो स्थानीय लाभकारीकरण और मूल्य संवर्धन पर जोर देते हैं।
- **अवसर:**
  - » यह योजना भारत के डायमंटैरों को उन्नत तकनीकों और प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद मिलेगी।
  - » यह दीर्घकालिक विकास के लिए एक ढांचा प्रदान करती है, साथ ही रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।

DIA योजना भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

- भारत के रत्न और आभूषण का निर्यात लंबे समय से देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिनके प्रमुख बाजारों में अमेरिका, यूएई और हांगकांग शामिल हैं। हालांकि, हालिया निर्यात में गिरावट यह दर्शाती है कि DIA योजना जैसी लक्षित पहल की आवश्यकता है।

- यह पहल न केवल तत्काल चुनौतियों का समाधान करती है, बल्कि यह भारत की निरंतर नवाचार को बढ़ावा देने और हीरे के उद्योग में अपनी नेतृत्व स्थिति को बनाए रखने के प्रति प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती है।

भारतः विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट के जनवरी 2025 संस्करण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 26 और 27 में 6.7% की स्थिर दर से बढ़ने का अनुमान है। यह विकास दर वैश्विक औसत 2.7% से काफी अधिक है, जोकि भारत की आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है।

- भारत अगले दो वित्तीय वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने की ओर अग्रसर है।

रिपोर्ट के बारे में:

- वैश्विक आर्थिक संभावना (जीईपी) रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित एक प्रमुख प्रकाशन है जोकि वैश्विक आर्थिक रुझानों और अनुमानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास और चुनौतियों पर जोर देता है।
- जीईपी रिपोर्ट साल में दो बार- जनवरी और जून में प्रकाशित होती है, जोकि नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करती है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष :

- **भारत की आर्थिक वृद्धिः** भारत सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, वित्त वर्ष 26 और 27 के दौरान 6.7% की लगातार वार्षिक वृद्धि दर के साथ।
- **क्षेत्रीय विकासः** भारत का सेवा क्षेत्र वृद्धि करता रहेगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में सरकारी पहलों के समर्थन से सुधार होने की उम्मीद है।
- **निजी खपतः** मजबूत श्रम बाजार, बढ़ती क्रेडिट पहुंच और कम मुद्रास्फीति भारत में निजी खपत को बढ़ावा देंगी।
- **निवेश वृद्धिः** निजी निवेश, बेहतर कॉर्पोरेट बैलेंस शीट और अनुकूल वित्तपोषण स्थितियों से प्रेरित होकर भारत में निवेश स्थिर रहेगा।
- **वैश्विक विकास तुलनाः** वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2.7% की वृद्धि का अनुमान है, जबकि भारत इस वृद्धि को पीछे छोड़ देगा।
- **उभरते बाजारों का परिवर्तनः** उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं (ईएमडीई) ने विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। ये देश अब वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान देते हैं, जो सदी की शुरुआत में 25% था।

भारत में विकास को गति देने वाली प्रमुख पहलें:

- **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लानः** यह योजना देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य आधुनिक सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों को बेहतर ढंग से जोड़ना है।
- **स्टार्टअप इंडियाः** यह पहल नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। इसके तहत स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन और कर प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं।
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाः** यह योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कपड़ा जैसे क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

विश्व बैंक के बारे में:

- विश्व बैंक एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसे मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के नाम से जाना जाता था और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ स्थापित किया गया था। बाद में आईबीआरडी को विश्व बैंक के नाम से जाना जाने लगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है, जिससे गरीबी कम हो और समृद्धि बढ़े। यह सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित है। विश्व बैंक समूह में पांच संस्थान शामिल हैं:
  - » अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी)
  - » अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन (आईडीए)
  - » अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी)
  - » बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी (एमआईजीए)
  - » अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी)
- भारत विश्व बैंक का सदस्य देश है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र (आईसीएसआईडी) का सदस्य नहीं है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषीकृत एजेंसी है जिसमें 189 देश सदस्य हैं। विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्टों में मानव पूंजी सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं शामिल हैं।

'सैशेटाइजेशन' योजना

चर्चा में क्यों?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से कम आय वाले और वंचित समुदायों के बीच म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है।

- सेबी ने इस योजना के अंतर्गत सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) की न्यूनतम सीमा को घटाकर 250 रुपये प्रति माह

कर दिया है, जिससे छोटे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड में प्रवेश आसान हो गया है।

- इस 'सैशेटाइजेशन' पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित करना है।

सैशेटाइजेशन के बारे में:

- यह अवधारणा जो उपभोक्ता सामान (FMCG) क्षेत्र से ली गयी है, जहां छोटे और सस्ते उत्पाद संवेदनशील उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं।
- इस रणनीति ने ग्रामीण और कम आय वाले लोगों तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई है, जो बड़ी मात्रा में खरीदारी नहीं कर सकते थे।
- सेबी म्यूचुअल फंड उद्योग में इस मॉडल को लागू करने की योजना बना रही है, जो निवेश के अवसर प्रदान करने के लिए 250 रूपये की न्यूनतम एसआईपी (Systematic Investment Plan) की पेशकश करती है।

250 रुपये एसआईपी क्यों?

- वर्तमान में, अधिकांश म्यूचुअल फंडों को 500 रुपये की न्यूनतम एसआईपी की आवश्यकता होती है, जो कई व्यक्तियों की वित्तीय पहुंच से बाहर है। इस सीमा को घटाकर 250 रुपये करने का सेबी का प्रस्ताव प्रवेश बाधा को कम करने का लक्ष्य रखता है, जिससे कम आय वाले समूहों के लोग निवेश शुरू कर सकें।
- इस कदम का उद्देश्य इन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपनी सेवाओं का विस्तार करके वंचित क्षेत्रों में पहुंचाना है, जिससे निवेश भागीदारी में अंतर को कम करने में मदद मिलेगी।

यह योजना कैसे कार्य करेगी?

- सेबी के परामर्श पत्र में उल्लिखित है कि 250 रुपये की एसआईपी मुख्य रूप से कम आय वाले पृष्ठभूमि के नए निवेशकों को लक्षित करेगी। मौजूदा निवेशक पात्र नहीं होंगे।
- यह योजना एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) के साथ 250 रुपये की तीन एसआईपी तक की अनुमति देती है। इन एसआईपी को रियायती दरों पर पेश किया जाएगा, पहले तीन के बाद की किसी भी अतिरिक्त एसआईपी को छूट से बाहर रखा जाएगा।
- यह एसआईपी केवल इक्विटी योजनाओं तक सीमित होगी, इसमें उच्च जोखिम वाले ऋण फंड, थीमैटिक फंड और मिड-कैप या स्मॉल-कैप इक्विटी फंड जैसे विकल्प शामिल नहीं होंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना कि पहली बार निवेश करने वाले अत्यधिक जोखिम के संपर्क में न आएं। इसके अतिरिक्त, विकास विकल्प का चयन किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि लाभों को पुनर्निवेशित किया जाएगा ताकि निवेश का मूल्य बढ़ सके।

जेड-मोर्ह सुरंग (Z-Morh Tunne)

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग में जेड-मोर्ह सुरंग का उद्घाटन किया। यह सुरंग जम्मू-कश्मीर में बुनियादी ढांचे के विकास की एक महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा है। जोजिला सुरंग और उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक जैसी अन्य प्रमुख परियोजनाओं के साथ मिलकर, जेड-मोर्ह सुरंग इस क्षेत्र को अधिक जुड़ा हुआ और सुलभ बनाएगी।

जेड–मोर्ह सुरंग के बारे में:

- जेड-मोर्ह सुरंग 6.4 किलोमीटर लंबी है और कश्मीर के गांदरबल में स्थित है, जिसे श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर हिमस्खलन-प्रवण क्षेत्रों को बायपास करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेड-मोर्ह सुरंग का निर्माण मई 2015 में शुरू हुआ और 2024 में पूरा हुआ। सुरंग का फरवरी 2024 में सॉफ्ट ओपनिंग हुआ और इसका आधिकारिक उद्घाटन जनवरी 2025 में हुआ।
- यह परियोजना शुरू में 2015 में बीआरओ के तहत शुरू हुई थी, लेकिन बाद में सुरंग का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (एनएचआईडीसीएल) को सौंप दिया गया था, न कि बीआरओ को।
- जेड-मोर्ह सुरंग उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है, जिसमें रीयल-टाइम ट्रैफिक अपडेट, एक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं जोकि सहज कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती हैं।

सुरंग का महत्व:

- जेड-मोर्ह सुरंग रक्षा रसद को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देगी क्योंकि यह सोनमर्ग और श्रीनगर के बीच रक्षा बलों के लिए आसान, सभी मौसमों में पहुंच सुनिश्चित करेगी, जोकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में रणनीतिक संचालन के लिए महत्वपूर्ण है।
- सुरंग से माल के सुचारू परिवहन को बढ़ावा मिलने, व्यापार को बढ़ावा देने और सोनमर्ग में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह विशेष रूप से क्षेत्र को साल भर सुलभ बनाकर पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों के विकास का समर्थन करेगा।
- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करके, सुरंग सामाजिक-सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देती है, स्थानीय आबादी के लिए गतिशीलता और पहुंच को बढ़ाती है और इन क्षेत्रों में एकता को बढ़ावा देती है।
- जेड-मोर्ह सुरंग सोनमर्ग को साल भर पर्यटन के लिए खोल देगी, जिसमें इसे एक संभावित स्की गंतव्य भी बनाना शामिल है। इससे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और सोनमर्ग को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

जोजिला सुरंग क्या है?

- **स्थानः** जोजिला सुरंग जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर 11,578 फीट (लगभग 3,500 मीटर) की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है।
- **उद्देश्यः** सुरंग का उद्देश्य एनएच-1 पर श्रीनगर और लेह के बीच साल भर कनेक्टिविटी प्रदान करना है, जिससे पूरे वर्ष पहुंच सुनिश्चित हो सके।
- **कुल लंबाईः** सुरंग 14.15 किलोमीटर लंबी होगी।

- **महत्वः** यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी।
- **आयामः** सुरंग 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची होगी, जिसे घोड़े की नाल के आकार में डिजाइन किया गया है।

विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2025 रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (WESP) 2025 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 2025 में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.8% पर स्थिर रहने का अनुमान लगाया गया है, जोकि पिछले वर्ष के समान है।

WESP 2025 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्षः

- **वैश्विक वृद्धि मंद गति से बनी हुई हैः** उच्च ऋण स्तर, धीमी उत्पादकता वृद्धि और कमजोर निवेश के कारण 2024 और 2025 दोनों वर्षों में वैश्विक आर्थिक वृद्धि 2.8% रहने का अनुमान है, जोकि पूर्व-महामारी औसत 3.2% से कम है।
- **लचीलापनः** वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कई आर्थिक झटकों के प्रति लचीलापन प्रदर्शित किया है, लेकिन धीमी उत्पादकता वृद्धि और उच्च ऋण जैसे अंतर्निहित संरचनात्मक मुद्दे प्रगति पर अंकुश लगा रहे हैं।
- **क्षेत्रीय विकास में भिन्नताः** क्षेत्रीयता में विकास भिन्न-भिन्न हैं। जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में विकास धीमा है, भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं अधिक आशाजनक वृद्धि दर दिखाती हैं।
- **मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीतिः** वैश्विक मुद्रास्फीति में 2024 में 4% से घटकर 2025 में 3.4% होने का अनुमान है, जोकि घरों और व्यवसायों के लिए कुछ राहत प्रदान करता है। कई केंद्रीय बैंकों द्वारा मुद्रास्फीति कम होने के साथ-साथ ब्याज दरों में कमी की उम्मीद है, हालांकि विकासशील देशों को अभी भी मुद्रास्फीति की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **व्यापार और भू-राजनीतिक जोखिमः** वैश्विक व्यापार में 2025 में मामूली 3.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है, व्यापार नीतियों में तनाव और भू-राजनीतिक संघर्ष स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

2025 में भारत की संभावित वृद्धिः

WESP 2025 रिपोर्ट में भारत एक प्रमुख प्रदर्शनकर्ता है, जिसकी अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.6% है, जो इसे दक्षिण एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनाती है। इस सकारात्मक दृष्टिकोण में कई कारक योगदान करते हैंः

- **निजी खपत और निवेशः** भारत की मजबूत निजी खपत और विशेष रूप से बुनियादी ढांचे में निवेश में वृद्धि, इसकी आर्थिक वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय (CapEx) पर सरकार का जोर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्रदान करने की उम्मीद है, जिसमें बेहतर कनेक्टिविटी, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन शामिल हैं।
- **रुपये पर दबाव कम होनाः** अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण दबाव में रहे भारतीय रुपये के आने वाले वर्ष में स्थिर होने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अमेरिकी मौद्रिक नीतियों के ढीले होने के कारण दक्षिण एशियाई मुद्राओं, जिसमें रुपया भी शामिल है, पर मूल्यह्रास दबाव कम होने का संकेत दिया गया है, जो इस क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेगा। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ावा मिल सकता है और अर्थव्यवस्था के लिए कुछ राहत प्रदान कर सकता है।
- **क्षेत्रीय विकास चालकः** भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में विस्तार जारी रहने का अनुमान है। विशेष रूप से, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी सेवाओं में भारत की बढ़ती उपस्थिति देश के निर्यात प्रदर्शन को मजबूत समर्थन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त, 2024 में अनुकूल मानसून सीजन से 2025 में कृषि उत्पादकता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
- **श्रम बाजार और लैंगिक अंतरः** भारत में श्रम बाजार संकेतक मजबूत बने हुए हैं, शहरी बेरोजगारी 6.6% पर स्थिर है, लैंगिक असमानताएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी में सुधार हुआ है, किन्तु महत्वपूर्ण अंतराल बने हुए हैं, जोकि राष्ट्र की समग्र उत्पादकता क्षमता को सीमित करते हैं। इन लैंगिक असमानताओं को दूर करने से आगे आर्थिक विकास को गति मिल सकती है।
- **महत्वपूर्ण खनिज संसाधनः** भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के विशाल भंडार हैं। ये खनिज प्रौद्योगिकी और हरित ऊर्जा उद्योगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनकी वैश्विक मांग लगातार बढ़ रही है। भारत इन खनिजों को उनके आर्थिक विकास के लिए एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। देश इन प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सकता है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि का पूर्वानुमान

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 'पहले अग्रिम अनुमान' (एफएई) जारी किए हैं। ये अनुमान उपलब्ध डेटा और पिछले रुझानों के आधार पर देश के आर्थिक उत्पादन का पूर्वानुमान लगाते हैं।

जीडीपी क्या है?

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) किसी विशिष्ट अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को मापता है। यह मध्यवर्ती वस्तुओं को छोड़कर कुल आर्थिक उत्पादन को दर्शाता है।

जीडीपी वृद्धि के चार प्रमुख 'इंजन':

- **निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई):** वस्तुओं और सेवाओं पर व्यक्तियों और परिवारों द्वारा किया गया व्यय।
- **सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई):** मजदूरी, रक्षा, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं पर सरकारी व्यय।
- **सकल स्थिर पूंजीगत व्यय (जीएफसीएफ):** बुनियादी ढांचे और उत्पादन क्षमता में निवेश।
- **शुद्ध निर्यात (एनएक्स):** जो किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य (निर्यात) और उस देश द्वारा खरीदे गए विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य (आयात) के बीच अंतर को दर्शाता है।

जीडीपी गणना का सूत्र:

- जीडीपी = निजी उपभोग + सकल निवेश + सरकारी निवेश + सरकारी व्यय + (निर्यात – आयात)

असल जीडीपी और नाममात्र जीडीपी में अंतर (Difference between Real GDP and Nominal GDP):

- **नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP):** किसी विशिष्ट समय अवधि (त्रैमासिक या वार्षिक) में किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, वर्तमान बाजार मूल्यों का उपयोग करके गणना किया जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति शामिल है। यह अर्थव्यवस्था के आकार की गणना के लिए उपयोगी है, किन्तु आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को विकृत करता है।
- **वास्तविक जीडीपी (Real GDP):** जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना आधार वर्ष के मूल्य या स्थिर मूल्य पर की जाती है तो जो GDP की वैल्यू प्राप्त होती है उसे रियल जीडीपी कहते हैं। यह विशेष रूप से नीति निर्माताओं के लिए आर्थिक रणनीतियों को डिजाइन करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्त वर्ष 2025–26 के लिए जीडीपी पूर्वानुमान:

- पूर्वानुमान के आधार पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की नाममात्र जीडीपी का 324 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 24 की तुलना में 9.7% की वृद्धि को दर्शाता है। साथ ही यह भारत के नाममात्र जीडीपी को 85 रुपये प्रति डॉलर की विनिमय दर के आधार पर लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान करता है। हालांकि, यह अनुमान संघ बजट में अनुमानित 328 लाख करोड़ रुपये से कम है।
    - » **नाममात्र जीडीपी:** वित्त वर्ष 24 की तुलना में 9.7% की वृद्धि को दर्शाते हुए 324 लाख करोड़ रुपये पर अनुमानित है।
    - » **वास्तविक जीडीपी:** नाममात्र जीडीपी का 57% हिस्सा बनाते हुए 184.9 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
- वित्त वर्ष 20 के बाद से भारत का वास्तविक जीडीपी 4.8% की औसत दर से बढ़ा है, जो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद देखी गई 7% की वृद्धि से काफी कम है।
- नाममात्र जीडीपी वृद्धि भी धीमी हो गई है, 2003-04 और 2018-19 के बीच 13.5% के ऐतिहासिक औसत की तुलना में वार्षिक वृद्धि 10% से नीचे आ रही है।

जीडीपी वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक:

भारत का जीडीपी चार मुख्य घटकों से प्रभावित होता है:

- **निजी उपभोग (पीएफसीई):** जीडीपी में लगभग 60% का योगदान देने वाला, निजी उपभोग में कम वृद्धि समग्र जीडीपी विस्तार में बाधा डालती है। यह इस वर्ष 7.3% बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन वित्त वर्ष 2020-21 के बाद से यह केवल 4.8% की दर से बढ़ा है।
- **सरकारी व्यय (जीएफसीई):** जीडीपी का 10% हिस्सा होने के कारण, सरकारी व्यय में वित्त वर्ष 25 में केवल 4.2% की वृद्धि हुई, जो अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बावजूद सीमित राजकोषीय कमी को दर्शाता है।
- **निवेश (जीएफसीएफ):** जीडीपी का लगभग 30% हिस्सा होने के कारण, निवेश में वित्त वर्ष 25 में 6.3% की वृद्धि होने का अनुमान है। हालांकि, निजी उपभोग कम होने के कारण व्यवसायों द्वारा सतर्कता बरती जा रही है, जिससे 2014 के बाद से निवेश में वृद्धि कम हो रही है।
- **शुद्ध निर्यात:** भारत पारंपरिक रूप से निर्यात की तुलना में अधिक आयात करता है, जो जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि, हाल के वर्षों में आयात और निर्यात के बीच का अंतर कम हुआ है।

वित्त वर्ष 2024 में ग्रामीण गरीबी में कमी आई: एसबीआई

चर्चा में क्यों?

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक नवीनतम शोध अध्ययन में भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी के स्तर में उल्लेखनीय गिरावट का पता चला है। यह अध्ययन भारत में गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में हुई प्रगति को दर्शाता है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **ग्रामीण गरीबी में कमी:** ग्रामीण गरीबी 2023-24 में 4.86% तक गिर गई है, जोकि 2011-12 में 25.7% थी। यह मुख्य रूप से सरकारी सहायता और सबसे गरीब दशमक (Decile) में अधिक खपत के कारण है।

- **शहरी गरीबी में कमी:** शहरी गरीबी 2011-12 में 13.7% से घटकर 4.09% हो गई।
- **सरकारी कार्यक्रमों का प्रभाव:** सरकारी पहल, विशेषकर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास और किसान सम्मान निधि कार्यक्रम, गरीबी में कमी लाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
- **उपभोग असमानता में कमी:** ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोग असमानता में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार हुआ है।
- **खाद्य मूल्य प्रभाव:** खाद्य मूल्यों में उतार-चढ़ाव समग्र उपभोग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जहां खाद्य व्यय अधिक है।

निष्कर्ष:

- **गरीबी कम करने प्राप्त सफलता:** ये निष्कर्ष बताते हैं कि कुल गरीबी 4-4.5% तक कम हो सकती है, जिससे गरीबी और कम होगी तथा देश के आर्थिक विकास में तेजी आएगी।
- **सरकारी कार्यक्रम और बुनियादी ढांचा विकास:** ग्रामीण-शहरी आय असमानता को कम करने में बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
- **खाद्य मुद्रास्फीति की भूमिका:** खाद्य मुद्रास्फीति ग्रामीण, निम्न-आय वाले राज्यों में उच्च आय वाले क्षेत्रों की तुलना में खपत को अधिक प्रभावित करती है, जिससे मांग कम हो जाती है।
- **आर्थिक असमानताएं:** अध्ययन यह भी बताता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में बचत दर कम है, जोकि उच्च बाहरी प्रवास से जुड़ी है, जबकि उच्च आय वाले राज्यों में बचत दर बेहतर दिखाई देती है।

चुनौतियां:

- **ग्रामीण-शहरी विभाजन:** गरीबी में कमी के बावजूद, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच आय और संसाधनों तक पहुंच में असमानताएं बनी हुई हैं।
- **संभावित संशोधन:** 2021 की जनगणना पूरी होने और नई ग्रामीण-शहरी जनसंख्या हिस्सेदारी उपलब्ध होने पर गरीबी के अनुमान बदल सकते हैं।
- **खाद्य मुद्रास्फीति के प्रति संवेदनशीलता:** ग्रामीण क्षेत्र बढ़ती खाद्य कीमतों से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे उनके उपभोग पैटर्न पर असर पड़ता है।
- **सरकारी कार्यक्रमों की स्थिरता:** सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और दीर्घकालिक स्थिरता चिंता का विषय है, क्योंकि इन पहलों को बदलती आर्थिक स्थितियों के अनुरूप ढलना जारी रखना होगा।

गरीबी:

- गरीबी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और आवश्यक वस्तुओं की कमी होती है। विश्व बैंक इसे कल्याण में अभाव की स्थिति के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें कम आय, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ पानी तक सीमित पहुंच और किसी के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता की कमी शामिल है।

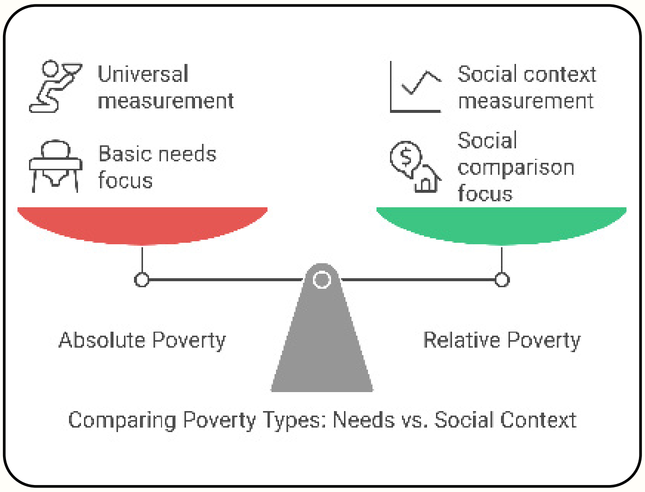

गरीबी के प्रकार:

- **पूर्ण गरीबी:** ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां घरेलू आय भोजन, आश्रय और आवास सहित बुनियादी जीवन स्तर को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। पूर्ण गरीबी को विभिन्न देशों और समय के साथ मापा जा सकता है। विश्व बैंक ने 2022 में गरीबी रेखा को $2.15 प्रतिदिन तक अपडेट किया है।
- **सापेक्ष गरीबी:** सामाजिक दृष्टिकोण से परिभाषित, सापेक्ष गरीबी यह मापती है कि व्यक्ति या परिवार आसपास की आबादी के जीवन स्तर की तुलना में कैसे हैं। इसे अक्सर औसत आय के एक निश्चित प्रतिशत से नीचे रहने वाले लोगों के अनुपात के रूप में मापा जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन हेतु कार्य समूह गठित

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) की वर्तमान श्रृंखला के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 करने के लिए एक कार्य समूह गठित करने का निर्णय लिया है। संशोधन का उद्देश्य WPI को अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के अनुकूल बनाना है, ताकि मूल्य सूचकांक प्रासंगिक और विश्वसनीय संकेतक बन सके।

कार्य समूह की संरचना:

- कार्य समूह का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद

करेंगे, जो इसके अध्यक्ष होंगे। इस समूह में आर्थिक सलाहकार, सांख्यिकीविद्, सरकारी विभागों के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री और उद्योग और शिक्षा जगत के सदस्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। उल्लेखनीय रूप से, विविध दृष्टिकोण लाने के लिए कई गैर-आधिकारिक अर्थशास्त्रियों को शामिल किया गया है।

थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के बारे में:

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) उपभोक्ता बाजार तक पहुँचने से पहले व्यवसायों के मध्य थोक में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित WPI विनिर्माण और निर्माण जैसे क्षेत्रों में मुद्रास्फीति के रुझान को ट्रैक करने में मदद करता है। WPI में वृद्धि मुद्रास्फीति के दबाव का संकेत देती है, जबकि गिरावट कम मुद्रास्फीति को दर्शाती है।

थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मुद्रास्फीति सूचकांक:

- WPI वस्तुओं के थोक मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) औसत मूल्य को ट्रैक करता है जोकि घर-परिवार वस्तुओं और सेवाओं के लिए भुगतान करते हैं। WPI थोक स्तर पर वस्तुओं तक सीमित है, जबकि CPI में वस्तुएँ और सेवाएँ दोनों शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब मौद्रिक नीति निर्धारित करने के लिए CPI का उपयोग करता है, क्योंकि यह उपभोक्ता मुद्रास्फीति को बेहतर ढंग से दर्शाता है।

थोक मूल्य सूचकांक में संशोधन :

- 2017 में, GDP और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जैसे आर्थिक संकेतकों के साथ संरेखित करने के लिए WPI आधार वर्ष को 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 कर दिया गया था। इस अद्यतन ने अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों को दर्शाने में WPI की सटीकता में सुधार किया।

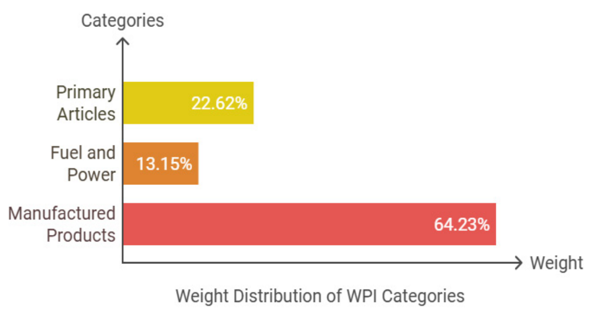

Weight Distribution of WPI Categories

थोक मूल्य सूचकांक की गणना:

- WPI की गणना वस्तुओं की एक टोकरी से कीमतों के भारित औसत का उपयोग करके की जाती है, जिसे तीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है:
  - » प्राथमिक वस्तुएँ (22.62%): इसमें खाद्य और कृषि उत्पाद जैसे कच्चे माल शामिल हैं।
  - » ईंधन और बिजली (13.15%): इसमें तेल और कोयला जैसे ऊर्जा उत्पाद शामिल हैं।
  - » निर्मित उत्पाद (64.23%): इसमें औद्योगिक उत्पाद और मशीनरी शामिल हैं।
- WPI कुल 697 वस्तुओं को ट्रैक करता है, जिसमें 117 प्राथमिक वस्तुएँ, 16 ईंधन वस्तुएँ और 564 उत्पाद शामिल हैं।

महत्व:

- भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती संरचना के साथ सूचकांक को संरेखित रखने के लिए WPI आधार वर्ष का संशोधन महत्वपूर्ण है। अद्यतन सूचकांक मूल्य परिवर्तनों का अधिक सटीक प्रतिबिंब प्रदान करेगा, नीति, व्यवसाय और वित्तीय नियोजन के लिए बेहतर आर्थिक निर्णय लेने में सहायता करेगा।

डीएपी विशेष पैकेज और फसल बीमा योजनाओं की अवधि बढ़ी

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने डाईअमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक पर एकमुश्त विशेष सब्सिडी में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही, दो महत्वपूर्ण कृषि बीमा योजनाओं को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों ही कदम किसानों को आने वाले वर्षों में वित्तीय सहायता और जोखिम कवरेज प्रदान करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं।

कैबिनेट के प्रमुख निर्णय:

- **डीएपी विशेष पैकेज का विस्तार:**
  - » केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) उर्वरक की कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 1 जनवरी, 2025 से, डीएपी पर 3,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से एकमुश्त विशेष सब्सिडी दी जाएगी।
  - » यह सब्सिडी किसानों को डीएपी उर्वरक की सुलभता सुनिश्चित करेगी, जोकि फसल उत्पादन के लिए अत्यंत आवश्यक है।
  - » इस पैकेज के लिए लगभग 3,850 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जोकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसान कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- **फसल बीमा योजनाओं को जारी रखना:**
  - » केंद्र सरकार ने किसानों की आय को स्थिर करने और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनमें से एक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) को 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय। इन योजनाओं के लिए 69,515.71 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
  - » इन योजनाओं के तहत, किसानों को सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि

जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाता है। इससे किसानों को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलती है और वे कृषि गतिविधियों को जारी रख सकते हैं।

» सरकार ने इन बीमा योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष (एफआईएटी) की स्थापना की है। एफआईएटी कोष के लिए 824.77 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

- **मौसम सूचना और नेटवर्क डाटा सिस्टम (WINDS):**
  » मौसम से संबंधित डेटा की सटीकता बढ़ाने के लिए, 2024-25 में WINDS पहल को लागू किया जाएगा। यह प्रणाली मौसम पूर्वानुमान को बढ़ावा देगी और किसानों को समय पर और सटीक मौसम अपडेट प्रदान करेगी, जिससे बेहतर फसल योजना और जोखिम शमन में सहायता मिलेगी।
- **गैर-बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता ज्ञापन:**
  » मंत्रिमंडल ने गैर-बासमती सफेद चावल (एनबीडब्ल्यूआर) के व्यापार के लिए भारत के सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी मंजूरी दे दी है। यह समझौता उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर सालाना एक मिलियन मीट्रिक टन तक एनबीडब्ल्यूआर के व्यापार की अनुमति देता है।

निर्णयों के लाभः

- **उर्वरकों की लागत का प्रबंधनः** विशेष डीएपी सब्सिडी से किसानों को इनपुट, विशेष रूप से उर्वरकों की बढ़ती लागत को प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, जिससे कृषि उत्पादन आर्थिक रूप से व्यवहार्य बना रहेगा। इससे फसल की पैदावार में सुधार होगा, जिससे किसानों और समग्र रूप से कृषि अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा।
- **प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षाः** पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस योजनाओं को जारी रखते हुए सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के मामले में वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर रही है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को भारी नुकसान का सामना न करना पड़े और वे अपनी फसलों को हुए नुकसान से उबर सकें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- **बीमा में तकनीकी प्रगतिः** FIAT के निर्माण और WINDS के कार्यान्वयन से कृषि बीमा के तकनीकी ढांचे में वृद्धि होगी, जिससे मौसम की अधिक सटीक भविष्यवाणी और बीमा दावों की प्रक्रिया में आसानी होगी। इससे यह सुनिश्चित होता है कि किसान अप्रत्याशित मौसम से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं।
- **आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापारः** समझौता ज्ञापन से भारतीय चावल निर्यातकों के लिए नए बाजार खुलेंगे, व्यापार के अवसर बढ़ेंगे और भारत के कृषि निर्यात में वृद्धि में योगदान मिलेगा। यह वैश्विक कृषि बाजारों में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिसंबर 2024 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विशेष रूप से गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) में कमी आई है। यह रिपोर्ट भारतीय वित्तीय प्रणाली की मजबूती और लचीलेपन को दर्शाती है।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की मुख्य बिंदुः

- **सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात में गिरावटः** सबसे उल्लेखनीय विकास सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (जीएनपीए) में कमी है, जोकि सितंबर 2024 तक घटकर 2.6% हो गई है। यह पिछले 12 वर्षों का सबसे निम्न स्तर है। यह बैंकों द्वारा खराब ऋणों के प्रबंधन में हुए उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली की मजबूती का प्रमाण है।
- **शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनएनपीए) अनुपातः** शुद्ध एनपीए (एनएनपीए) अनुपात 0.6% पर स्थिर रहा, जोकि पर्याप्त प्रावधान करके खराब ऋणों के प्रभावी प्रबंधन का संकेत देता है। इससे पता चलता है कि एससीबी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से संभावित नुकसान को संभालने में मजबूत स्थिति बनाए हुए हैं।
- **स्लिपेज अनुपात और प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर):** स्लिपेज अनुपात, जोकि मानक अग्रिमों के हिस्से के रूप में नए एनपीए को मापता है, बढ़कर 0.7% हो गया, लेकिन अभी भी प्रबंधनीय बना हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा सक्रिय प्रावधान के कारण प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में सुधार होकर 77% हो गया।
- **विभिन्न बैंक श्रेणियों में राइट-ऑफ की प्रवृत्तिः** रिपोर्ट में कहा गया है कि विदेशी बैंकों के लिए जीएनपीए अनुपात में राइट-ऑफ बढ़ा है, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और पीएसबी के लिए इसमें थोड़ी गिरावट आई है। राइट-ऑफ जीएनपीए अनुपात को कम करने में मदद करता है और डेटा से पता चलता है कि बैंक सक्रिय रूप से अपने बहीखातों से खराब ऋणों को कम कर रहे हैं।

अन्य प्रमुख निष्कर्षः

- भारतीय बैंकों ने मजबूत पूंजी भंडार बनाए रखा है, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।
- आरबीआई के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट से पता चलता है कि अधिकांश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) अच्छी तरह से पूंजीकृत हैं और प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों में भी झटके झेलने में

सक्षम हैं।

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी) और बीमा क्षेत्र भी स्वस्थ बने हुए हैं, जिससे वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को और बल मिला है।
- रिपोर्ट में बैंकों की जमा प्रोफाइल में बदलाव की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसमें सावधि जमा के पक्ष में कम लागत वाली चालू खाता बचत खाता (CASA) जमा में गिरावट आई है।
- ब्याज दर की ओर बदलाव से शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) प्रभावित हो सकता है, जोकि उच्च ब्याज दरों के कारण ग्राहक व्यवहार में बदलाव को दर्शाता है।
- परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (Return on Assets) तथा प्रावधानों एवं करों से पूर्व आय में सुधार के बावजूद, एनआईएम में गिरावट के कारण लाभप्रदता मोटे तौर पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
- भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक विकास और मुद्रास्फीति में उतार- चढ़ाव जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, भारतीय वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है। RBI के प्रणालीगत जोखिम सर्वेक्षण (नवंबर 2024) ने भारत की वित्तीय प्रणाली में विश्वास दिखाया, जिसमें भू-राजनीतिक संघर्ष, वैश्विक आर्थिक विकास और पूंजी बहिर्वाह और रुपये के मूल्यह्रास पर चिंताओं के रूप में पहचाने गए प्रमुख जोखिम शामिल हैं।
- जून 2024 तक भारत का घरेलू ऋण अन्य उभरते बाजारों की तुलना में अपेक्षाकृत कम यानी सकल घरेलू उत्पाद का 42.9% बना रहेगा।
- पिछले तीन वर्षों में घरेलू ऋण में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण औसत ऋणग्रस्तता में वृद्धि के बजाय उधारकर्ताओं की संख्या में वृद्धि है।
- घरेलू ऋण में वृद्धि व्यापक वित्तीय समावेशन अभियान का संकेत देती है, जिसमें ऋण का उपयोग उपभोग, परिसंपत्ति सृजन (गृह और वाहन ऋण) और उत्पादक उद्देश्यों (व्यवसाय और शिक्षा ऋण) के लिए किया जा रहा है।

एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों) के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (MCGS-MSME) शुरू की है, जिसका उद्देश्य इन उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 2024-25 के संघीय बजट में घोषित की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण प्राप्त करने में मदद करना है, ताकि वे अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकें, विशेषकर उपकरण और मशीनरी खरीदने में।

योजना की मुख्य विशेषताएँ:

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई के लिए क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाना है, ताकि वे अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकें और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे सकें। गारंटी के बिना ऋण उपलब्ध कराकर, यह योजना एमएसएमई को ऋण पूंजी तक आसान पहुँच देने का लक्ष्य रखती है।
- **योग्यता:** एमएसएमई को योजना के लिए उद्यम पंजीकरण संख्या का होना आवश्यक है।
- **ऋण राशि:** योजना के तहत ऋण की गारंटी 100 करोड़ तक होगी (परियोजना की लागत इससे अधिक हो सकती है)।
- **उपकरण/मशीनरी लागत:** परियोजना लागत का कम से कम 75% उपकरण और मशीनरी पर खर्च किया जाना चाहिए।
- **ऋण पुनर्भुगतान अवधि:**
  - » **50 करोड़ तक के ऋण:** जिसमें 2 साल तक मुख्य किस्तों का भुगतान नहीं करना होगा।
  - » **50 करोड़ से अधिक के ऋण:** पुनर्भुगतान अवधि और मोरेटोरियम (किस्तों का भुगतान स्थगित रखने) की अवधि लंबी हो सकती है।
- **अग्रिम में योगदान (Upfront Contribution):** ऋण आवेदन पर 5% की राशि उधारीकर्ता को जमा करनी होगी।
- **वार्षिक गारंटी शुल्क:**
  - » पहले साल में शुल्क शून्य होगा।
  - » अगले 3 वर्षों के लिए 1.5% प्रति वर्ष (पिछले वर्ष के 31 मार्च तक के ऋण पर)।
  - » इसके बाद, 1% प्रति वर्ष।
- **योजना की अवधि:** यह योजना उन सभी ऋणों पर लागू होगी जो MCGS-MSME के तहत 4 वर्षों तक मंजूर किए जाएंगे, या जब तक कुल गारंटी 7 लाख करोड़ तक नहीं पहुँच जाती।

अपेक्षित लाभ:

- एमएसएमई के लिए क्रेडिट तक पहुँच में सुधार होगा, जिससे विस्तार के लिए वित्तीय बाधा को कम किया जा सकेगा।
- उपकरण और मशीनरी में निवेश बढ़ेगा, जिससे उत्पादन क्षमता सुदृढ़ होगी।
- भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे उत्पादन क्षमता में सुधार होगा।
- आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेगा।

वैश्विक श्रम बाजार का भविष्य और भारत की बढ़ती भूमिका

तकनीकी प्रगति और जनसांख्यिकीय बदलावों के कारण वैश्विक श्रम बाजार में तीव्र परिवर्तन हो रहे है। 2030 तक कुशल श्रम की मांग, आपूर्ति से अधिक होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं। फिक्की-केपीएमजी के एक अध्ययन 'भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता' के अनुसार, विश्व को 85.2 मिलियन से अधिक कुशल श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से $8.45 ट्रिलियन वार्षिक राजस्व का नुकसान होगा। यह परिदृश्य दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करता है, लेकिन साथ ही, यह भारत के लिए एक अवसर भी प्रदान करता है। भारत अपने कुशल कार्यबल को वैश्विक स्तर पर एक परिसंपत्ति के रूप में स्थापित कर सकता है, जिससे न केवल वैश्विक आर्थिक स्थिरता में योगदान होगा, बल्कि भारत के स्वयं के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

वैश्विक कार्यबल रुझान और क्षेत्रीय मांग:

- अध्ययन के अनुसार श्रम की कमी सभी क्षेत्रों में एक समान नहीं होगी, बल्कि जनसांख्यिकीय रुझानों, औद्योगिक आवश्यकताओं और आर्थिक नीतियों के आधार पर अलग-अलग होगी। तीन प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में कार्यबल की कमी होने की सम्भावना है:
  - **खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) और ऑस्ट्रेलिया:** इन क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र में श्रमिकों की उच्च मांग होगी, क्योंकि तीव्र शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास प्राथमिकता बनी हुई है।
  - **यूरोप:** यूरोप सेवा क्षेत्र के पेशेवरों पर अधिक निर्भर होगा, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी-संबंधी सेवाओं में।
  - **सभी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मांग:** बढ़ती उम्र की आबादी और बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उच्च मांग में होगा। इसके अतिरिक्त, स्वचालन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन, संसाधन दक्षता और स्थिरता में विशेषज्ञता की मांग बढ़ती रहेगी, जो भविष्य के कार्यबल परिदृश्य को आकार देगी।

वैश्विक श्रम बाजार में भारत का भू-राजनीतिक लाभ:

- अन्य देशों के प्रवासी समुदायों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन भारतीय श्रमिकों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं। यहां तक कि उन क्षेत्रों में भी, जहां अप्रवास विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, कुशल भारतीय पेशेवरों की मांग बनी हुई है।
- हालांकि, अवैध प्रवास एक प्रमुख चिंता का विषय है, जिससे आर्थिक और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके लिए कानूनी प्रवासन प्रणाली को मजबूत करना आवश्यक है ताकि भारतीय श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके और भारत को कुशल श्रम के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया जा सके।

भारत का जनसांख्यिकीय लाभ:

- भारत की जनसंख्या 1.4 बिलियन से अधिक है, जिसमें लगभग 65% लोग कामकाजी आयु वर्ग (15-64 वर्ष) में हैं और 27% से अधिक 15 से 24 वर्ष के बीच के हैं। यह जनसांख्यिकीय अधिशेष (Demographic Surplus) वैश्विक कार्यबल की कमी को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
  - **दोहरा लाभ:** भारत की अपेक्षाकृत युवा औसत आयु 28.4 वर्ष है, जो न केवल प्रतिस्पर्धी कार्यबल उपलब्ध कराता है, बल्कि घरेलू उपभोग के माध्यम से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है।
  - **पूर्व की सफलताये:** आईटी और बीपीओ क्षेत्रों में भारत की सफलता ने वैश्विक आर्थिक योगदान के लिए कुशल जनशक्ति का लाभ उठाने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित किया है।

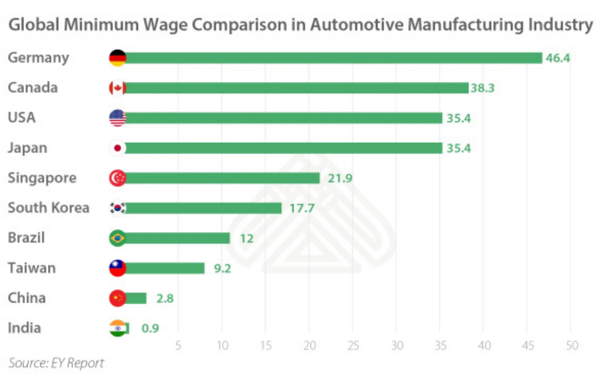

कार्यबल की गतिशीलता में बाधाएँ:

वैश्विक श्रम बाजार में बढ़ती मांग के बावजूद, विभिन्न संरचनात्मक और प्रणालीगत बाधाएँ कुशल कार्यबल की मुक्त गतिशीलता को बाधित करती हैं। प्रमुख चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

- **विनियामक और आव्रजन सम्बंधी बाधाएँ:** कठोर वीजा प्रक्रियाएँ और कार्य परमिट नियम कुशल प्रवास के अवसरों को सीमित करते हैं। कई देशों में आप्रवासन नीतियों का कठोर होना भारतीय श्रमिकों के लिए चुनौतियाँ बढ़ा रहा है।
- **भर्ती में गड़बड़ी और मानव तस्करी:** कई प्रवासी श्रमिक शोषणकारी भर्ती प्रथाओं और अनियमित बिचौलियों का शिकार होते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान मानव तस्करी और अनैतिक भर्ती प्रथाओं से निपटने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया था।
- **नीतिगत बाधाएँ और कौशल विसंगतियाँ:** भारतीय पेशेवरों, विशेष रूप से चिकित्सा और इंजीनियरिंग क्षेत्र के श्रमिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिग्री मान्यता की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे कई उच्च-योग्यता प्राप्त भारतीय पेशेवर अल्प रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति में पहुँच जाते हैं।
- **भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएँ:** कई देशों में भाषा दक्षता की कमी और सांस्कृतिक अनुकूलन संबंधी चुनौतियाँ कार्यबल के एकीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। इन बाधाओं के कारण उत्पादकता और दक्षता प्रभावित होती है, जिससे श्रमिकों के पेशेवर विकास में अवरोध आता है।

सरकारी पहल और नीतिगत प्रतिक्रियाएँ:

इन समस्याओं को पहचानते हुए, भारत सरकार ने कार्यबल की सुगम गतिशीलता को सुगम बनाने के लिए कई पहलों को क्रियान्वित किया है। प्रमुख हस्तक्षेपों में शामिल हैं:

- **द्विपक्षीय समझौते और मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए):** भारत ने प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जीसीसी देशों के साथ औपचारिक समझौते किए हैं।
- **कौशल विकास कार्यक्रम:** सरकार ने कार्यबल प्रशिक्षण को वैश्विक श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने को प्राथमिकता दी है। भारत-संयुक्त अरब अमीरात के संयुक्त विजन में कौशल निगम के महत्व पर प्रकाश डाला गया।
- **कार्यबल समर्थन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म:** भारत ने प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से जीसीसी देशों में, धोखेबाज बिचौलियों से बचाने के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रणाली स्थापित की है।

भारत की जनसांख्यिकीय क्षमता का लाभ उठाना:

अपनी विशाल कार्यशील जनसंख्या के अनुकूलन के लिए भारत ने कई कौशल प्रशिक्षण और प्रवासन पहल शुरू की हैं:

- **कौशल विकास पहल:**
  - कौशल भारत मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का उद्देश्य श्रमिकों को उच्च मांग वाले कौशल में प्रशिक्षित करना है।
  - राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में एकीकृत करती है, जिससे प्रारंभिक स्तर पर कौशल विकास संभव हो सके।
- **प्रवास समझौते:** भारत ने इटली, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ प्रवास और कौशल प्रशिक्षण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे कुशल श्रमिकों के कानूनी आवागमन में सुविधा होगी।

कार्यबल की गतिशीलता को अनुकूलित करने के लिए रणनीतिक उपाय

भारत की वैश्विक कार्यबल उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **क्षेत्र-विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण:** कार्यबल प्रशिक्षण को लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों और उभरते उद्योगों की मांगों के अनुरूप होना चाहिए।
- **भर्ती प्रथाओं का विनियमन:** श्रमिकों के शोषण और तस्करी से निपटने के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू किया जाना चाहिए।
- **योग्यताओं की मान्यता:** शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता पर ध्यान केंद्रित करके वैश्विक कार्यबल एकीकरण को आसान बनाया जा सकता है।
- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) को प्रोत्साहित करना:** केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों और वैश्विक रोजगार सुविधा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- **परिपत्र प्रवासन और गतिशीलता को बढ़ावा देना:** अस्थायी कार्य वीजा और गतिशील कार्यबल मॉडल को लागू करने से जनसांख्यिकीय असंतुलन को रोकने और श्रम की कमी को दूर करने में सहायता मिलेगी।

विकसित भारत का विजन:

- भारत की कार्यबल क्षमता उसकी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोलहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के अनुसार, भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2030 तक 6.5 से 9 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। भारत 8.45 ट्रिलियन डॉलर की वैश्विक आर्थिक क्षमता का कितना लाभ उठा सकता है, यह उसकी आर्थिक नीतियों और कार्यबल प्रबंधन की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा।
- यदि भारत नीतिगत सुधारों, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और रणनीतिक कार्यबल नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करता है, तो वह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है। ये प्रयास न केवल वैश्विक कार्यबल स्थिरता में योगदान देंगे, बल्कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही बदलते श्रम बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप, भारत का कुशल कार्यबल वैश्विक आर्थिक विकास को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सक्षम होगा।

भारत में माइक्रोफाइनेंस: विकास और चुनौतियाँ

माइक्रोफाइनेंस, जिसे माइक्रोक्रेडिट भी कहा जाता है, उन व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है, जिनकी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली तक पहुँच नहीं होती। इसमें माइक्रो-लोन, बचत खाते, बीमा, प्रेषण (Remittances) और अन्य वित्तीय उत्पाद शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा देना और हाशिए पर मौजूद समुदायों को आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण प्रदान करना है। महिलाओं को माइक्रोफाइनेंस का सबसे अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इससे वे आर्थिक गतिविधियों में अधिक भाग ले सकती हैं, बेहतर निर्णय ले सकती हैं और उनकी सामाजिक स्थिति मजबूत होती है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र पिछले कई दशकों में विकसित हुआ है। यह क्षेत्र विनियामक (Regulatory) सुधारों, वित्तीय संकटों और संरचनात्मक परिवर्तनों से गुजरा है। वर्तमान में, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (MFI) और स्वयं सहायता समूह (SHG) सामूहिक रूप से लगभग 12-14 करोड़ परिवारों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। इस क्षेत्र का कुल ऋण पोर्टफोलियो 7 लाख करोड़ है, जिसमें से 4 लाख करोड़ संयुक्त देयता समूह (JLG) ऋण से संबंधित है। हालाँकि, इस क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें अत्यधिक ऋणग्रस्तता ,बढ़ती गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (NPA), विनियामक बाधाएँ और परिचालन अक्षमताएँ (Operational Inefficiencies) शामिल हैं।

भारत में माइक्रोफाइनेंस का विकास:

भारत में माइक्रोफाइनेंस की यात्रा सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और नियामक ढांचे के अनुकूल होते हुए अनेक चरणों से गुजरी है।

- **प्रारंभिक नींव (1970-1990): मॉडल की स्थापना**
    - 1974 में, स्व-रोजगार महिला संघ (SEWA) बैंक की स्थापना गुजरात में की गई, जो भारत की पहली माइक्रोफाइनेंस संस्था बनी। इसने स्व-रोजगार हेतु महिलाओं को वित्तीय सेवाओं तक पहुँच प्रदान करने की पहल की।
    - 1992 में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने स्वयं सहायता समूह (SHG) लिंकेज पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की, जिसने SHG को बचत एकत्र करने और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- **विनियामक मान्यता (2000-2010): माइक्रोफाइनेंस का विस्तार**
    - 2004 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के अंतर्गत शामिल किया, जिससे बैंकों को अपने कुल ऋण का एक निश्चित प्रतिशत माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों के लिए आवंटित करना अनिवार्य हो गया।
    - 2010 में, आंध्र प्रदेश संकट के दौरान जबरन वसूली और अति-ऋणग्रस्तता जैसी समस्याएँ सामने आईं, जिसके कारण राज्य सरकार ने माइक्रोफाइनेंस गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए।
    - 2010 में, मालेगाम समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र के लिए नए नियामक मानदंड विकसित करना और जिम्मेदार ऋण देने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना था।
    - 2015 में, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी (MUDRA) बैंक की स्थापना की गई, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को माइक्रोक्रेडिट (Microcredit) तक आसान पहुँच प्रदान की जा सके।
- **2015 के बाद: विस्तार और चुनौतियाँ**
    - 2016 में, विमुद्रीकरण (Demonetization) के कारण नकदी की कमी हो गई, जिससे उधारकर्ताओं के लिए ऋण चुकाना मुश्किल हो गया व माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (MFI) के लिए धन की उपलब्धता प्रभावित हुई।
    - 2017 में, वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से एमएफआई के संचालन में नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हुई।
    - 2018-2019 में, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL-FS) और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) जैसे वित्तीय संस्थानों के संकट के कारण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC-MFI) के लिए वित्तपोषण में कमी आई, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता बाधित हुई।
    - 2020-2021 में, कोविड-19 महामारी के कारण बड़े पैमाने पर आर्थिक संकट पैदा हुआ, जिससे ऋण अदायगी में चूक (Loan Defaults) और परिचालन से जुड़ी समस्याएँ बढ़ गईं।
- हालाँकि, इन चुनौतियों के बावजूद, तकनीकी प्रगति, बेहतर जोखिम मूल्यांकन और डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार से माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र ने धीरे-धीरे सुधार किया। कोविड-19 के बाद की रिकवरी के कारण पिछले दो वर्षों में माइक्रोफाइनेंस ऋण पोर्टफोलियो और खातों में लगभग 50% की वृद्धि हुई।

भारत में माइक्रोफाइनेंस बिजनेस मॉडल:

- **स्वयं सहायता समूह (Self-Help Groups: SHG)**
  - » स्वयं सहायता समूह (SHG) छोटे समूह होते हैं, जिनमें सामान्यतौर पर 10-20 सदस्य होते हैं। ये सदस्य सामूहिक रूप से बचत करते हैं और जरूरत पड़ने पर उस बचत से ऋण लेते हैं।
  - » नाबार्ड (NABARD) का SHG-बैंक लिंकेज कार्यक्रम (SHG-BLP) दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोफाइनेंस पहल मानी जाती है, जो SHG को बैंक ऋण तक पहुँचने में मदद करता है।
  - » ये समूह सहकर्मी निगरानी मॉडल (Peer Monitoring Model) के तहत काम करते हैं, जिससे पारस्परिक जवाबदेही के जरिए ऋण चुकाने की दर अधिक बनी रहती है।
- **माइक्रोफाइनेंस संस्थान:**
  - » एमएफआई (MFI) संयुक्त देयता समूह (Joint Liability Group - JLG) के तहत ऋण देते हैं, जिसमें 4-10 सदस्य मिलकर एक-दूसरे के ऋण की गारंटी लेते हैं। एमएफआई एक सख्त पुनर्भुगतान प्रक्रिया अपनाते हैं, जिससे वित्तीय अनुशासन बना रहता है।
  - » **विनियामक निगरानी:** NBFC-MFI (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ) माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखती हैं और इन्हें RBI द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

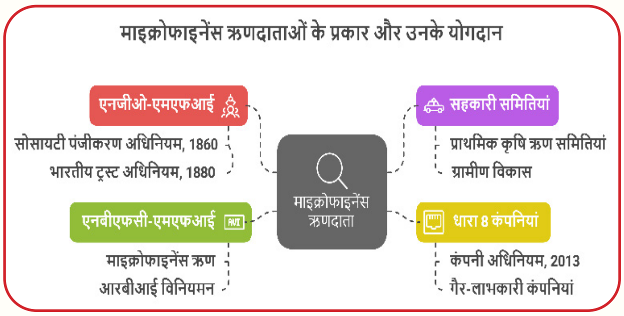

- **माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं के प्रकार:**
  - » **गैर सरकारी संगठन (NGO)-MFI:** ये गैर-लाभकारी संगठन (Non-Profit Organizations) होते हैं, जोकि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1880 के तहत पंजीकृत होते हैं।
  - » **सहकारी समितियाँ (Cooperative Societies):** प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) जैसी संस्थाएँ ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त सेवाएँ प्रदान करती हैं।
  - » **धारा 8 के तहत कंपनियाँ:** ये कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियाँ होती हैं, जो मुख्य रूप से वित्तीय समावेशन पर ध्यान देती हैं।
  - » **गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था (NBFC):** इनका माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में लगभग 80% हिस्सा है और ये RBI द्वारा सख्त विनियमन के तहत आती हैं।

वर्तमान स्थिति और विकास रुझान:

- माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र वर्तमान में 3 करोड़ से अधिक उधार कर्ताओं को सेवा प्रदान करता है।
  - » **कुल बकाया ऋण:** 7 लाख करोड़, महामारी के बाद तेजी से विस्तार हुआ।
  - » **रोजगार सृजन:** यह क्षेत्र 130 लाख नौकरियों और भारत के सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 2% का योगदान देता है।

हालाँकि, बढ़ती देनदारियाँ और एनपीए वित्तीय तनाव के संकेत हैं।

- **बढ़ते एनपीए:**
  - » ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का सकल एनपीए सितंबर 2024 में बढ़कर 1,279.3 करोड़ (6.9%) हो गया, जो एक साल पहले 399.1 करोड़ (2.6%) था।
  - » क्रिसिल का अनुमान है कि एसएफबी एनपीए वित्त वर्ष 24 में 2.3% से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 2.9% हो जाएगा।
- **संग्रह क्षमता में गिरावट:**
  - » वित्त वर्ष 2024 में संग्रह दक्षता 98% थी, जोकि वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में घटकर 94% रह गई। यह माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में बढ़ते वित्तीय दबाव को दर्शाता है।

भारत में माइक्रोफाइनेंस के समक्ष चुनौतियाँ:

- **परिचालन और संरचनात्मक चुनौतियाँ**
  - » **अत्यधिक ऋणग्रस्त (Over-Indebted) उधारकर्ता:** कई लोग अलग-अलग संस्थानों से कई ऋण ले लेते हैं, लेकिन उनकी चुकाने की क्षमता कमजोर होती है।
  - » **कमजोर संयुक्त देयता समूह (JLG) मॉडल:** समूह के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी समान होती है, लेकिन जवाबदेही की कमी के कारण ऋण चूक (Default) के मामले बढ़ रहे हैं।
  - » **कर्मचारियों का पलायन और धोखाधड़ी:** कर्मचारियों के संस्थाओ को छोड़ने की दर अधिक है, जिससे ऋण वसूली प्रभावित होती है। कुछ मामलों में धोखाधड़ी पूर्ण ऋण (Fraudulent Loans) देने की घटनाएँ भी देखी गई हैं।
- **उधारकर्ता की ऋणग्रस्तता और वित्तीय दबाव:**
  - » **बढ़ता क्रेडिट कार्ड ऋण:** 2023 में बकाया शेष राशि 2.30 लाख करोड़ थी, जो 2024 में बढ़कर 2.71 लाख करोड़ हो गई। यह संकेत देता है कि लोग अधिक कर्ज ले रहे हैं, जिससे उनके लिए पुनर्भुगतान कठिन हो सकता है।
  - » **विनियामक प्रतिबंध:** RBI ने NBFC-MFI पर अनुचित ब्याज दर (Predatory Pricing) और उधारकर्ता मूल्यांकन में खामियों के कारण सख्त नियम लागू किए हैं।
- **बाहरी चुनौतियाँ:**
  - » **राजनीतिक हस्तक्षेप:** चुनावों से पहले कई दल ऋण

माफी का वादा करते हैं, जिससे लोग जानबूझकर ऋण नहीं चुकाते।

» **प्राकृतिक आपदाएँ:** बाढ़ और सूखे से लोगों की आय पर असर पड़ता है, जिससे वे ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं।

नीतिगत उपायों के माध्यम से माइक्रोफाइनेंस को मजबूत करना:

- **मानकीकृत घरेलू आय मूल्यांकन:** इसका उद्देश्य उधारकर्ताओं की वास्तविक पुनर्भुगतान क्षमता का सही मूल्यांकन करना है, जिससे अत्यधिक ऋणग्रस्तता को रोका जा सके और माइक्रोफाइनेस क्षेत्र में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो।
- **क्रेडिट डेटा अपडेट:** क्रेडिट ब्यूरो को उधारकर्ताओं के डेटा को 15 दिन के बजाय साप्ताहिक रूप से अपडेट करने की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **आधार-आधारित केवाईसी:** आधार आधारित उधारकर्ता पहचान प्रणाली लागू करने से ऋण दोहराव और डेटा विसंगतियों को रोका जा सकता है।
- **मजबूत विनियामक निगरानी:** आरबीआई को NBFC-MFI के लिए सख्त निगरानी तंत्र लागू करना चाहिए, ताकि अनुचित ऋण प्रथाओं (Predatory Lending Practices) को रोका जा सके।

गिग श्रमिकों के लिए पेंशन नीति

संदर्भ:

श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत में गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से लेन-देन आधारित पेंशन नीति विकसित कर रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य गिग श्रमिकों द्वारा सामना की जा रही रोजगार संबंधी समस्याओं का समाधान करना है, जो विभिन्न प्लेटफार्मों पर काम करते हैं और जिनके पास स्थिर वेतन नहीं होता है। इस नीति के अंतर्गत, पेंशन योगदान श्रमिकों की आय संबंधी लेन-देन के आधार पर होगा, जिससे लगभग 1 करोड़ गिग श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और स्थिर वित्तीय भविष्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।

पेंशन नीति कैसे काम करेगी:

- प्रस्तावित पेंशन योजना ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से काम करेगी, जहां प्रत्येक गिग श्रमिक को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सौंपा जाएगा। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ हैं:
  - » पेंशन कटौती श्रमिकों की कई प्लेटफार्मों से होने वाली आय से जुड़ी होंगी।
  - » प्रत्येक प्लेटफार्म (नियोक्ता) प्रति-बिल के आधार पर पेंशन में योगदान करेगा।
  - » एक मानकीकृत योगदान संरचना,जिसमें श्रमिक और नियोक्ता दोनों पेंशन योगदान साझा करेंगे।
- ई-श्रम पोर्टल के साथ इस नीति का एकीकरण, जिसे 2021 में असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) बनाने के लिए लॉन्च किया गया था, सामाजिक सुरक्षा का एक व्यापक ढांचा प्रदान करेगा।
- जनवरी 2025 तक, पोर्टल पर 30 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हो चुके हैं। UAN प्रणाली श्रमिकों के रोजगार इतिहास को विभिन्न प्लेटफार्मों पर ट्रैक करेगी, जिससे पारदर्शिता और स्वास्थ्य बीमा तथा अन्य कल्याण योजनाओं जैसी लाभों तक पहुंच सुनिश्चित होगी।

गिग श्रमिक कौन हैं?

- गिग श्रमिक वे व्यक्ति होते हैं जो अस्थायी और लचीले कार्य करते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से भिन्न होते हैं। यह कार्य सामान्यत: ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से या अनुबंध आधारित होते हैं, इसके बजाय कि वे किसी कंपनी में स्थायी रोजगार प्राप्त करें।
- **गिग अर्थव्यवस्था:** गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार को दर्शाती है जो लघु-अवधि, लचीले काम की व्यवस्था द्वारा संचालित होता है। इस क्षेत्र ने तेजी से वृद्धि की है, विशेष रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों जैसे उबर, अमेजन और फ्रीलांस वेबसाइटों के उदय के साथ। भारत में, गिग अर्थव्यवस्था ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है।
- **गिग श्रमिकों के प्रकार:** गिग श्रमिकों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
  - » **प्लेटफॉर्म-आधारित गिग श्रमिक:** ये श्रमिक डिजिटल प्लेटफार्मों जैसे उबर, स्विग्गी, अमेजन के माध्यम से काम ढूंढते हैं। वे ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों से जुड़ते हैं।
  - » **गैर-प्लेटफॉर्म गिग श्रमिक:** ये श्रमिक पारंपरिक क्षेत्रों जैसे निर्माण या मैन्युअल श्रम में बिना डिजिटल प्लेटफार्मों के अनुबंध या अस्थायी काम करते हैं।

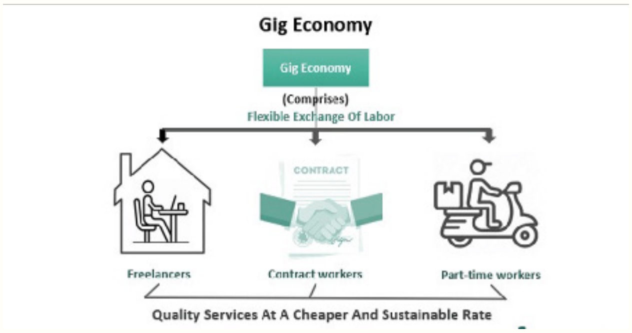

गिग श्रमिकों को लाभ:

- **लचीलापन:** गिग श्रमिक अपने काम के घंटों को सेट कर सकते हैं और अपनी उपलब्धता और प्राथमिकताओं के आधार पर असाइनमेंट्स चुन सकते हैं।
- **विविध कार्य अवसर:** वे कई प्लेटफार्मों और उद्योगों के साथ काम कर सकते हैं, विभिन्न कौशल और अनुभव प्राप्त कर सकते हैं।

- **स्वतंत्रता:** कई गिग श्रमिक अपने ही बॉस होते हैं, जिससे उन्हें अपने कार्य-जीवन संतुलन को नियंत्रित करने का अवसर मिलता है।

गिग श्रमिकों को सामना होने वाली चुनौतियाँ:

- **नौकरी की सुरक्षा की कमी:** लंबे समय तक रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, जिससे वित्तीय स्थिरता अनिश्चित रहती है।
- **अस्थिर आय:** आय काम की उपलब्धता और बाजार की मांग के आधार पर बदलती रहती है।
- **सीमित सामाजिक सुरक्षा:** पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में गिग श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा, वेतन अवकाश या पेंशन योजनाओं जैसे लाभों की कमी होती है।
- **शोषण का जोखिम:** कई गिग श्रमिकों को न्यूनतम कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है और वे प्लेटफार्मों या नियोक्ताओं से अनुचित व्यवहार का सामना कर सकते हैं।

प्रस्तावित पेंशन नीति भारत में गिग श्रमिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पेंशन योगदानों को वेतन लेन-देन से जोड़ने और इन्हें ई-श्रम पोर्टल से एकीकृत करने के द्वारा, सरकार का उद्देश्य गिग श्रमिकों के लिए विभिन्न प्लेटफार्मों पर लाभों को मानकीकृत करना है। हालांकि गिग काम का लचीलापन और स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा की कमी और सामाजिक सुरक्षा की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। यह नीति उस अंतर को भरने की उम्मीद करती है, जिससे गिग श्रमिकों को एक संरचित पेंशन प्रणाली और एक अधिक सुरक्षित भविष्य प्रदान किया जा सके।

आयकर विधेयक, 2025

संदर्भ:

आयकर विधेयक, 2025 को 15 फरवरी, 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के कर प्रणाली को सरल बनाना है, जिसमें पुराने प्रावधानों को हटाना, कानून को अधिक स्पष्ट बनाना और कानूनी जटिलताओं को कम करना शामिल है। यह 1961 के आयकर अधिनियम को बदलकर 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।

विधेयक की प्रमुख बातें:

- **संक्षिप्त और सरल कर कानून:** नया विधेयक शब्दों की संख्या को आधा कर देता है, जिससे यह अधिक संक्षिप्त और उपयोगकर्ता के अनुकूल बन जाता है। अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है और धाराएं 819 से घटकर 536 रह गई हैं।
- जटिल कानूनी भाषा के बजाय, कटौती, छूट और कर दरों जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इसे समझना आसान हो गया है।

'कर वर्ष' की नई अवधारणा:

- पुराने निर्धारण वर्ष (Assessment Year-AY) को हटाकर अब 'कर वर्ष' (Tax Year) की नई प्रणाली लाई गई है, जो वित्तीय वर्ष के अनुरूप होगी।
- इससे कर दाखिल करने की प्रक्रिया सरल होगी और व्यक्तियों व व्यवसायों के लिए कर अवधि का रिकॉर्ड रखना आसान होगा।
- नए व्यवसायों या पेशों के लिए, कर वर्ष उनकी स्थापना की तारीख से शुरू होगा और उसी वित्तीय वर्ष में समाप्त होगा।

डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टोकरेंसी पर नए नियम:

- विधेयक 'आभासी डिजिटल क्षेत्र' (Virtual Digital Space) की परिभाषा का विस्तार करता है ताकि इसमें ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज, ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म शामिल हों। इससे कर अधिकारियों को डिजिटल लेनदेन की निगरानी और जांच करने में आसानी होगी।
- क्रिप्टोकरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को अब आधिकारिक रूप से 'संपत्ति' माना जाएगा और रियल एस्टेट, शेयर बाजार और सोने की तरह इन पर भी पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) लगेगा।

पूंजीगत लाभ कर और कटौतियों में बदलाव:

- 1992 से पहले की संपत्ति हस्तांतरण पर पूंजीगत लाभ कर छूट जैसी पुरानी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया है।
- वेतन से संबंधित कटौतियों जैसे मानक कटौती (Standard Deduction), ग्रेच्युटी (Gratuity) और अर्जित अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) को एक संरचित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे इन्हें समझना आसान होगा।

तेजी से और स्पष्ट विवाद समाधान:

- विवाद समाधान पैनल (Dispute Resolution Panel - DRP) में सुधार किया गया है और इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि निर्णय कैसे लिए जाएंगे और सूचित किए जाएंगे।
- इससे कर विवादों के निपटान की प्रक्रिया तेज होगी और मुकदमों की संख्या में कमी आने की संभावना है।

चुनौतियाँ और भविष्य के प्रभाव:

- **बड़े संरचनात्मक सुधार नहीं:**
  - » विधेयक प्रावधानों को सरल बनाता है, लेकिन कर दरों, दंड (Penalties) या अनुपालन प्रणाली में बड़े बदलाव नहीं करता।
  - » विशेषज्ञों का मानना है कि इसे और अधिक करदाता-अनुकूल बनाने के लिए आगे और सुधारों की जरूरत है।
- **संक्रमण संबंधी चुनौतियाँ:**
  - » करदाताओं और व्यवसायों को 'कर वर्ष' की नई अवधारणा के अनुकूल होने में समय लगेगा।
  - » वित्तीय पेशेवरों को अपनी कर रणनीतियों और सिस्टम को अपडेट करना होगा।

भारत की कर प्रणाली लंबे समय से जटिल और कठिन रही है। 2010 और 2018 में इसे सरल बनाने के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे पूरी तरह लागू नहीं हो सके। आयकर विधेयक, 2025 अनावश्यक

प्रावधानों को हटाकर, भाषा को सरल बनाकर और कर नियमों को अधिक स्पष्ट बनाकर एक पारदर्शी, कुशल और सुव्यवस्थित कर प्रणाली की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी

संदर्भः

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अक्टूबर- दिसंबर 2024 तिमाही के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) जारी किया। यह सर्वेक्षण शहरी बेरोजगारी दर, श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate - LFPR) तथा विभिन्न रोजगार श्रेणियों और क्षेत्रों में कार्यबल के वितरण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दरः

- अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही के दौरान शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए कुल बेरोजगारी दर 6.4% रही। इसमें पुरुषों की बेरोजगारी दर 5.8% रही, जबकि महिलाओं की बेरोजगारी दर 8.1% दर्ज की गई।
- 2023 की इसी तिमाही की तुलना में, कुल बेरोजगारी दर (6. 5%) से मामूली सुधार देखा गया। इसी अवधि में, महिला बेरोजगारी दर भी पिछले वर्ष के 8.6% से घटकर 8.1% हो गई।
- पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर 2024) की तुलना में, कुल बेरोजगारी दर 6.4% पर स्थिर बनी रही।

राज्यवार बेरोजगारी के रुझानः

- हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा शहरी बेरोजगारी दर 10.4% दर्ज की गई। गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी दर 3.0% थी।
- महिलाओं में, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 24% थी, जबकि दिल्ली में सबसे कम 1.3% दर्ज की गई।

शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), जो श्रम बल में सक्रिय रूप से शामिल आबादी के अनुपात को दर्शाता है, सभी आयु समूहों के लिए 39.6% थी पिछले वर्ष इसी तिमाही में 39.2% से वृद्धि हुई।
- महिलाओं के लिए LFPR में 0.1 प्रतिशत अंकों की मामूली वृद्धि देखी गई, जो पिछले वर्ष की तिमाही की तुलना में 19.9% से बढ़कर 20% हो गई, हालाँकि यह पिछली तिमाही के 20.3% से थोड़ी कम हुई।
- बिहार में सबसे कम LFPR दर्ज की गई, जिसमें कुल मिलाकर 30.7% और महिलाओं के लिए 9.9% थी।

शहरी क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR):

- 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) अक्टूबर-दिसंबर 2023 में 46.6% से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर 2024 में 47.2% हो गया।
- शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों के लिए श्रमिक आबादी अनुपात अक्टूबर-दिसंबर, 2023 में 69.8 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर-दिसंबर, 2024 के दौरान 70.9 प्रतिशत हो गया।

रोजगार श्रेणियाँः

- श्रमिकों को तीन व्यापक रोजगार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया:
  - » 39.9% स्व-नियोजित श्रमिक, नियोक्ता और घरेलू उद्यमों में अवैतनिक सहायक शामिल थे।
  - » 49.4% नियमित कर्मचारी थे, अर्थात वेतनभोगी/मजदूरी पाने वाले कर्मचारी।
  - » 10.7% आकस्मिक मजदूर थे, जो अस्थायी या अनियमित काम में लगे थे।

क्षेत्रवार कार्यबल वितरणः

- 5.5% श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे थे।
- 31.8% लोग द्वितीयक क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें विनिर्माण, खनन और निर्माण शामिल हैं।
- 62.7% कर्मचारी तृतीयक क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसमें सेवाएँ, व्यापार, परिवहन, वित्त और अन्य पेशेवर गतिविधियाँ शामिल हैं।

पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs)

सन्दर्भः

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) लगाने की घोषणा की। इस निर्णय से अमेरिका और उसके सहयोगी तथा प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ने और संभावित व्यापार युद्ध की आशंका उत्पन्न हो गई है।

पारस्परिक शुल्क क्या हैं?

- शुल्क (Tariffs) वे कर हैं, जो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं ताकि व्यापार को नियंत्रित किया जा सके और घरेलू उद्योगों की रक्षा की जा सके। पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) का अर्थ है कि कोई देश उतने ही शुल्क लगाएगा, जितने शुल्क उसके निर्यात (Exports) पर दूसरा देश लगाता है।
- यह नीति पारंपरिक व्यापार समझौतों को चुनौती देती है, जो विकासशील देशों को अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए उच्च शुल्क लगाने की अनुमति देते थे, जबकि विकसित देश अपेक्षाकृत निम्न शुल्क संरचना बनाए रखते थे।
- पूर्व में वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए शुल्क दरों को कम करने की प्रवृत्ति देखी गई है। GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) और WTO जैसे समझौते मुक्त व्यापार (Free Trade) को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए थे। हालांकि, पारस्परिक शुल्क की नीति इस प्रणाली को बाधित कर सकती है।

पारस्परिक शुल्क की अवधारणाः

- अमेरिका का तर्क है कि मौजूदा व्यापार नियम कुछ देशों को

अनुचित लाभ (Unfair Advantage) प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अपने निर्यातकों को सरकारी सहायता, सब्सिडी और कम शुल्क जैसी नीतियों से बढ़ावा देते हैं। इससे इन देशों के उत्पाद सस्ते हो जाते हैं और वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, भारत, जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI – Production Linked Incentive) जैसी नीतियों के माध्यम से निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है।

- इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, अमेरिका ने पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) नीति लागू करने का निर्णय लिया। इस नीति के तहत, यदि कोई देश अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाता है, तो अमेरिका भी उसी अनुपात में उसके उत्पादों पर शुल्क बढ़ाएगा। इस नीति की गणना में कई व्यापारिक कारकों को शामिल किया जाता है, जिनमें शुल्क दरें, सरकारी सब्सिडी और निर्यातकों को मिलने वाली अन्य सहायता प्रमुख हैं।
- यदि पारस्परिक शुल्क लागू किए जाते हैं, तो इससे आयात लागत (Import Costs) बढ़ सकती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chains) बाधित हो सकती है। विकासशील देश, जो अपने घरेलू उद्योगों को सस्ते विदेशी उत्पादों से बचाने के लिए संरक्षणवादी (Protective) शुल्क लगाते हैं, वे पारस्परिक शुल्क लागू होने की स्थिति में गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।

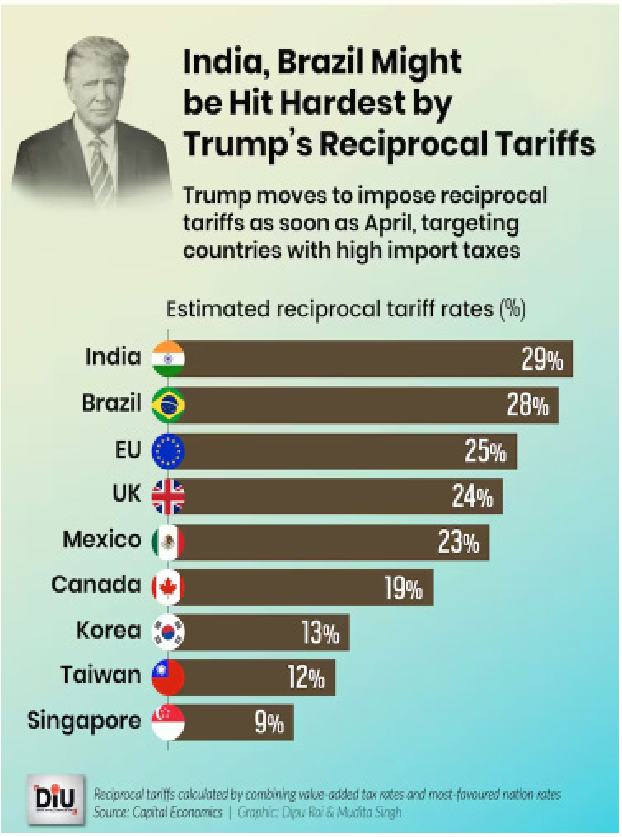

भारत पर प्रभाव:

- **भारतीय निर्यात की लागत में वृद्धि:** अमेरिका द्वारा उच्च शुल्क लगाए जाने से भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में महंगे हो सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित हो सकती है।
- **उपभोक्ता खर्च पर प्रभाव:** भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए कर कटौती का उद्देश्य घरेलू मांग को प्रोत्साहित करना था, लेकिन यदि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों की बजाय अमेरिकी वस्तुओं पर अधिक खर्च करने लगते हैं, तो आर्थिक प्रोत्साहन का प्रभाव सीमित हो सकता है।
- **अमेरिका से आयात में वृद्धि:** यदि भारत व्यापार संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है, तो उसे अमेरिका से रक्षा उपकरण, तेल और उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बढ़ाना पड़ सकता है।
- **घरेलू उद्योगों पर प्रभाव:** अमेरिका से आयात बढ़ने के कारण आत्मनिर्भर भारत पहल प्रभावित हो सकती है, जिससे स्थानीय उत्पादन को प्रतिस्पर्धात्मक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
- **मुद्रा अवमूल्यन:** अमेरिका से अधिक आयात होने पर डॉलर की मांग बढ़ सकती है, जिससे भारतीय रुपया कमजोर होने की संभावना बढ़ेगी।

वैश्विक व्यापार पर प्रभाव:

- **संभावित व्यापार युद्ध (Trade Wars):** अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्क के जवाब में अन्य देश भी प्रतिशोधात्मक शुल्क लगा सकते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
- **विकासशील देशों के लिए चुनौती:** जो देश मुख्य रूप से निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्हें इस नीति से नुकसान हो सकता है।
- **अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों पर खतरा:** यह नीति विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा स्थापित मुक्त व्यापार के सिद्धांतों को कमजोर कर सकती है।
- पारस्परिक शुल्क (Reciprocal Tariffs) वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। यह नीति उन देशों पर शुल्क लगाने की वकालत करती है, जो अमेरिकी निर्यात पर कर लगाते हैं। हालांकि, यह प्रणाली उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुँचा सकती है, जो अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए संरक्षणवादी शुल्क (Protective Tariffs) पर निर्भर हैं।
- भारत के लिए, यह नीति उच्च आयात लागत, घरेलू उद्योगों की कमजोर स्थिति और मुद्रा अवमूल्यन जैसी चुनौतियाँ खड़ी कर सकती है, इसलिए, भारत को आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक व्यापार वार्ताओं में संतुलित रणनीति अपनानी होगी।

आरबीआई ने रेपो दर में की कमी

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रेपो दर में 25 बेसिस प्वाइंट्स की कमी करते हुए इसे 6.25% पर निर्धारित किया। यह निर्णय लगभग पांच वर्षों में पहली बार लिया गया है। मौद्रिक नीति समिति (MPC)

का उद्देश्य आर्थिक वृद्धि की मंदी को नियंत्रित करना और मुद्रास्फीति में कमी का लाभ उठाकर उसे नियंत्रित करना है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) के लिए आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान 6.7% निर्धारित किया है, जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, जिंसों की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक वित्तीय अस्थिरताएँ प्रमुख चुनौतियों के रूप में सामने आई हैं।

दर में कमी के प्रभाव:

- रेपो दर में कमी से उधारकर्ताओं को राहत मिलने की संभावना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे कि आवास, ऑटोमोबाइल और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSMEs), जिससे खपत और निवेश में वृद्धि हो सकती है।
- इसके अतिरिक्त, उधारी लागत में कमी से आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिल सकता है, हालांकि आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि आगे की दरों में कमी मुद्रास्फीति की प्रवृत्तियों और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी।
- वित्तीय बाजारों ने इस कदम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन वृद्धि पूर्वानुमान (FY26) में कमी को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गईं।

मुद्रास्फीति और तरलता दृष्टिकोण:

- आरबीआई ने मुद्रास्फीति में कमी को प्रमुख रूप से रेखांकित किया, जिसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) अक्टूबर में 6.25% से घटकर दिसंबर में 5.22% हो गया। वित्तीय वर्ष 2025 (FY25) और 2026 (FY26) के लिए मुद्रास्फीति का पूर्वानुमान क्रमशः 4.8% और 4.2% निर्धारित किया गया है।
- केंद्रीय बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्पष्ट किया और बैंकों से आग्रह किया कि वे मुद्रा बाजारों में अधिक सक्रिय रूप से भाग लें ताकि मौद्रिक नीति का प्रभावी संचरण सुनिश्चित किया जा सके।
- **मौद्रिक नीति समिति (MPC) को समझना:** मौद्रिक नीति समिति (MPC) एक वैधानिक निकाय है जिसे 2016 में आरबीआई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भारत की मुद्रास्फीति-लक्ष्यीकरण मौद्रिक नीति को संस्थागत रूप दिया गया।
- यह समिति भारत सरकार और आरबीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत गठित की गई है। MPC का मुख्य कार्य मूल्य स्थिरता बनाए रखते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ब्याज दरों को निर्धारित करना है।

MPC की संरचना और कार्यप्रणाली:

- MPC में छह सदस्य होते हैं:
  - » आरबीआई गवर्नर (अध्यक्ष)
  - » आरबीआई के उप गवर्नर जो मौद्रिक नीति का प्रभारी होते हैं
  - » आरबीआई बोर्ड द्वारा नामित एक अधिकारी
  - » भारत सरकार द्वारा नियुक्त तीन बाहरी सदस्य
- बाहरी सदस्य चार वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं और बैठक के लिए कम से कम चार सदस्यों का होना जरूरी होता है, जिसमें आरबीआई गवर्नर या उनकी अनुपस्थिति में आरबीआई उप गवर्नर में से कोई एक सदस्य शामिल होना चाहिए। निर्णय बहुमत से लिया जाता है, और अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई गवर्नर को टाई-ब्रेकिंग वोट का अधिकार होता है।

आरबीआई द्वारा रेपो दर में कटौती, पांच वर्षों में मौद्रिक नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों जैसे मुद्रास्फीति और तरलता सख्ती के बावजूद आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। तटस्थ रुख बनाए रखते हुए, केंद्रीय बैंक ने संकेत दिया है कि यदि आर्थिक परिस्थितियाँ इसकी मांग करती हैं, तो वह आगे भी दरों में संशोधन कर सकते हैं। हालांकि, इन उपायों की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करेगी कि आने वाले महीनों में घरेलू और वैश्विक कारक किस प्रकार विकसित होते हैं।

डिजिटल भुगतान में वृद्धि

संदर्भ:

वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में सूचित किया कि भारत में डिजिटल भुगतान लेन-देन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में, डिजिटल भुगतान का लेन-देन का कुल मूल्य 18,000 करोड़ से अधिक पहुँच गया, जो 44% की वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाता है। इस वृद्धि में IMPS, NETC, और विशेष रूप से UPI जैसी सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत में UPI पारिस्थितिकी तंत्र:

- UPI कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल ऐप में एकीकृत करता है, जिससे धन स्थानांतरण और भुगतान सहज हो जाते हैं।
- यह NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) द्वारा 2016 में IMPS अवसंरचना पर विकसित किया गया था, और यह दुनिया का सबसे सफल वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है, जो भारत में सुरक्षित व्यक्ति से व्यक्ति (P2P) और व्यक्ति से व्यापारी (P2M) लेन-देन सुनिश्चित करता है।
- UPI के प्लेटफॉर्म पर 632 बैंक हैं और अक्टूबर 2024 में UPI ने 23.49 लाख करोड़ के 16.58 बिलियन लेन-देन को संसाधित किया, जोकि 45% की वृद्धि को दर्शाता है।

डिजिटल भुगतान प्रणालियों का वैश्विक विस्तार:

- भारत की डिजिटल भुगतान अवसंरचना को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिल रही है।
- यूपीआई, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान और सिंगापुर में पूरी तरह से कार्यात्मक है, और नेपाल, मॉरिशस, फ्रांस और श्रीलंका में पायलट परीक्षण पूरे हो चुके हैं, जहां व्यावसायिक शुरुआत जल्द होने की उम्मीद है।
- रुपे कार्ड नेपाल, भूटान, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात में स्वीकृत हैं और मालदीव में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त है।

डिजिटल भुगतान अपनाने में चुनौतियाँ:

- **ऑनलाइन धोखाधड़ी और साइबर अपराध का खतरा:** डिजिटल लेन-देन में वृद्धि के साथ साइबर खतरों जैसे पहचान चोरी, फिशिंग और वित्तीय धोखाधड़ी में भी वृद्धि हुई है। हालांकि सुरक्षा उपायों में सुधार हुआ है किन्तु धोखाधड़ी का डर अभी भी बना हुआ है।
- **लेन-देन रिकॉर्ड का रखरखाव:** डिजिटल लेन-देन का इतिहास प्रबंधित करना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उपयोगकर्ता-अनुकूल उपकरणों की कमी और कभी-कभी तकनीकी समस्याएँ होती हैं, जिससे अनिश्चितता पैदा होती है।
- **कर दायित्वों का डर:** छोटे व्यापारियों और फ्रीलांसरों को कर जांच और अप्रत्याशित दायित्वों का डर होता है, जो डिजिटल लेन-देन को हतोत्साहित करता है।
- **डिजिटल भुगतान विवादों के लिए कठोर कानूनों की कमी:** लेन-देन विफलताओं या गलत शुल्कों जैसे विवादों का समाधान करना कठिन है, क्योंकि कानूनी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।
- **अनिच्छा और डिजिटल अज्ञानता:** ग्रामीण क्षेत्रों और वृद्ध पीढ़ियों में डिजिटल अज्ञानता के कारण पारंपरिक भुगतान विधियों को प्राथमिकता दी जाती है।

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI):

- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) भारत की खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा 2008 में स्थापित किया गया था, और यह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 'नोट फॉर प्रॉफिट' कंपनी के रूप में कार्य करता है।
- NPCI ने रुपे कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, भीम आधार और भारत बिलपे जैसी प्रमुख भुगतान उत्पादों को लॉन्च किया है, जो भारत में डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं।

निष्कर्ष:

भारत का डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा है, जो यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और मजबूत अवसंरचना द्वारा प्रेरित है। निरंतर वैश्विक विस्तार और विकास से भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली की स्थिति और मजबूत होगी। सुरक्षा, कर संबंधित चिंताओं और डिजिटल साक्षरता को संबोधित करना व्यापक अपनाने और सतत वृद्धि के लिए आवश्यक है।

क्रिप्टोकरेंसी

सन्दर्भ:

भारतीय सरकार ने हमेशा क्रिप्टोकरेंसी के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया है और डिजिटल संपत्ति बाजार पर कड़े कानूनों तथा उच्च करों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया है। हालांकि, हाल की रिपोर्ट्स से यह संकेत मिलते हैं कि सरकार का यह रुख बदल सकता है, जिसका प्रमुख कारण वैश्विक स्तर पर डिजिटल मुद्राओं की स्वीकृति और उन पर विनियमन के बढ़ते रुझान हो सकते हैं।

क्रिप्टोकरेंसी क्या है?

- क्रिप्टोकरेंसी एक डिजिटल मुद्रा है, जो विशेष एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके बनाई जाती है। क्रिप्टोकरेंसी न केवल एक व्यापार का माध्यम होती है, बल्कि एक वर्चुअल लेखा प्रणाली के रूप में भी काम करती है। एन्क्रिप्शन के जरिए इसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे यह पारंपरिक भुगतान विधियों के मुकाबले एक वैकल्पिक और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभरती है।

रुख में बदलाव के कारण:

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों पर पुनर्विचार वैश्विक स्वीकृति और डिजिटल मुद्राओं के लिए नियामक समर्थन के बढ़ते रुझानों से प्रेरित हो सकता है।

- **वैश्विक घटनाक्रम:**
  - » पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टोकरेंसी के अपनाने के प्रमुख समर्थक रहे हैं, जिन्होंने मीम कॉइन लॉन्च की, जिससे बिटकॉइन की कीमत $100,000 तक पहुंच गई।
  - » अमेरिकी सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी के लिए एक कार्य समूह स्थापित किया है, जोकि डिजिटल संपत्ति के नियमन पर विचार कर रहा है और एक राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी रिजर्व बनाने पर काम कर रहा है।
  - » ये वैश्विक घटनाक्रम भारत के रुख पर प्रभाव डाल रहे हैं, जिससे देश की क्रिप्टोकरेंसी नीतियों में बदलाव की संभावना बढ़ रही है।

नीति में बदलाव के प्रभाव:

भारत की क्रिप्टोकरेंसी नीति में बदलाव का व्यापारियों और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

- **व्यापक रूप से अपनाना:**
  - » एक अधिक अनुकूल नीति भारत में डिजिटल मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक को अपनाने को बढ़ावा दे सकती है।
  - » क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अधिक स्वतंत्र रूप से संचालन करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे निवेशक और व्यवसाय इसे एक बढ़ते हुए डिजिटल संपत्ति बाजार में निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे।
- **मजबूत नियामक ढांचा:**
  - » स्पष्ट नियमन से क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धन शोधन और धोखाधड़ी जैसे जोखिमों को कम किया जा सकता है।
  - » एक व्यवस्थित माहौल अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो कंपनियों को भारत में आकर्षित कर सकता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक डिजिटल संपत्ति क्षेत्र से और जुड़ने का अवसर मिलेगा।

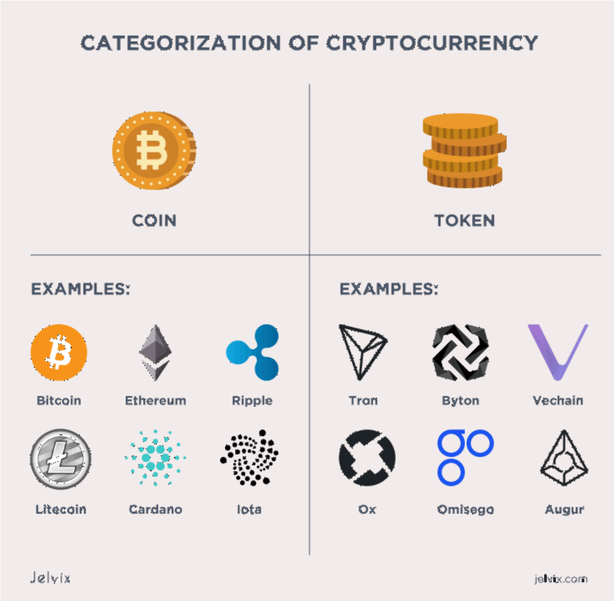

भारत का अब तक का रुख:

भारत का क्रिप्टोकरेंसी पर्यावरण कठोर रहा है, जिसमें कई नियामक उपायों ने बाजार की वृद्धि को रोका है।

- **निष्पादन कार्यवाही**
  - 2023 में, भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने प्रमुख विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजेस, जैसे बाइनेंस और कूकोइन को स्थानीय नियमन के उल्लंघन के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किए।
  - जून 2024 में, बाइनेंस पर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून (PMLA) का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया, जो कहता है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं को मनी लॉन्ड्रिंग रोधी प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
- **आरबीआई के द्वारा आलोचना**
  - भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने क्रिप्टोकरेंसी के बारे में अपनी चिंताएं जताई हैं। पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास ने डिजिटल मुद्राओं की अस्थिरता को एक बड़ा मुद्दा बताते हुए पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया।
  - भारत का क्रिप्टोकरेंसी के प्रति बदलता हुआ दृष्टिकोण वैश्विक बदलावों को दर्शाता है, इससे एक अधिक संतुलित नियामक वातावरण बन सकता है, जो डिजिटल संपत्ति बाजार में नवाचार और सुरक्षा दोनों को बढ़ावा दे सकता है।

आरबीआई ने भुगतान प्रणालियों के लिए दंड के मानदंड कड़े किए

संदर्भ:

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत अपने नियमों को सख्त किया है, जिसमें गैर-अनुपालन पर जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं।

पीएसएस अधिनियम के अंतर्गत प्रमुख उल्लंघन:

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) के तहत कई गंभीर उल्लंघनों की पहचान की है। इनमें उचित प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणाली संचालित करना, निषिद्ध जानकारी का खुलासा करना और निर्धारित अवधि के भीतर जुर्माना न भरना शामिल है। नए नियामक ढांचे के तहत अब ऐसे उल्लंघनों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- **भौतिक उल्लंघनों पर कार्यवाही:** RBI के संशोधित ढांचे में भौतिक उल्लंघनों के लिए प्रवर्तन कार्रवाई पर जोर दिया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि दंड केवल उन मामलों में लगाया जाता है जहाँ उल्लंघन पर्याप्त गंभीर है, जिससे जुर्माना अपराध की गंभीरता के अनुपात में होता है। यह दृष्टिकोण भुगतान प्रणाली क्षेत्र में अधिक जवाबदेही को प्रोत्साहित करता है।
- **जुर्माना और दैनिक जुर्माना:** संशोधित नियमों के तहत, उल्लंघन के लिए जुर्माना अब 10 लाख या उल्लंघन की राशि का दोगुना, जो भी अधिक हो, तक हो सकता है। इसके अलावा, यदि उल्लंघन पहले दिन से आगे भी जारी रहता है, तो समस्या के समाधान तक प्रतिदिन 25,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **जुर्माना लगाने का कानूनी अधिकार:** पीएसएस अधिनियम के तहत अधिकृत त्ठप् अधिकारियों के पास जुर्माना लगाने या ऐसे अपराधों को कम करने का कानूनी अधिकार है जो कारावास से दंडनीय नहीं हैं। इस सुव्यवस्थित प्रक्रिया का उद्देश्य भुगतान प्रणाली संचालकों के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी विनियामक ढांचा बनाए रखते हुए कुशल प्रवर्तन सुनिश्चित करना है।

पीएसएस अधिनियम, 2007 के तहत 'भुगतान प्रणाली के बारे में':

- धारा 2(1)(i) के अनुसार, 'भुगतान प्रणाली' उस प्रणाली को कहा जाता है जो भुगतानकर्ता और लाभार्थी के बीच भुगतान को सक्षम बनाती है।
- इसमें वे प्रणालियाँ शामिल हैं जो समाशोधन, भुगतान या निपटान सेवाएँ, या इन सभी सेवाओं को एक साथ प्रदान करती हैं। हालांकि, अधिनियम में स्टॉक एक्सचेंजों और स्टॉक एक्सचेंजों के तहत स्थापित समाशोधन निगमों को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि धारा 34 में निर्दिष्ट है।

भुगतान प्रणाली में शामिल:

- 'भुगतान प्रणाली' की परिभाषा के तहत, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड संचालन, धन हस्तांतरण सेवाएँ और इसी प्रकार के अन्य कार्य जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को धन हस्तांतरण को सक्षम बनाते हैं, शामिल हैं।

सिस्टम प्रदाता:

- 'सिस्टम प्रदाता' उन संस्थाओं को कहा जाता है जो इन भुगतान प्रणालियों का संचालन करती हैं। इनमें वे सभी संगठन शामिल

हैं जो समाशोधन (clearing), निपटान या भुगतान संचालन की सुविधा प्रदान करते हैं, साथ ही वे जो धन हस्तांतरण प्रणाली या कार्ड-आधारित भुगतान प्रणाली को संभालते हैं। ये सिस्टम प्रदाता निर्धारित प्रणालियों के भीतर भुगतान प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

पीएसएस अधिनियम, 2007 के बारे में:

- भुगतान और निपटान प्रणाली (पीएसएस) अधिनियम, 2007 भारत में भुगतान प्रणालियों के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को देश भर में भुगतान प्रणालियों की कार्यप्रणाली और सुरक्षा की देखरेख के लिए जिम्मेदार केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित करता है।

स्नातक कौशल सूचकांक 2025

संदर्भ:

मर्सर मेटल की एक रिपोर्ट, 'भारत का स्नातक कौशल सूचकांक 2025' प्रकाशित हुई, जिसमे भारतीय स्नातकों की घटती रोजगार क्षमता पर चिंता जताई गयी है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **स्नातक रोजगार क्षमता में गिरावट:**
  - स्नातक कौशल सूचकांक 2025 का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि भारत में स्नातक रोजगार क्षमता में 2% की गिरावट दर्ज की गई है, जो भारत में कुशल पेशेवरों की तेजी से बढ़ती मांग के बीच एक चिंताजनक प्रवृत्ति है।
  - भारत की स्नातक रोजगार क्षमता 2023 में 44.3% से गिरकर 2024 में 42.6% हो गई है।
  - यह गिरावट मुख्य रूप से गैर-तकनीकी कौशल में बढ़ते अंतर के कारण है, जबकि तकनीकी दक्षता में मामूली सुधार हुआ है।
  - रिपोर्ट के अनुसार संचार, रचनात्मकता और नेतृत्व जैसे सॉफ्ट स्किल्स में दक्षता की कमी सबसे महत्वपूर्ण योगदानकर्ता है।
- **क्षेत्रवार प्रदर्शन:**
  - सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, दिल्ली सबसे अधिक रोजगार योग्य क्षेत्र के रूप में उभरा है, जिसका रोजगार योग्यता स्कोर 53.4% है।
  - दिल्ली के बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब का स्थान है, दोनों ने 51.1% की रोजगार योग्यता दर दर्ज की है।
- **तकनीकी व गैर-तकनीकी कौशल:** तकनीकी भूमिकाओं में रोजगार योग्यता में मामूली सुधार देखा गया, गैर-तकनीकी भूमिकाओं में तेज गिरावट देखी गई।
  - **तकनीकी भूमिकाएँ:** तकनीकी पदों पर रोजगार योग्यता 2023 में 41.3% से बढ़कर 2024 में 42% हो गई।
    - AI और मशीन लर्निंग नौकरियों में सबसे अधिक रोजगार योग्यता 46.1% रही।
    - डेटा साइंटिस्ट और बैक-एंड डेवलपर भूमिकाओं में बहुत कम रोजगार योग्यता दर दर्ज की गई, जो 39.8% के आसपास रही।
  - **गैर-तकनीकी भूमिकाएँ:**
    - सबसे महत्वपूर्ण गिरावट गैर-तकनीकी नौकरी भूमिकाओं में हुई, जहाँ रोजगार योग्यता 2023 में 48.3% से घटकर 2024 में 43.5% हो गई।
    - एचआर एसोसिएट्स और डिजिटल मार्केटर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिनकी रोजगार दर क्रमशः 39.9% और 41% थी।
- **सॉफ्ट स्किल्स की चुनौतियाँ:** रिपोर्ट इस बात को रेखांकित करती हैं कि संचार, आलोचनात्मक सोच, नेतृत्व और रचनात्मकता जैसे सॉफ्ट स्किल्स का महत्व बढ़ रहा है, विशेषकर जब ऑटोमेशन और एआई नौकरी के बाजार को तेजी से बदल रहे हैं।
- **प्रमुख सॉफ्ट स्किल्स में दक्षता:**
  - **संचार:** 55.1% स्नातक को कुशल पाए गए।
  - **आलोचनात्मक सोच:** 54.6% स्नातकों ने इस क्षेत्र में अच्छा स्कोर किया।
  - **नेतृत्व:** 54.2% स्नातकों ने नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया।
  - **रचनात्मकता:** केवल 44.3% स्नातकों को रोजगार योग्य माना गया, जो एक महत्वपूर्ण कौशल अंतर को उजागर करता है।
- स्वचालन और AI के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, मानवीय रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई हैं। जिन स्नातकों के पास सॉफ्ट स्किल्स होंगे, उनसे नेतृत्वकारी भूमिकाओं और गतिशील करियर में सफल होने की अधिक संभावना होगी।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाना: विकास, बजटीय सुधार और भविष्य की संभावनाएं

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारत की आर्थिक वृद्धि का आधार स्तंभ है, जो रोजगार सृजन, विनिर्माण और निर्यात में अहम भूमिका निभाता है। देश में 5.93 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई हैं, जो 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं और भारत के औद्योगिक विकास को गति दे रहे हैं। 2023-24 में, MSME का भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान रहा, जिससे यह भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति की रीढ़ बन गया है। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, बल्कि भारत को एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यापारिक हब के रूप में स्थापित करने में भी सहायक है। इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय बजट 2025-26 में ऋण सुविधा बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र-विशिष्ट उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है। इन उपायों का उद्देश्य एमएसएमई को सुलभ वित्तीय साधनों से लैस करना, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और भारत की विनिर्माण एवं निर्यात क्षमताओं को मजबूत करना है।

एमएसएमई और भारत की आर्थिक वृद्धि में उनकी भूमिका:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र भारत की आर्थिक विकास प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में कार्य करता है।
  - **रोजगार सृजन:** कृषि के बाद, एमएसएमई भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लाखों लोगों की आजीविका सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है।
  - **विनिर्माण उत्पादन:** भारत के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2022-23 में 30.1% हो गई है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि एमएसएमई भारतीय औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक अभिन्न अंग बन चुका है।
  - **निर्यात वृद्धि:** एमएसएमई निर्यात क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। 2020-21 में इस क्षेत्र से निर्यात 3.95 लाख करोड़ था, जो 2024-25 में बढ़कर 12.39 लाख करोड़ तक पहुंच गया। कुल निर्यात में एमएसएमई का योगदान मई 2024 तक 45.79% तक बढ़ गया है, जो वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत के बढ़ते एकीकरण को दर्शाता है।
- ये रुझान एमएसएमई की लचीलापन और भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई के लिए प्रमुख उपाय:

- केंद्रीय बजट 2025-26 में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से व्यापक सुधार प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें वित्तीय सहायता, क्षेत्र-विशिष्ट पहल और नीतिगत संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- **संशोधित वर्गीकरण मानदंड:**
  - एमएसएमई का परिचालन बढ़ाने तथा बेहतर वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए, एमएसएमई वर्गीकरण की निवेश और कारोबार की सीमाएं क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दी गई हैं।
  - इस समायोजन से अधिक दक्षता, उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने की उम्मीद है।
- **बढ़ी हुई ऋण उपलब्धता:** बजट में ऋण प्रवाह में सुधार के लिए वित्तीय सहायता उपाय प्रस्तुत किए गए हैं:
  - सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे पांच वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सकेगा।
  - स्टार्टअप्स को गारंटी कवर को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ करने से लाभ होगा और 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण ब्याज दर में 1% की कमी की गई है। निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण की सुविधा मिलेगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी।
- **सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड:**
  - उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों को 5 लाख रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा।
  - पहले वर्ष में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिससे छोटे व्यवसायों को कार्यशील पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी।
- **स्टार्टअप और पहली बार उद्यम करने वालों के लिए समर्थन:**
  - स्टार्टअप्स को समर्थन और विस्तार देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जाएगा।
  - एक नई योजना के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित

जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले पांच वर्षों में 5 लाख उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।

- इन पहलों का उद्देश्य समावेशी उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा वंचित समूहों के लिए बेहतर वित्तीय पहुंच सुनिश्चित करना है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में अपने बजट भाषण के दौरान, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई के लिए नए वर्गीकरण मानदंडों की घोषणा की थी, जिसमें वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और दो गुना बढ़ाने का प्रस्ताव था। सरकार ने एमएसएमई को वर्गीकृत करने के लिए टर्नओवर और निवेश मानदंडों में महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो 1 अप्रैल से लागू होंगे।
- **2.5 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अब 1 करोड़ रुपये की पिछली सीमा से हटाकर सूक्ष्म उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। टर्नओवर की सीमा को 5 करोड़ रुपये से संशोधित कर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।**
- **25 करोड़ रुपये तक के निवेश वाली इकाइयों को छोटे उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जो पहले 10 करोड़ रुपये थी। ऐसे उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा को 50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया है।**
- **125 करोड़ रुपये तक के निवेश वाले एमएसएमई को अब 50 करोड़ रुपये की पिछली सीमा से बढ़ाकर मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। मध्यम उद्यमों के लिए टर्नओवर की सीमा दोगुनी कर 500 करोड़ रुपए कर दी गई है।**

एमएसएमई के लिए क्षेत्र-विशिष्ट समर्थन:

- **श्रम -प्रधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:** श्रम-प्रधान उद्योगों की क्षमता को पहचानते हुए, सरकार निम्नलिखित कार्य कर रही है:
  - फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र के लिए फोकस उत्पाद योजना लागू की गई है, जिसका उद्देश्य डिज़ाइन, घटक विनिर्माण और गैर-चमड़े के फुटवियर उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस पहल से:
    - 4 लाख करोड़ का कारोबार उत्पन्न होने की संभावना है।
    - 22 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
  - खिलौना उद्योग के लिए एक नई योजना शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य भारत को खिलौना निर्माण में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। यह योजना क्लस्टर विकास और कौशल निर्माण को प्रोत्साहित करेगी।
- **विनिर्माण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी पहल को मजबूत करना:**
  - राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन के माध्यम से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को समर्थन देने के लिए एक व्यापक नीतिगत रोडमैप प्रदान किया जाएगा।
  - स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित को लक्षित समर्थन दिया जाएगा:
    - सौर पी.वी. सेल
    - इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियां
    - पवन वाली टर्बाइन
    - उच्च वोल्टेज संचरण उपकरण
- इस पहल का उद्देश्य सतत औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विनिर्माण क्षमताएं मजबूत होंगी।

एमएसएमई के लिए सरकारी पहल:

औपचारिकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहल शुरू की हैं:

- **पीएम विश्वकर्मा:**
  - इस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की उत्पादकता और बाजार पहुंच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया हैं।
  - 2023-24 से 2027-28 तक 13,000 करोड़ का आवंटन किए हैं।
  - 2.65 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 27.13 लाख सफलतापूर्वक पंजीकृत हुए।
- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल:**
  - एमएसएमई पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए इसे 2020 में लॉन्च किया गया।
  - पोर्टल पर 5.93 करोड़ से अधिक एमएसएमई पंजीकृत है।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):**

» सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करता है।
» 2023-24 में , पीएमईजीपी:
  ➢ 89,118 उद्यमों को सुविधा प्रदान की गई ।
  ➢ 3,093.87 करोड़ की सब्सिडी वितरित की गई।।
  ➢ 7,12,944 नौकरियाँ सृजित हुईं ।
- **पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए कोष योजना (SFURTI):**
  » पारंपरिक कारीगर समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है।
  » अब तक 513 क्लस्टर स्वीकृत, जिससे 2,20,800 नौकरियां उत्पन्न होने की संभावना है।
- **एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति:**
  » यह केंद्र सरकार की कुल खरीद का 25% एमएसएमई से करने का लक्ष्य।
  » 2023-24 में 2,58,413 एमएसएमई से ₹74,717 करोड़ मूल्य की खरीद की गई।

किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ): भारतीय कृषि में एक परिवर्तनकारी पहल

भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि क्षेत्र में छोटे और सीमांत किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अहम योगदान देते हैं। हालांकि, खंडित भूमि जोत (Fragmented Land Holding), संसाधनों की कमी और बाजार तक सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों ने उनके विकास को बाधित किया है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण (Structured Approach) अपनाने की आवश्यकता को समझते हुए, सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उनकी आर्थिक स्थिरता और सौदेबाजी की शक्ति (Bargaining Power) को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं।

- इस दिशा में, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के गठन और प्रोत्साहन के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को समूहों में संगठित करना, सामूहिक उत्पादन का लाभ का लाभ दिलाना, संस्थागत सहायता (Institutional Support) देना और उन्हें बेहतर बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराना है। यह योजना 29 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने इस पहल को भारतीय कृषि में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बताया, जिससे छोटे किसानों और बड़े बाजारों के बीच की दूरी कम होगी।
- 2027-28 तक 6,865 करोड़ के निर्धारित बजट परिव्यय के साथ, इस योजना में किसानों के वित्तीय सशक्तिकरण, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन (Resource Optimization) और सामूहिक विकास की परिकल्पना की गई है। योजना का उद्देश्य सहकारी शक्ति और डिजिटल एकीकरण का लाभ उठाकर, पारंपरिक कृषि को एक टिकाऊ , बाजारोन्मुख (Market-Driven) और आय केंद्रित उद्यम में परिवर्तित करना है।
- हाल ही में बिहार के खगड़िया जिले में 10,000वें एफपीओ की स्थापना इस योजना की प्रभावशीलता और कृषि क्षेत्र में सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार (Structural Reforms) लाने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विकास हैं।

किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) :

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) एक कानूनी रूप से पंजीकृत सामूहिक संस्था (Legally Registered Collective Entity) है, जिसका गठन किसानों द्वारा किया जाता है, ताकि वे उत्पादन और विपणनमें पैमाने की अर्थव्यवस्था (जब उत्पादन का स्तर बढ़ता है, तो प्रति इकाई लागत घट जाती है) का लाभ उठा सकें। एफपीओ को कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग IXA या संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है।
- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (SFAC) को एफपीओ के गठन, संवर्धन और सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी (Nodal Agency) बनाया गया है।
- एफपीओ का प्रमुख उद्देश्य है छोटे और सीमांत किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना। इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
  » गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट तक सीमित पहुंच,
  » सस्ती दरों पर संस्थागत ऋण की उपलब्धता,
  » लाभदायक बाजारों तक सीधी पहुंच।
- एफपीओ किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करता है, जिससे वे थोक में कम दाम पर इनपुट खरीद सकते हैं, बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

इससे किसानों की उत्पादन लागत घटती है, उत्पादकता बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है।

एफपीओ: उद्देश्य एवं आवश्यकता

- **सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:** टिकाऊ, आय-उन्मुख खेती को बढ़ावा देने और किसानों की सामाजिक-आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने हेतु 10,000 एफपीओ की स्थापना।
- **उत्पादकता में वृद्धि:** कृषि उत्पादन और लाभ को अधिकतम करने के लिए कुशल एवं लागत प्रभावी संसाधन उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **वित्तीय एवं संस्थागत सहायता:** प्रबंधन, इनपुट खरीद, प्रसंस्करण, बाजार संपर्क और प्रौद्योगिकी अपनाने जैसे पहलुओं को कवर करते हुए पांच वर्षों तक सहायता प्रदान करना।
- **कृषि उद्यमिता का विकास:** किसानों के कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन करना, जिससे एफपीओ की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो सके।

छोटे किसानों के समक्ष चुनौतियाँ:

- छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान निम्नलिखित समस्याओं से जूझते हैं:
  - » प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों तक सीमित पहुंच।
  - » संस्थागत ऋण की कमी और अनौपचारिक ऋणदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता।
  - » छोटे पैमाने पर उत्पादन के कारण बाजार में सौदेबाजी की शक्ति कम होना।
  - » भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी, जिससे फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
- एफपीओ में किसानों को संगठित करके, यह योजना बेहतर बाजार पहुंच, वित्तीय स्थिरता और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करती है। यह छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने की दिशा में एक समावेशी एवं टिकाऊ पहल है।

योजना के अंतर्गत वित्तीय और संस्थागत सहायता:

- एफपीओ की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार वित्तीय और ऋण सहायता प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं:
  - » प्रति एफपीओ तीन वर्षों तक प्रबंधन लागत सहायता के रूप में 18 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
  - » प्रत्येक किसान-सदस्य को 2,000 रुपये का इक्विटी अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये है।
  - » प्रत्येक एफपीओ के लिए 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिससे संस्थागत ऋण तक किसानों की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

एफपीओ को सशक्त बनाने हेतु बहु-मंत्रालयीय समन्वय:

एफपीओ को मजबूत करने के लिए कई मंत्रालय और एजेंसियां सहयोग कर रही हैं:

- **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के लाइसेंस दिलाने में मदद करता है। साथ ही, ई-एनएएम (e-NAM), ओएनडीसी (ONDC) और कृषि इनपुट कंपनियों के जरिए बड़े खरीदारों से जोड़ने का काम करता है।
- **खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए आर्थिक मदद देता है। इसमें परियोजना लागत का 35% ऋण-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी और 50% तक वित्तीय अनुदान शामिल है।
- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय:** यह मंत्रालय एफपीओ को वित्तीय सहायता, इक्विटी अनुदान, ऋण गारंटी, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने में मदद करता है।
- **मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय:** यह मंत्रालय 2021 से 2026 के बीच 500 करोड़ रुपये खर्च कर, डेयरी सहकारी समितियों और एफपीओ को सहयोग दे रहा है। इसके अतिरिक्त, यह NDDB के जरिए 100 प्लस एफपीओ बनाने में भी मदद कर रहा है।
- **एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण):** यह संस्था निर्यात बढ़ाने और वित्तीय मदद देने के लिए एसएफएसीयूआरटीआई योजना के तहत पंजीकृत एफपीओ को सहयोग करती है।
- **मसाला बोर्ड:** यह बोर्ड गुणवत्तापूर्ण मसालों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए काम करता है। साथ ही, फसल के बाद के प्रबंधन में सुधार और किसानों का प्रशिक्षण देने के लिए SPICED

योजना चलाता है।

एफपीओ द्वारा की जाने वाली सेवाएं और गतिविधियां:

लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं :

- **गुणवत्तापूर्ण इनपुट की आपूर्ति** - एफपीओ किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि इनपुट थोक दरों पर और उचित दामों में उपलब्ध कराते हैं।
- **कस्टम हायरिंग सेवाएँ** - एफपीओ के जरिए किसान ट्रैक्टर, सिंचाई प्रणाली और अन्य कृषि मशीनरी को किराये पर ले सकते हैं, जिससे छोटे किसानों को भी आधुनिक तकनीक का लाभ मिल सके।
- **मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण** - किसानों की उपज की सफाई, छंटाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग की सुविधा मिलती है, जिससे उत्पाद का बाजार में मूल्य बढ़ता है।
- **भंडारण और परिवहन** - एफपीओ के माध्यम से किसानों को किफायती भंडारण और सुगम परिवहन की सुविधा मिलती है, जिससे फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
- **आय-उत्पादक गतिविधियाँ:** एफपीओ किसानों को मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन, बीज उत्पादन जैसी अतिरिक्त आय देने वाली गतिविधियों में शामिल होने का मौका देता है।
- **सामूहिक विपणन:** एफपीओ किसानों की उपज को एक साथ इकट्ठा कर थोक में बेचते हैं, जिससे किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।
- **बाज़ार सूचना और रसद सहायता:** एफपीओ किसानों को बाजार के रुझान, कीमतों और परिवहन से जुड़ी सही जानकारी देकर उन्हें समय पर और सही निर्णय लेने में मदद करता है।

एफपीओ योजना के अंतर्गत प्रमुख पहल:

- **क्रेडिट गारंटी फंड (CGF):** एफपीओ को बिना बड़ी संपत्ति या गारंटी रखे संस्थागत ऋण दिलाने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGF) बनाया गया है। यह फंड एफपीओ को कार्यशील पूंजी, विपणन अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास के लिए आसानी से ऋण दिलाने में मदद करता है।
- **डिजिटल बाजार तक पहुंच के लिए ओएनडीसी प्लेटफॉर्म:** एफपीओ को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत 5,000 से अधिक एफपीओ पहले ही इस नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। यह पहल सीधे उपभोक्ता संपर्क को सक्षम बनाती है, जिससे उचित मूल्य की प्राप्ति होती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है।
- **10,000 एफपीओ का सामान्य सेवा केंद्र (CSC) में रूपांतरण:** एफपीओ को CSC के रूप में विकसित करने के लिए CSC-SPV और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) किया गया है। यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं, वित्तीय लेनदेन और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने हेतु योजना

संदर्भ:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना और सरकार की कम नकदी वाली (Less Cash) अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना है।

योजना की मुख्य विशेषताएं:

- **प्रोत्साहन दर:** केंद्र ने छोटे व्यापारियों के लिए 2,000 तक के लेनदेन पर 0.15% की प्रोत्साहन दर निर्धारित की है।
- **पात्रता:** केवल छोटे व्यापारी ही प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं, जबकि बड़े व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के लेनदेन के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।
- **शून्य एमडीआर:** सभी श्रेणियों के लेनदेन के लिए शून्य मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) होगा, जिससे लागत-मुक्त डिजिटल लेनदेन सुनिश्चित होगा।
- **भुगतान प्रक्रिया:** अधिग्रहण करने वाले बैंक 80% दावों का तुरंत भुगतान करेंगे, जबकि शेष 20% भुगतान तकनीकी समस्याओं और सिस्टम की उपलब्धता जैसी शर्तों के पूरे होने पर किया जाएगा।

योजना के उद्देश्य:

- **भीम-यूपीआई को बढ़ावा देना:** इस योजना का उद्देश्य भीम-यूपीआई प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना और वित्त वर्ष 25 में 20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य प्राप्त करना है।
- **भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन:** यह योजना डिजिटल भुगतान से जुड़े लोगों को एक सुरक्षित और मजबूत भुगतान प्रणाली बनाने में मदद करती है।
- **डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करना:** यह योजना छोटे व्यापारियों को डिजिटल भुगतान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

भीम यूपीआई के बारे में

- *भीम को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से सरल, त्वरित और सुरक्षित लेनदेन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी यूपीआई*

आईडी का उपयोग करके या अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे दूसरों को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

- *भीम यूपीआई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर, 2016 को वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने के लक्ष्य के साथ लॉन्च किया था।*

मुख्य विशेषताएं:

- **प्रत्यक्ष बैंक भुगतान:** यूपीआई आईडी (UPI ID) के माध्यम से सीधे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।
- **क्यू आर कोड भुगतान:** व्यापारियों के लिए QR कोड स्कैन करके त्वरित और आसान भुगतान की सुविधा।

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI):

- NPCI एक प्रमुख संगठन है जो भारत में विभिन्न भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन करता है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारतीय बैंक संघ (IBA) द्वारा देश भर में भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरह के लेन-देन के लिए एक मजबूत और कुशल भुगतान बुनियादी ढांचे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- NPCI को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 (पूर्व में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25) के तहत ('लाभ के लिए नहीं') कंपनी के रूप में शामिल किया गया है।
  - **मुख्य उद्देश्य:** भारत की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना, जिससे खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिक सुगम, अधिक सुरक्षित और कुशल हो सके।
  - **नवाचार:** NPCI खुदरा भुगतान क्षेत्र में नवीन समाधान लाने पर ध्यान केंद्रित करता है, भुगतान को अधिक सुलभ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाता है।

पिछले 10 वर्षों में 16.35 लाख करोड़ के एनपीए राइट-ऑफ

संदर्भ:

लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) ने पिछले एक दशक में 16.35 लाख करोड़ के खराब ऋणों (Bad Loans) को माफ (Write-Off) किया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (एनपीए):

- गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (Non&Performing Assets - NPAs) वे ऋण या अग्रिम होते हैं जिनके लिए मूलधन (Principal) या ब्याज (Interest) का भुगतान 90 दिनों या उससे अधिक समय तक लंबित रहता है। जब कोई ग्राहक, चाहे खुदरा (Retail) हो या कॉर्पोरेट (Corporate), निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋण चुकाने में विफल रहता है, तो वह बैंक के लिए आय (Revenue) उत्पन्न करना बंद कर देता है और एनपीए की श्रेणी में आ जाता है।
- एनपीए बैंकों के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, क्योंकि वे ब्याज अर्जित करना बंद कर देते हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर वित्तीय दबाव बढ़ता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनपीए को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है:
  - **संदिग्ध परिसंपत्तियां (Substandard Assets):** वे ऋण जो 12 महीने या उससे कम समय से एनपीए हैं।
  - **संदेहास्पद परिसंपत्तियां (Doubtful Assets):** वे ऋण जो 12 महीने से अधिक समय तक संदिग्ध श्रेणी में रहे हैं।
  - **घाटे वाली परिसंपत्तियां (Loss Assets):** ऐसे ऋण जिनकी वसूली की संभावना बहुत कम होती है, हालांकि कुछ मामलों में आंशिक रूप से धन वापस आ सकता है।

खराब ऋणों की माफी (Write-Off) के विषय में:

- जब कोई बैंक किसी ऋण को राइट-ऑफ करता है, तो इसका अर्थ यह होता है कि बैंक उस ऋण को अपनी संपत्तियों (Assets) की सूची से हटा देता है, क्योंकि उसकी वसूली की संभावना बेहद कम होती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता की देनदारी समाप्त हो जाती है। बैंक अब भी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण की वसूली जारी रख सकते हैं।

क्षेत्रों का हिस्सा:

- संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, बट्टे खाते में डाले गए (Write-Off) ऋणों का बड़ा हिस्सा बड़े उद्योगों और सेवा क्षेत्रों में केंद्रित था। इस अवधि के दौरान, कुल खराब ऋणों में से लगभग 9.26 लाख करोड़ अकेले इन क्षेत्रों से संबंधित थे।
- यह प्रक्रिया पिछले एक दशक से जारी है, जिसमें हर वर्ष बड़ी मात्रा में ऋणों को हटाने (Write-Off) की प्रवृत्ति दिखाई देती है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्र लगातार बढ़ते गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) के प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।

खराब ऋणों के राइट-ऑफ का निहितार्थ:

- खराब ऋणों को राइट-ऑफ (Write-Off) करने का मतलब यह नहीं है कि उधारकर्ता की देनदारी खत्म हो जाती है। यह एक प्रक्रिया है, जिसे तब अपनाया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार किसी ऋण का पूरा प्रावधान (Full Provisioning) किया जा चुका हो। RBI के दिशा-निर्देश बताते हैं कि जो ऋण काफी समय (आमतौर पर चार साल) से गैर-निष्पादित हैं और जिनका पूरा प्रावधान किया गया है, उन्हें राइट-ऑफ किया जा सकता है।
- हालांकि, बैंक कानूनी माध्यमों से वसूली के प्रयास जारी रखते हैं। इसके लिए वे दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) जैसे तंत्रों के जरिए बकाया राशि की वसूली करते हैं। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इन प्रयासों

के बावजूद वसूली की दर बहुत कम रही है।

आलोचना और चिंताएँ:

- 16.35 लाख करोड़ के खराब ऋणों को राइट-ऑफ किए जाने से विपक्ष और विशेषज्ञों में चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का आकार खराब शासन, अक्षमता और कॉर्पोरेट डिफॉल्टरों को जिम्मेदार ठहराने में जवाबदेही की कमी को दर्शाता है।
- इसके अलावा, वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि यदि बिना प्रभावी वसूली तंत्र के इतना बड़ा कर्ज माफ किया जाता है, तो इससे बड़ी कंपनियों के बीच वित्तीय अनुशासनहीनता (Financial Indiscipline) को बढ़ावा मिल सकता है।

वेतनभोगी वर्गों की आय में स्थिरता

संदर्भ:

भारत के रोजगार परिदृश्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, जहां वेतनभोगी वर्ग की आय स्थिर बनी हुई है। हाल के आंकड़ों के अनुसार, वास्तविक मजदूरी (Real Wages) 2019 की जून तिमाही की तुलना में 2024 की जून तिमाही में 1.7% कम थी। 2020 में मामूली वृद्धि के बाद, 2021 में मजदूरी में 6% और 2022 में 1% की गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले कुछ वर्षों में मजदूरी में ठहराव की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

वास्तविक मजदूरी:

- वास्तविक मजदूरी से तात्पर्य मुद्रास्फीति (Inflation) के लिए समायोजित वेतन से है। यह किसी व्यक्ति की कमाई की वास्तविक क्रय शक्ति को इंगित करता है, अर्थात मुद्रास्फीति के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए, उनकी आय से वह कितनी वस्तु और सेवाएं खरीद सकते हैं।
- यह समझने में मदद करता है कि क्या आय वृद्धि जीवन की बढ़ती लागत के साथ तालमेल बिठा रही है।

वेतनभोगी नौकरियों में वेतन के स्थिरता के कारण:

- **श्रम की अधिक आपूर्ति:** उपलब्ध उच्च वेतन वाली नौकरियों की तुलना में नौकरी चाहने वालों की संख्या अधिक है। इससे रोजगार दर में वृद्धि तो हुई है, लेकिन वेतन वृद्धि सीमित रही है।
- **उच्च शिक्षा में घटता रिटर्न:** कई शिक्षित कर्मचारी अपनी नौकरियों के लिए अति-योग्य हैं। इससे कौशल और वेतन के बीच असंगति बनी रहती है।
- **कौशल अंतराल (Skill Gap):** कई उद्योगों में आवश्यक कौशल की कमी के कारण श्रमिक उच्च वेतन की माँग नहीं कर सकते। इससे वेतन वृद्धि बाधित होती है।
- **मांग में कमी:** निजी क्षेत्र के निवेश में गिरावट से वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग प्रभावित हुई है। इससे नए रोजगार के अवसरों में कमी आई है और वेतन वृद्धि ठप हो गई है।

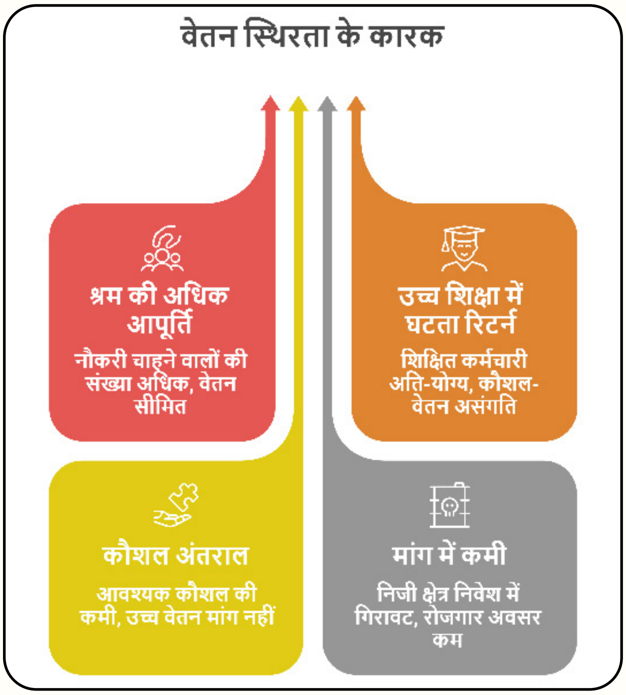

अस्थायी श्रम और स्व-नियोजित श्रमिकों पर प्रभाव:

- **अस्थायी श्रम (Casual Labour):**
  - » वेतनभोगी कर्मचारियों के विपरीत, अस्थायी श्रमिकों के वेतन में वास्तविक वृद्धि देखी गई है। जून 2024 में, अस्थायी श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी 2019 की तुलना में 12.3% अधिक थी।
  - » ग्रामीण क्षेत्रों में वेतन वृद्धि अधिक रही, लेकिन अस्थायी श्रम अत्यधिक असुरक्षित और अनियमित होता है।
- **स्व-नियोजित श्रमिक (Self-Employed Workers):**
  - » महामारी के बाद स्व-नियोजित व्यक्तियों के वेतन में सुधार हुआ, लेकिन जून 2024 में वास्तविक मजदूरी अभी भी 2019 की तुलना में 1.5% कम थी।
  - » स्व-नियोजित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, विशेषकर अवैतनिक (Unpaid) श्रमिकों के रूप में, जो श्रम बाजार में संकट को दर्शाता है।

संभावित समाधान:

वेतन वृद्धि को पुनर्जीवित करने और आय स्थिरता में सुधार के लिए विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:

- **कौशल विकास (Skill Development):** सभी स्तरों पर बेहतर कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिक आधुनिक नौकरी बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
- **अर्थव्यवस्था में निवेश (Investment in Economy):** निजी क्षेत्र के निवेश में वृद्धि से वेतनभोगी कर्मचारियों की मांग बढ़ेगी। इससे रोजगार सृजन (Job Creation) को बढ़ावा मिलेगा।
- **नीतिगत समर्थन (Policy Support):** कर नीति (Tax Policy) में सुधार और सरकारी हस्तक्षेप से खपत और मांग को बढ़ावा

दिया जा सकता है। इससे आर्थिक वृद्धि और वेतन में सुधार संभव होगा।

सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित पेंशन योजना

संदर्भः

पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) के संचालन की घोषणा की है, जो सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। यह योजना 1 अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली है, जिसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत नए भर्ती और मौजूदा कर्मचारियों दोनों के नामांकन के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा है।

एकीकृत पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएंः

- एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) 25 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा के अधीन, सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन सुनिश्चित करती है।
- यह एनपीएस के तहत पहले से ही कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए 24 जनवरी, 2025 को सरकार की अधिसूचना का अनुसरण करता है।
- **यह योजना निम्नलिखित पर लागू होगीः**
  - » 1 अप्रैल, 2025 तक एनपीएस के अंतर्गत आने वाले मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी।
  - » 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।

निश्चित पेंशन बनाम बाजार रिटर्न से जुड़ा भुगतानः

- यूपीएस सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के आधार पर एक निश्चित पेंशन प्रदान करता है, जो एनपीएस के तहत बाजार रिटर्न से जुड़े भुगतान के विपरीत है।
- यह निश्चित पेंशन सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचने वाले कर्मचारियों, खासकर 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को स्थिरता और आश्वासन प्रदान करती है।
- हालाँकि, लाभ निष्कासन, बर्खास्तगी या इस्तीफे के मामलों में लागू नहीं होंगे, जैसा कि पीएफआरडीए अधिसूचना में बताया गया है।

पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बदलावः

- एकीकृत पेंशन योजना (UPS) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का एक विकल्प है, जिसे 1 जनवरी, 2004 को शुरू किया गया था। पुरानी पेंशन योजना (OPS) के विपरीत, जिसमें पेंशन के रूप में अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% तय किया गया था, नई UPS अंशदायी है।
- कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देंगे, जबकि केंद्र सरकार 18.5% योगदान देगी।
- भुगतान मुख्य रूप से सरकारी ऋण और स्थिर प्रतिभूतियों में निवेश किए गए कोष से मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगा।

सरकारी कर्मचारियों पर प्रभावः

- 23 लाख सरकारी कर्मचारी अब यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के पात्र हैं, नई योजना लचीलापन प्रदान करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेवानिवृत्ति के करीब हैं या जो पहले से ही एनपीएस में नामांकित हैं।
- एनपीएस के तहत अनिश्चित बाजार-आधारित रिटर्न की तुलना में यूपीएस एक निश्चित पेंशन के साथ अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।

श्रम प्रवासन से दक्षिणी राज्यों में बढ़ती मुद्रास्फीति

संदर्भः

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा किए गए एक अध्ययन में दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में श्रम प्रवासन के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्ययन के अनुसार, निम्न-आय वाले राज्यों से उच्च-आय वाले राज्यों में प्रवासन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में मुद्रास्फीति और बढ़ रही है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्षः

- **क्षेत्रीय मुद्रास्फीति प्रवृत्तियाँः** अध्ययन के अनुसार दक्षिणी राज्यों, विशेष रूप से केरल और तमिलनाडु में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति दर दर्ज की गयी है। इसके विपरीत, पूर्वोत्तर और पश्चिमी राज्यों में अपेक्षाकृत कम मुद्रास्फीति देखी गई है।
- **श्रम प्रवास का प्रभावः** इस मुद्रास्फीति प्रवृत्ति के पीछे प्राथमिक चालकों में से एक निम्न आय वाले राज्यों से आर्थिक रूप से समृद्ध दक्षिणी राज्यों में श्रमिकों का प्रवास है। प्रवासियों की बढ़ती संख्या आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की माँग को बढ़ाती है, जिससे कीमतें बढ़ जाती हैं।
- **उच्च क्रय शक्तिः** अध्ययन में यह भी बताया गया है कि दक्षिणी राज्यों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) में वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विकास और प्रवासन के कारण संभव हुआ है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने और मजदूरी दर में वृद्धि से वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में उछाल आता है।
- **कराधान और नीतिः** अध्ययन में कराधान को भी एक योगदान कारक के रूप में पहचाना गया है। पेट्रोल, डीजल, शराब और ऑटोमोबाइल और फ्लैट के लिए पंजीकरण शुल्क जैसी वस्तुओं पर उच्च कर इन राज्यों में मुद्रास्फीति को बढ़ा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं के लिए रोजमर्रा की वस्तुएँ अधिक महंगी हो रही हैं।

राज्यवार मुद्रास्फीति दर

- **केरल:** फरवरी में केरल ने 7.3% की उच्चतम मुद्रास्फीति दर दर्ज की, जो राज्य में जीवन यापन की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। प्रवासी मजदूरों पर राज्य की भारी निर्भरता ने मुद्रास्फीति के दबाव को और बढ़ा दिया है।
- **तमिलनाडु:** तमिलनाडु ने पिछले 13 वर्षों में से 9 वर्षों में राष्ट्रीय औसत से अधिक मुद्रास्फीति दर का सामना किया है। यह प्रवृत्ति राज्य में श्रम प्रवाह (Labour Influx) जैसे संरचनात्मक आर्थिक कारकों (Structural Economic Factors) के कारण बनी हुई है, जो निरंतर मुद्रास्फीति दबाव का प्रमुख कारण है।

मुद्रास्फीति क्या है?

- मुद्रास्फीति का तात्पर्य क्रय शक्ति के क्रमिक ह्रास से है, जिसके परिणामस्वरूप समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। क्रय शक्ति में इस गिरावट का अर्थ है कि प्रत्येक मुद्रा इकाई से पहले की तुलना में कम वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
- मुद्रास्फीति दर की गणना एक वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की एक चयनित टोकरी की कीमत वृद्धि के औसत से की जाती है। यह दर यह मापने में मदद करती है कि पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है।
  - » **उच्च मुद्रास्फीति:** जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, जिससे मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है।
  - » **कम मुद्रास्फीति:** जब कीमतें धीमी गति से बढ़ती हैं, जिससे क्रय शक्ति पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3)

संदर्भ:

भारत ने सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3) लॉन्च किया है, जो शहरों के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक बहु-राष्ट्र गठबंधन है।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी–3) के विषय में:

- सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन (सी-3) का उद्देश्य नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास भागीदारों के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता के लिए स्थायी समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है।
- सी-3 के लॉन्च की घोषणा केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में की।

सी–3 के मुख्य उद्देश्य:

- **शहरों के मध्य सहयोग:** सतत शहरी विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं, ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।
- **ज्ञान-साझाकरण:** नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास भागीदारों को अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता में ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** स्थायी शहरी विकास और संसाधन दक्षता पहलों का समर्थन करने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

सर्कुलरिटी के लिए शहरों का गठबंधन का महत्व:

- सी-3 का शुभारंभ भारत के सतत विकास को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास है। शहरों के मध्य सहयोग, ज्ञान-साझाकरण और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करके, सी-3 का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी और संसाधन-कुशल शहरों के विकास का समर्थन करना है।

क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम:

- क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम, 2009 में लॉन्च किया गया, एशिया-प्रशांत क्षेत्र में स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन दक्षता और सर्कुलर अर्थव्यवस्था सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है। इसका उद्देश्य तेज आर्थिक विकास, संसाधनों की कमी और बढ़ते अपशिष्ट उत्पादन से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करना है।
- हनोई 3आर घोषणा (2013-2023) मंच द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण विकास था, जिसमें क्षेत्र में अधिक संसाधन-कुशल और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए 33 स्वैच्छिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार की गई थी। ये लक्ष्य राष्ट्रों के लिए स्थिरता प्रयासों को बढ़ाने के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करते हैं।

डिजिटल समावेशन की दिशा में भारत की स्थिति

सन्दर्भ:

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) और प्रोसस सेंटर फॉर इंटरनेट एंड डिजिटल इकोनॉमी (CIDE) की रिपोर्ट ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में उल्लेखनीय अंतर को उजागर किया है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन 'उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था' (User Economy) के मामले में यह 28वें स्थान पर है। उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है 'आम नागरिकों द्वारा डिजिटल सेवाओं को अपनाना और इन सेवाओं पर किया जाने वाला खर्च'। यह देश के समग्र डिजिटल बुनियादी ढांचे और औसत नागरिक के लिए इसकी पहुँच के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को

उजागर करता है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **डिजिटलीकरण में असमानता:**
  - » भारत ने समग्र रूप से उच्च स्तर का डिजिटलीकरण प्राप्त किया है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर उपयोगकर्ताओं के बीच डिजिटल अपनाने की दर अपेक्षाकृत कम है।
  - » भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी का घनत्व और कई देशों के समान स्तर पर है, लेकिन डिजिटल सेवाओं पर उपभोक्ता खर्च अपेक्षाकृत कम है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास:**
  - » भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, समग्र अर्थव्यवस्था की दर से दोगुनी दर से बढ़ रही है।
  - » 2029 तक, डिजिटल क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में पाँचवाँ हिस्सा योगदान करने का अनुमान है।
  - » ये निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ICRIER द्वारा किए गए पूर्ववर्ती अध्ययन के अनुरूप हैं, जो भारत में डिजिटल क्षेत्र के तेजी से विस्तार की पुष्टि करते हैं।
- **चिप्स फ्रेमवर्क और भारत की रैंकिंग:**
  - » इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति का आकलन करने के लिए चिप्स फ्रेमवर्क का उपयोग किया गया है, जो कनेक्टिविटी की गुणवत्ता, सामर्थ्य, डेटा उपयोग की तीव्रता, फिनटेक विकास, एआई तत्परता और हरित ऊर्जा में निवेश जैसे कारकों का विश्लेषण करता है।
  - » इन मापदंडों (metrics) के आधार पर भारत की रैंकिंग निम्नलिखित है:
    - ➢ समग्र आर्थिक आकार में- तीसरा स्थान
    - ➢ उपयोगकर्ता अर्थव्यवस्था में- 28वाँ स्थान
    - ➢ इन सभी संकेतकों की संयुक्त रैंकिंग में-आठवाँ स्थान
- **4. डिजिटल दोहन और क्षेत्रीय असमानताएँ:** भारत ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसके पीछे कारण है:
  - » सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) सेवा निर्यात के मामले में भारत एक प्रमुख देश है और दुनिया के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल है।
  - » भारत का आईटी उद्योग संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार पूंजीकरण वाला क्षेत्र है।
- हालांकि, डिजिटलीकरण की प्रगति सभी क्षेत्रों में समान नहीं है:
  - » दक्षिणी और पश्चिमी राज्य डिजिटल अपनाने में अग्रणी हैं।
  - » वहीं, पूर्वी और उत्तरी राज्य इस मामले में पिछड़े हुए हैं, जो डिजिटल पहुँच और उपयोग में गहरी क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ:

- भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (Innovation Ecosystem) उसकी एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसे एक सक्रिय स्टार्ट-अप संस्कृति, विकेंद्रीकृत वित्तीय तंत्र और उच्च-मूल्य वाले यूनिकॉर्न उद्यमों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में अब भी महत्वपूर्ण सुधार की आवश्यकता है:
  - » भारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मेटावर्स एप्लीकेशन्स को अपनाने के मामले में अन्य अग्रणी देशों से पीछे है।
  - » साथ ही, भारत का एआई (AI) बुनियादी ढाँचा और अनुसंधान एवं नवाचार आउटपुट G32 देशों के औसत स्तर से नीचे है।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन

संदर्भ:

गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन में असम को 5.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश प्रतिबद्धताएँ प्राप्त हुई। यह निवेश मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन, डिजिटल तकनीक, बुनियादी ढाँचा और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। इस सम्मेलन से यह स्पष्ट होता है कि निवेशकों का असम की क्षमता और संभावनाओं में भरोसा लगातार बढ़ रहा है।

मुख्य अवसंरचनात्मक घोषणाएँ:

सरकार ने कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का अनावरण किया है। इन परियोजनाओं में शामिल हैं:

- **रेलवे परियोजनाएँ:**
  - » गुवाहाटी में एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन का निर्माण।
  - » अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 50 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण।
  - » माल ढुलाई को बढ़ाने के लिए नए गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों का विकास।
- **दूरसंचार क्षेत्र:** गुवाहाटी विश्वविद्यालय में 5G लैब सहित दूरसंचार कनेक्टिविटी में 1,800 करोड़ का निवेश।
- **हाइड्रोकार्बन क्षेत्र:** तेल अन्वेषण और विकास के लिए 85,000 करोड़ का निवेश।

शिखर सम्मेलन का रणनीतिक महत्व:

- एडवांटेज असम 2.0 एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर में असम को एक व्यापार-अनुकूल केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह शिखर सम्मेलन न केवल निवेश हासिल करने के बारे में था, बल्कि सतत विकास और रोजगार सृजन पर चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के बारे में भी था।
- इस सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधियों, निजी उद्यमों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया, जिससे यह एक महत्वपूर्ण मंच बन गया जहां विभिन्न हितधारकों ने एक साथ मिलकर असम के विकास के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।
- शिखर सम्मेलन ने हाइड्रोकार्बन, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी और पर्यटन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में असम के रणनीतिक महत्व को

रेखांकित किया। इसके अतिरिक्त, यह सम्मेलन दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में असम की भूमिका को मजबूत करने के बारे में भी था।

असम आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में:

- **रणनीतिक स्थान:** पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में, असम में महत्वपूर्ण व्यापार और कनेक्टिविटी लाभ हैं।
- **समृद्ध प्राकृतिक संसाधन:** राज्य अपने चाय बागानों और पेट्रोलियम भंडारों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसके आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- **आर्थिक विविधीकरण:** असम कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, पर्यटन और आईटी को बढ़ावा देकर अपने आर्थिक आधार का विस्तार कर रहा है।
- **मजबूत आर्थिक विकास:** वित्त वर्ष 2023 में, असम के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 19.5% की वृद्धि हुई, जो मजबूत आर्थिक परिवर्तन को दर्शाता है।
- **उच्च-मूल्य निवेश:** जगीरोड में टाटा द्वारा $3.3 बिलियन की आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट (OSAT) परियोजना जैसी प्रमुख परियोजनाएँ राज्य की बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने की क्षमता को उजागर करती हैं।

एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन ने असम के तेज औद्योगिकीकरण के लिए मंच तैयार किया है, जिसे पर्याप्त निवेश और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं द्वारा समर्थित किया गया है। राज्य सरकार और उद्योग जगत के नेताओं के सहयोगात्मक प्रयासों से, राज्य निरंतर आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और बेहतर जीवन स्तर के लिए अच्छी स्थिति में है।

समुद्री क्षेत्र में नवाचार के लिए नई पहलें

संदर्भ:

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री क्षेत्र को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई नई पहलों की शुरुआत की। इनका उद्देश्य समुद्री अवसंरचना को आधुनिक बनाना, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी बढ़ाना और समुद्री क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है।

शुरू की गई प्रमुख पहलें:

- **'एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया' (ONOP):**
  - इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों की प्रक्रियाओं और संचालन को एक समान (Standardize) बनाना है, ताकि दस्तावेजीकरण में जटिलताएं और प्रक्रियागत अंतर को खत्म किया जा सके।
  - यह अक्षमताओं को कम करने के साथ-साथ लॉजिस्टिक्स लागत और अनावश्यक देरी को भी घटाएगी।
  - प्रक्रियाओं के मानकीकरण से भारतीय बंदरगाहों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता मजबूत होगी, जिससे निर्यात बढ़ेगा और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार होगा।
- **लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स (एलपीपीआई):**
  - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉरमेंस इंडेक्स भारतीय बंदरगाहों की प्रदर्शन दक्षता को मापने और निरंतर ट्रैक करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
  - इस इंडेक्स के तहत कार्गो हैंडलिंग दक्षता, टर्नअराउंड टाइम, बर्थ निष्क्रिय समय और कंटेनर डवेल टाइम जैसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (Key Performance Indicators -KPIs) के आधार पर बंदरगाहों का मूल्यांकन किया जाएगा।
  - यह प्रमुख और गैर-प्रमुख दोनों प्रकार के बंदरगाहों के प्रदर्शन का तुलनात्मक विश्लेषण करेगा, जिससे सुधार की संभावनाओं की पहचान की जा सकेगी और संचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।
  - भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के लिए 'सागर आंकलन' दिशानिर्देश सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होंगे।
- **भारत पोर्ट्स ग्लोबल कंसोर्टियम:**
  - भारत द्वारा अपने वैश्विक व्यापार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम की शुरुआत की गई है। यह पहल बंदरगाहों के विस्तार, संचालन और वित्तपोषण पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य भारत की वैश्विक समुद्री पहुंच को मजबूत करना और वैश्विक व्यापार में उसकी लचीलता बढ़ाना है।
  - इस कंसोर्टियम में इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (IPGL), SDCL (वित्तीय सहयोग) और इंडियन पोर्ट रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IPRCL) जैसे प्रमुख हितधारकों की भागीदारी है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारत के बंदरगाह अवसंरचना को आधुनिक बनाना है, जिससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिले और भारतीय निर्यात को वैश्विक बाजार में बढ़ावा दिया जा सके।
- **मैत्री (MAITRI - Master Application for International Trade and Regulatory Interface)**
  - भारत के समुद्री क्षेत्र में एक और उल्लेखनीय पहल के रूप में मैत्री का लोगो लॉन्च किया गया है।
  - यह पहल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ब्लॉकचेन जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार की गई है।
  - मैत्री पहल, भारत और यूएई के बीच भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) के हिस्से के रूप में एक वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर (VTC) स्थापित करने में मदद करेगी। भविष्य में इसका विस्तार आसियान और बिम्सटेक देशों तक करने की भी योजना है।

इन पहलों के साथ, भारत का समुद्री क्षेत्र व्यापक बदलाव

की ओर बढ़ रहा है। मानकीकृत बंदरगाह संचालन, बेहतर प्रदर्शन मूल्यांकन, वैश्विक व्यापार सहयोग और डिजिटल एकीकरण जैसी रणनीतियाँ भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेंगी। इस बदलाव का पूरा लाभ उठाने के लिए, मजबूत समन्वय, निरंतर निवेश और समर्थक नीतियों (Enabling Policies) की आवश्यकता होगी। ये सभी कदम मिलकर वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका को और मजबूत करेंगे और आर्थिक विकास को गति देंगे।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली

संदर्भः

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली शुरू की है, जो एक अभूतपूर्व पहल है जिसका उद्देश्य मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से सीधे खेत से वास्तविक समय में फसल बोआई की जानकारी एकत्र करना है। यह अभिनव प्रणाली प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए फसल क्षेत्रों की सटीक और अद्यतित जानकारी सुनिश्चित करती है, जो सटीक उत्पादन अनुमानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ:

- **वास्तविक समय डेटा संग्रहः** DCS प्रणाली कृषि क्षेत्रों से डेटा के प्रत्यक्ष और वास्तविक समय संग्रह को सक्षम बनाती है। यह प्रक्रिया न केवल डेटा संग्रह की दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि करती है, बल्कि त्रुटियों की संभावना को भी काफी हद तक कम करती है।
- **एग्री स्टैकः** डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के अनुपालन में निर्मित एग्री स्टैक एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह कड़े डेटा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए किसानों के डेटा की पूर्ण गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- **किसान-केंद्रित दृष्टिकोणः** यह प्रणाली किसानों को उनके डेटा पर नियंत्रण रखने का अधिकार देती है। डेटा, सिर्फ अधिकृत संस्थाओं के साथ और स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्यों के लिए ही साझा किया जाता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास सुनिश्चित होता है।
- **संघीय संरचनाः** DCS प्रणाली की संघीय संरचना राज्यों को उनके डेटा पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति देती है। यह मॉडल केंद्रीय निगरानी को सक्षम बनाते हुए भी राज्य स्तर पर गोपनीयता और प्रभावी शासन को बढ़ावा देता है।
- **मजबूत साइबर सुरक्षा उपायः** डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए DCS प्रणाली में एन्क्रिप्शन, सुरक्षित API और टोकन-आधारित प्रमाणीकरण जैसे उन्नत उपाय अपनाए गए हैं। यह सभी प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) के दिशानिर्देशों के अनुरूप होती हैं।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) सिस्टम के लाभः

- **बेहतर फसल क्षेत्र अनुमानः** यह प्रणाली सीधे खेतों से वास्तविक समय में सटीक डेटा एकत्र करती है, जिससे फसल क्षेत्रों का अनुमान लगाना आसान हो जाता है। यह कृषि नीतियों और योजनाओं के लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है।
- **किसानों को अधिक सहायताः** यह प्रणाली न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) आधारित खरीद, फसल बीमा और फसल ऋण जैसी सेवाओं को आसानी से उपलब्ध कराती है। इससे किसानों को समय पर और सही मदद मिलती है।
- **बढ़ी हुई दक्षताः** डेटा संग्रहण की प्रक्रिया को डिजिटल और स्वचालित करने से गलतियों की संभावना कम होती है और कृषि क्षेत्र में काम करने की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार होता है।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- **पहुँच में एकरूपताः** डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सभी राज्यों में इसे समान रूप से लागू किया जाए। वर्तमान में, कुछ राज्य पूरी तरह से इस प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए हैं, जबकि अन्य राज्य अपने कार्यान्वयन में पिछड़ रहे हैं।
- **तकनीकी मुद्देः** ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की कमी और उपग्रह इमेजिंग की सटीकता में भिन्नता जैसी समस्याएँ डेटा संग्रहण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती हैं।
- **डिजिटल साक्षरता की कमीः** किसानों और क्षेत्र अधिकारियों में डिजिटल उपकरणों के उपयोग की सीमित समझ एक बड़ी चुनौती है। इस समस्या के समाधान के लिए, डिजिटल फसल सर्वेक्षण प्रणाली के उपयोग के संबंध में व्यापक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया जाना चाहिए, ताकि डेटा संग्रह की सटीकता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

डिजिटल फसल सर्वेक्षण (DCS) प्रणाली भारतीय कृषि में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है। यह प्रणाली सही डेटा एकत्र कर, किसान सहायता में सुधार कर और डिजिटल तकनीक का लाभ देकर पारदर्शिता और कुशलता को बढ़ावा देती है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना में संशोधन

संदर्भः

भारत सरकार ने 26 मार्च, 2025 से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस) के तहत मध्यम अवधि (5-7 वर्ष) और दीर्घकालिक (12-15 वर्ष) सरकारी जमा (एमएलटीजीडी) को बंद करने की घोषणा की है। यह निर्णय योजना के प्रदर्शन और उभरती बाजार स्थितियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया है।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना की पृष्ठभूमिः

- 2015 में शुरू की गई जीएमएस का उद्देश्य दीर्घावधि में सोने के

आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और देश में परिवारों और संस्थानों द्वारा रखे गए सोने को उत्पादक उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाने हेतु सुविधा प्रदान करना था।

- इस योजना ने व्यक्तियों और संस्थाओं को बैंकों में सोना जमा करने की अनुमति दी, जिससे निर्दिष्ट अवधि में ब्याज अर्जित किया जा सके।

योजना की संरचना:

- जीएमएस ने तीन जमा अवधि की पेशकश की:
  - » अल्पकालिक बैंक जमा (एसटीबीडी): 1-3 वर्ष
  - » मध्यम अवधि सरकारी जमा (एमटीजीडी): 5-7 वर्ष
  - » दीर्घकालिक सरकारी जमा (एलटीजीडी): 12-15 वर्ष
- जबकि बैंकों ने मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर एसटीबीडी के लिए ब्याज दरें निर्धारित कीं, सरकार ने एमटीजीडी और एलटीजीडी के लिए क्रमशः 2.25% और 2.5% प्रति वर्ष की निश्चित ब्याज दरें निर्धारित कीं।

बंद करने के कारण:

- वित्त मंत्रालय ने योजना के प्रदर्शन और बदलते बाजार की गतिशीलता को मध्यम और दीर्घकालिक जमा घटकों को बंद करने के प्राथमिक कारणों के रूप में बताया। उल्लेखनीय रूप से, इस वर्ष भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण सोने की कीमतों में 15% से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे योजना की व्यवहार्यता प्रभावित हुई है।

जमाकर्ताओं के लिए निहितार्थ:

- 26 मार्च, 2025 से पहले एमटीजीडी और एलटीजीडी श्रेणियों के तहत किए गए जमा उनकी संबंधित परिपक्वता तक जारी रहेंगे। हालाँकि, प्रभावी तिथि के बाद इन श्रेणियों के तहत कोई नई जमा राशि स्वीकार नहीं की जाएगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से परिचालन संबंधी पहलुओं को संबोधित करने और मौजूदा जमाकर्ताओं के लिए एक सहज संक्रमण सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी करने की उम्मीद है।

अल्पकालिक जमाओं की निरंतरता:

- अल्पकालिक बैंक जमा बैंकों के निर्णय पर निर्भर करेगा, जहां वे अपनी व्यावसायिक रणनीति और लाभप्रदता के आधार पर इसे जारी रख सकते हैं। यह जमाकर्ताओं को कम अवधि के लिए अपने सोने पर ब्याज कमाने का अवसर देता है, जबकि ब्याज दरें बाजार की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार तय की जाएंगी।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के मध्यम और दीर्घकालिक घटकों को बंद करना मौजूदा आर्थिक स्थितियों और बाजार रुझानों के प्रति अनुकूलनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस निर्णय का उद्देश्य सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़े जोखिमों को कम करना और भविष्य में सरकारी दायित्वों को सीमित करना है। साथ ही, यह नीति निर्माण में वित्तीय योजनाओं के नियमित मूल्यांकन की आवश्यकता को रेखांकित करता है ताकि उनकी प्रभावशीलता बनी रहे और वे राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के अनुरूप रहें।

भारत की अर्थव्यवस्था में एक दशक में उल्लेखनीय वृद्धि

संदर्भ:

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत ने पिछले एक दशक में अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को लगभग दोगुना करते हुए 105% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि भारत की आर्थिक नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि को दर्शाती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि की मुख्य विशेषताएं:

- **सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि:** भारत की GDP 2015 में $2.1 ट्रिलियन से बढ़कर 2025 में अनुमानित $4.3 ट्रिलियन हो गई है, जो 105% की वृद्धि को दर्शाता है। इस तेज विस्तार ने प्रतिशत वृद्धि के मामले में सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया है।
- **वैश्विक रैंकिंग:** अब तक, भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ($30.3 ट्रिलियन), चीन ($19.5 ट्रिलियन), जर्मनी ($4.9 ट्रिलियन) और जापान ($4.4 ट्रिलियन) से पीछे है।

अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक वृद्धि:

- पिछले एक दशक में अन्य प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में तुलनात्मक रूप से धीमी वृद्धि देखी गई:
  - » संयुक्त राज्य अमेरिका – 66% वृद्धि
  - » चीन – 44% वृद्धि
  - » यूनाइटेड किंगडम – 28% वृद्धि
  - » फ्रांस – 38% वृद्धि
  - » रूस – 57% वृद्धि
  - » ऑस्ट्रेलिया – 58% वृद्धि
  - » स्पेन – 50% वृद्धि
- भारत की आर्थिक वृद्धि कई प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कहीं अधिक तेज रही है, जो देश के तीव्र गति से हो रहे आर्थिक परिवर्तन और उसकी वैश्विक आर्थिक प्रभावशीलता को उजागर करती है।

भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कारक:

- भारत की उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने में कई कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:
  - » **साहसिक आर्थिक सुधार:** भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार लागू किए हैं। माल और सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन, कॉर्पोरेट कर में कटौती, और व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार जैसे कदमों ने देश को घरेलू और विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।
  - » **संरचनात्मक सुधार और निवेश:** भारत ने बुनियादी ढाँचे, प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण

सुधार किए हैं। सरकार द्वारा डिजिटल बुनियादी ढांचे, राजमार्गों और रेलवे में किए गए भारी निवेश से औद्योगिक उत्पादन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स को मजबूती मिली है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को गति मिली है।

» **विनिर्माण और नवाचार:** 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसी नीतियों ने घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया है, जिससे रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। साथ ही, नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास ने भी भारत की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

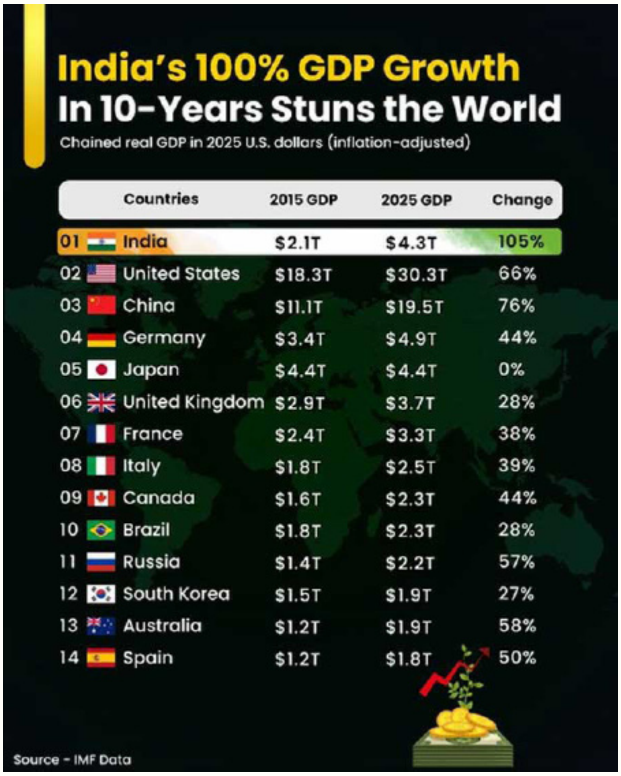

India's 100% GDP Growth In 10-Years Stuns the World

Chained real GDP in 2025 U.S. dollars (inflation-adjusted)

	Countries	2015 GDP	2025 GDP	Change
01	India	$2.1T	$4.3T	105%
02	United States	$18.3T	$30.3T	66%
03	China	$11.1T	$19.5T	76%
04	Germany	$3.4T	$4.9T	44%
05	Japan	$4.4T	$4.4T	0%
06	United Kingdom	$2.9T	$3.7T	28%
07	France	$2.4T	$3.3T	38%
08	Italy	$1.8T	$2.5T	39%
09	Canada	$1.6T	$2.3T	44%
10	Brazil	$1.8T	$2.3T	28%
11	Russia	$1.4T	$2.2T	57%
12	South Korea	$1.5T	$1.9T	27%
13	Australia	$1.2T	$1.9T	58%
14	Spain	$1.2T	$1.8T	50%

Source - IMF Data

भविष्य की संभावनाएँ:

- **वैश्विक आर्थिक प्रभाव:** सुधारों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता, औद्योगिक उत्पादकता में वृद्धि और प्रौद्योगिकी व नवाचार में सतत प्रगति के कारण इसकी आर्थिक वृद्धि दीर्घकालिक रूप से मजबूत रहने की संभावना है।
- **जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ना:** भारत की तेज आर्थिक वृद्धि को देखते हुए, अनुमान है कि भारत 2027 तक जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

पिछले दशक में भारत की 105% GDP वृद्धि देश की मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था, प्रभावी नीति-निर्माण और रणनीतिक सुधारों का प्रमाण है। भारत का दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना केवल एक सांख्यिकीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाता है। जैसे-जैसे भारत अपनी ऊर्ध्वगामी विकास यात्रा जारी रखेगा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर नवाचार, निवेश और विकास के नए अवसर प्रदान करेगा।

चीन से आयात होने वाले 5 उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क

सन्दर्भः

भारत ने घरेलू उद्योगों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने के लिए चीन से आयात होने वाले पाँच उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया है। यह फैसला वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा "व्यापार उपचार महानिदेशालय (DGTR)" की सिफारिश पर लिया गया है।

एंटी-डंपिंग शुल्क क्या होते हैं?

- एंटी-डंपिंग शुल्क उन उपायों में से एक है जो किसी देश के उद्योगों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। डंपिंग तब होती है जब कोई देश किसी उत्पाद को उसकी वास्तविक कीमत से कम दाम में या उत्पादन लागत से भी सस्ते में दूसरे देश को निर्यात करता है जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान होता है, क्योंकि इससे उनकी कीमतें कम हो जाएंगी और उनके लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के तहत, सदस्य देश अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए डंपिंग के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगा सकते हैं ताकि स्थानीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

वह उत्पाद जिन पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया:

- **एल्यूमिनियम फॉयल:** इस पर 873 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का अस्थायी शुल्क छह महीने के लिए लगाया गया है।
- **सॉफ्ट फेराइट कोर:** यह इलेक्ट्रिक वाहनों, चार्जर और टेलीकॉम डिवाइस में इस्तेमाल होते हैं। इन पर CIF (लागत, बीमा और सामान ढुलाई) मूल्य का 35% तक शुल्क लगाया गया है।
- **वैक्यूम इंसुलेटेड फ्लास्क:** इसके आयात पर 1,732 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का शुल्क लगाया गया है।
- **ट्राइक्लोरो आइसोस्यान्यूरिक एसिड:** पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इस रसायन पर 276 से 986 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है।
- **पॉली विनाइल क्लोराइड पेस्ट रेजिन:** चीन के अलावा, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नॉर्वे, ताइवान और थाईलैंड से आने वाले इस उत्पाद पर 89 से 707 अमेरिकी डॉलर प्रति टन तक का शुल्क लगाया गया है।

भारत द्वारा शुल्क लगाने का कारण:

- भारत सरकार ने यह शुल्क घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के लिए लगाए हैं। DGTR की जांच में यह पाया गया कि चीन से आने वाले ये उत्पाद बहुत कम कीमतों पर बेचे जा रहे थे, जिससे भारतीय निर्माताओं को भारी नुकसान हो रहा था।

- ऐसे में, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने और स्थानीय उद्योगों को दीर्घकालिक व्यवहार्यता (Long-term viability) सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग का उपाय आवश्यक है।

एंटी-डंपिंग शुल्क कैसे काम करता है?

- सामान्य शुल्क की तुलना में, एंटी-डंपिंग शुल्क एक विशेष सुरक्षा उपाय है, जो किसी देश के बाजार को कुछ शर्तों के तहत डंपिंग के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देता है।
- GATT (सामान्य शुल्क और व्यापार समझौता) के तहत देशों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जरूरत पड़ने पर ऐसे शुल्क लगा सकते हैं।

क्या एंटी-डंपिंग शुल्क WTO नियमों का उल्लंघन करता है?

- एंटी-डंपिंग शुल्क WTO के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। इसके विपरीत, WTO स्वयं यह अनुमति देता है कि यदि कोई देश डंपिंग से प्रभावित हो रहा है, तो वह उचित जांच के बाद ऐसे शुल्क लगा सकता है।
- हालांकि, यह शुल्क तभी लागू किए जा सकते हैं जब यह साबित हो जाए कि घरेलू उद्योगों को नुकसान हुआ है और सभी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन किया गया है।

भारत द्वारा चीन से आने वाले उत्पादों पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश में निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और घरेलू उद्योगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इस फैसले से भारत की यह नीति स्पष्ट होती है कि वह चीन के साथ संतुलित और निष्पक्ष व्यापार संबंध बनाए रखना चाहता है, साथ ही अपने आर्थिक हितों की रक्षा भी करना चाहता है।

जैव-अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व वृद्धि

संदर्भ:

जारी 'भारत जैव-अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2025' (IBER 2025) के अनुसार, भारत की जैव-अर्थव्यवस्था ने पिछले दशक में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। 2014 में 10 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 में यह 165.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गई, जो 16 गुना वृद्धि को दर्शाती है। यह प्रगति भारत की वैश्विक जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उभरती हुई स्थिति को रेखांकित करती है, जहाँ अब इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 4.25% योगदान है।

बायोसारथी का शुभारंभ:

- इसी क्रम में, बायोसारथी नामक एक अभिनव वैश्विक मेंटरशिप पहल शुरू की गई, जिसका उद्देश्य बायोटेक स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करना है।
- यह पहल उभरते उद्यमियों को दुनिया भर के अनुभवी मेंटर्स से जोड़कर उन्हें मूल्यवान मार्गदर्शन और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता करेगी, जिससे जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा।

जैव अर्थव्यवस्था के विषय में:

- जैव-अर्थव्यवस्था उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जिसमें वस्तुओं, सेवाओं और ऊर्जा के उत्पादन के लिए जैव प्रौद्योगिकी और बायोमास का उपयोग किया जाता है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रगति, विशेष रूप से आनुवंशिकी और जैव प्रौद्योगिकी से गहराई से जुड़ी हुई है।
- इसमें कृषि, स्वास्थ्य, रसायन और ऊर्जा जैसे उद्योग शामिल हैं, जहाँ उत्पादन के लिए फसलों, जंगलों, मछलियों, जानवरों और सूक्ष्मजीवों जैसे जैविक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

जैव अर्थव्यवस्था के चालक:

- अपनी आर्थिक रणनीति के केंद्रीय स्तंभ के रूप में जैव प्रौद्योगिकी के प्रति भारत की प्रतिबद्धता इस परिवर्तन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है।
- इस क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में 17.9% की प्रभावशाली चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल की है, जिसने भारत को वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक उभरते हुए देश के रूप में स्थापित किया है। सरकार की सक्रिय नीतियों, बुनियादी ढांचे में निवेश और अनुसंधान और विकास पर जोर ने इस तीव्र विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है।

बायो-ई3 नीति:

- बायो-ई3 नीति का पूरा नाम 'अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव-प्रौद्योगिकी' (Biotechnology for Economy] Employment - Environment & Bio-E3) है। यह नीति भारत सरकार द्वारा जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को गति देने के लिए शुरू की गई एक व्यापक रणनीति है।
- इस नीति के तहत, बायो-एआई हब, बायो फाउंड्री और

बायो-एनेबलर हब जैसी पहलों की स्थापना की जाएगी, ताकि बायोमैन्युफैक्चरिंग के साथ उन्नत तकनीकों को एकीकृत किया जा सके। असम इस नीति को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है, जो अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

जैव प्रौद्योगिकी क्या है?

- जैव-प्रौद्योगिकी (Biotechnology) जीव विज्ञान और तकनीक के संयोजन से नए उत्पादों, विधियों और जीवों के विकास की प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और समाज में सुधार लाना है। जैव-प्रौद्योगिकी जैव-अर्थव्यवस्था (Bioeconomy) का एक अभिन्न हिस्सा है।
- भारत में जैव प्रौद्योगिकी ने नेफिथ्रोमाइसिन के विकास जैसे अभूतपूर्व नवाचारों को जन्म दिया है, जो श्वसन रोगों के लिए भारत का पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक है और हीमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी के सफल परीक्षण हैं।
- इसके अतिरिक्त, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और इसरो (ISRO) के बीच सहयोग से अंतरिक्ष जीव विज्ञान और अंतरिक्ष चिकित्सा की नींव रखी जा रही है। यह पहल अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए चिकित्सा समाधान विकसित करने में सहायक होगी।

जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के बारे में:

- BIRAC भारत सरकार द्वारा स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है, जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है।
- यह जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा संचालित एक इंटरफेस एजेंसी के रूप में कार्य करती है, जिसका उद्देश्य भारत में उभरते जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग को सहायता प्रदान करना है।
- BIRAC निम्नलिखित प्रमुख कार्य करता है:
    - » जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रणनीतिक अनुसंधान, नवाचार और किफायती उत्पाद विकास को बढ़ावा देना।
    - » जैव-प्रौद्योगिकी नवाचारों को वाणिज्यिक रूप देने के लिए सिंगल-विंडो सुविधा प्रदान करना।

भारत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है और नवाचार, अनुसंधान व आर्थिक विकास के क्षेत्र में अग्रणी बनते हुए वैश्विक स्तर पर एक मजबूत शक्ति (Powerhouse) बनने की दिशा में अग्रसर है।

भारत में गरीबी उन्मूलन में प्रगति: एक विश्लेषणात्मक अवलोकन

विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 "पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ" में यह बताया गया है कि भारत ने पिछले एक दशक में गरीबी कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें 17.1 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। यह उपलब्धि समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है और लक्षित सरकारी नीतियों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक सुधारों के प्रभाव को रेखांकित करती है जो करोड़ों लोगों को ऊपर उठाने के लिए लागू की गईं। रिपोर्ट 2011–12 और 2022–23 की उपभोग सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है और यह मौद्रिक व बहुआयामी गरीबी संकेतकों में सुधार का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

मुख्य निष्कर्ष:

- विश्व बैंक की रिपोर्ट भारत की गरीबी उन्मूलन यात्रा को उल्लेखनीय बताती है, जिसमें अत्यधिक गरीबी 2011–12 के 16.2 प्रतिशत से घटकर 2022–23 में केवल 2.3 प्रतिशत रह गई है। वैश्विक मानक के अनुसार अत्यधिक गरीबी की परिभाषा प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन है, इस लिहाज से यह गिरावट विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट यह भी दर्शाती है कि भारत ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गरीबी को सफलतापूर्वक कम किया है, जिससे देश की उपलब्धियों की समग्र तस्वीर सामने आती है।

ग्रामीण और शहरी गरीबी के रुझान:

- भारत की सफलता की कहानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फैली हुई है:
  - **ग्रामीण क्षेत्र:** अत्यधिक गरीबी 2011–12 में 18.4% से घटकर 2022–23 में 2.8% हो गई।
  - **शहरी क्षेत्र:** इसी अवधि में अत्यधिक गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई।
- इसके अतिरिक्त, ग्रामीण-शहरी गरीबी अंतर भी उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है—2011–12 में 7.7 प्रतिशत अंकों से घटकर 2022–23 में 1.7 प्रतिशत अंक रह गया, जो 16% वार्षिक गिरावट को दर्शाता है। यह कमी विभिन्न जनसांख्यिकीय परिवेशों में गरीबी उन्मूलन रणनीतियों की प्रभावशीलता को दिखाती है।

निम्न-मध्यम-आय स्तर पर गरीबी में कमी:

- निम्न-मध्यम-आय सीमा (प्रति दिन 3.65 अमेरिकी डॉलर) पर भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई है:
- गरीबी दर 2011–12 में 61.8% से घटकर 2022–23 में 28.1% हो गई।
- लगभग 37.8 करोड़ लोग इस आय स्तर पर गरीबी से बाहर निकले।
  - **ग्रामीण क्षेत्र में:** गरीबी दर 69% से घटकर 32.5% हो गई।
  - **शहरी क्षेत्र में:** गरीबी दर 43.5% से घटकर 17.2% रह गई।
- इस स्तर पर ग्रामीण-शहरी अंतर 25 प्रतिशत अंकों से घटकर 15 प्रतिशत अंक रह गया, और 2011–12 से 2022–23 के बीच 7% की वार्षिक गिरावट देखी गई।

राज्य स्तर पर गरीबी उन्मूलन में योगदान:

- कुछ प्रमुख राज्यों ने भारत की गरीबी उन्मूलन में बड़ी भूमिका निभाई:
  - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने 2011–12 में भारत के 65% अत्यंत गरीब लोगों को शामिल किया था।
  - इन्हीं पांच राज्यों ने 2022–23 तक अत्यधिक गरीबी में कुल कमी के दो-तिहाई हिस्से में योगदान दिया।
- यह क्षेत्रीय लक्षित रणनीतियों के प्रभाव और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ समन्वयित राज्य-स्तरीय पहलों के महत्व को दर्शाता है।

बहुआयामी गरीबी में कमी:

- भारत की प्रगति केवल मौद्रिक आय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) में भी परिलक्षित होती है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर जैसे संकेतक शामिल हैं:
  - एमपीआई आधारित गैर-मौद्रिक गरीबी 2005–06 में 53.8% से घटकर 2019–21 में 16.4% हो गई।
  - 2022–23 में यह आंकड़ा और घटकर 15.5% हो गया, जो समग्र कल्याण में लगातार सुधार का संकेत है।
- इस प्रकार की बहुआयामी प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आय वृद्धि नहीं बल्कि व्यापक और सतत मानव विकास को दर्शाती है।

आय विषमता के रुझान:

- भारत ने आय वितरण में भी सुधार दर्ज किया है, जो गिनी सूचकांक में परिलक्षित होता है:

   » गिनी सूचकांक (खपत आधारित) 2011–12 में 28.8 से घटकर 2022–23 में 25.5 हो गया।

- यह गिरावट आय विषमता में एक मामूली किंतु महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है, जो बताता है कि आर्थिक लाभ पहले की तुलना में अधिक समान रूप से वितरित हुए हैं।

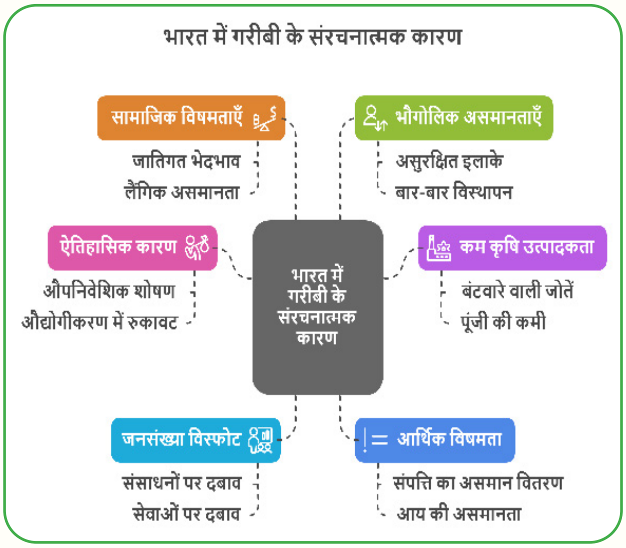

रोज़गार वृद्धि और बदलते कार्यबल के स्वरूप:

- 2021-22 से रोजगार वृद्धि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या वृद्धि से अधिक रही है।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.6% हो गई, जो 2017–18 के बाद सबसे कम है।
- कार्यबल में बदलाव यह दर्शाते हैं कि 2018-19 के बाद से पुरुष श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, जो शहरी अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को दर्शाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की रोजगार भागीदारी में वृद्धि देखी गई है, जो इस क्षेत्र की निरंतर प्रासंगिकता को दर्शाती है।

- **महत्वपूर्ण शब्दावली**
- **संपूर्ण गरीबी (Absolute Poverty):** सामाजिक संदर्भ की परवाह किए बिना बुनियादी आवश्यकताओं की गंभीर कमी।
- **आपेक्षिक गरीबी (Relative Poverty):** समाज में प्रचलित जीवन स्तर के सापेक्ष मापी गई गरीबी।
- **गरीबी दर / प्रचलन / हेडकाउंट अनुपात:** जनसंख्या का वह प्रतिशत जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है।
- **गरीबी की तीव्रता (Intensity of Poverty):** गरीबों में व्याप्त अभाव की गंभीरता को मापता है।
- **बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI):** एक वैश्विक सूचकांक जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में अभाव को मापता है।

- ग्रामीण श्रमिकों और महिलाओं के बीच स्वरोजगार में वृद्धि देखी गई है, जिसने आर्थिक लचीलापन और भागीदारी को बढ़ाया है।

भारत में गरीबी आकलन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य:

- स्वतंत्रता से पहले, दादाभाई नौरोजी (Poverty and the Un-British Rule in India), राष्ट्रीय योजना समिति (1938), और बॉम्बे प्लान (1944) ने गरीबी को समझने की आधारशिला रखी।
- स्वतंत्रता के बाद, योजना आयोग (1962), वी.एम. दांडेकर और एन. राठ (1971), आलघ समिति (1979), और लकड़वाला समिति (1993) ने गरीबी मापने की पद्धतियों के विकास में योगदान दिया।
- 2000 के बाद, तेंदुलकर समिति (2009) ने कई पद्धतिगत बदलाव किए, जैसे कैलोरी आधारित मानकों से हटकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एक समान ऑल-इंडिया पावर्टी लाइन बास्केट (PLB) की सिफारिश, और यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड (URP) की जगह मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड (MRP) का उपयोग।
- रंगराजन समिति (2014), जो तेंदुलकर पद्धति की आलोचना के बाद गठित की गई थी, ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग PLB की सिफारिश की, ताकि गरीबी के अधिक सटीक आकलन हो सकें, हालांकि इसकी सिफारिशों को औपचारिक रूप से सरकार ने स्वीकार नहीं किया।

भारत में गरीबी के पीछे संरचनात्मक कारण:

- **ऐतिहासिक कारण:** औपनिवेशिक शोषण के कारण स्थानीय उद्योग नष्ट हो गए, औद्योगीकरण रुका और संपत्ति का भारी ह्रास हुआ। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को कच्चा माल आपूर्ति करने वाला और तैयार माल का आयातक बना दिया, जिससे किसान और कारीगर गरीब होते चले गए।
- **कम कृषि उत्पादकता:** बंटवारे वाली जोतें, पूंजी की कमी और पारंपरिक कृषि पद्धतियों ने उपज को सीमित कर दिया, जिससे किसानों की आय प्रभावित हुई।
- **जनसंख्या विस्फोट:** तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या ने संसाधनों और सेवाओं पर दबाव डाला है। भारत की जनसंख्या 2060 के दशक की शुरुआत में 1.7 अरब के शिखर पर पहुँचने की संभावना है और यह पूरे शताब्दी तक सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा (यूएनडेसा)।
- **आर्थिक विषमता:** राष्ट्रीय संपत्ति का 77% हिस्सा शीर्ष 10% जनसंख्या के पास केंद्रित है (ऑक्सफैम)।
- **सामाजिक विषमताएँ:** जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानताएँ शिक्षा, रोजगार और संसाधनों तक पहुँच को सीमित करती हैं। उदाहरण के लिए, 53% भारतीय महिलाएँ देखभाल संबंधी

ज़िम्मेदारियों के कारण श्रमबल से बाहर हैं (आईएलओ)।

- **भौगोलिक असमानताएँ:** घने जंगल, पहाड़ी क्षेत्र और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जैसे असुरक्षित इलाके—जैसे असम और बिहार—बार-बार विस्थापन के कारण पूर्ण गरीबी में फँसे रहते हैं।

भारत में कोयला उत्पादन की ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन (BT) से अधिक कोयला उत्पादन कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। 20 मार्च 2025 तक कुल 1.04 बिलियन टन कोयला उत्पादित हुआ, जो पिछले वित्त वर्ष के 997.83 मिलियन टन (MT) के आंकड़े से 11 दिन पहले पूरा हो गया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि कोयला क्षेत्र भारत की ऊर्जा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि कोयला भारत की ऊर्जा आपूर्ति में 55% और कुल विद्युत् उत्पादन में 74% से अधिक का योगदान देता है। दुनिया में पांचवें सबसे बड़े कोयला भंडार और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में, भारत ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू कोयला उत्पादन को रणनीतिक रूप से बढ़ाया है।

कोयला उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि:

- भारत का कोयला उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1.04 बिलियन टन तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.99% की वृद्धि है। इस वृद्धि का कारण निम्नलिखित हैं:
    - **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का योगदान:** वाणिज्यिक, कैप्टिव और अन्य निजी इकाइयों से कोयला उत्पादन में 28.11% की वृद्धि हुई, जो 154.16 MT से बढ़कर 197.50 MT (अनंतिम) हो गया।
    - **कोयला आपूर्ति (डिस्पैच):** कुल कोयला आपूर्ति 1 बिलियन टन को पार कर गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 1,024.99 MT (अनंतिम) रही, जबकि पिछले वर्ष यह 973.01 MT थी – यानी 5.34% की वृद्धि।
    - **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** वाणिज्यिक और कैप्टिव इकाइयों से कोयला आपूर्ति में 31.39% की वृद्धि हुई, जो 149.81 MT से बढ़कर 196.83 MT हो गई।
- कोयला आपूर्ति, यानी कोयले को विद्युत् संयंत्रों और औद्योगिक इकाइयों तक पहुँचाना, ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कोयला आयात में कमी और ऊर्जा सुरक्षा:

- भारत ने कोयला आयात में कमी लाकर ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है।
    - कोयला आयात अप्रैल-दिसंबर 2023 में 200.19 MT से घटकर 2024 की इसी अवधि में 183.42 MT हो गया, जिससे $5.43 बिलियन (₹42,315.7 करोड़) की विदेशी मुद्रा की बचत हुई।
    - गैर-नियंत्रित क्षेत्र (Non-Regulated Sector - NRS) में कोयला आयात में 12.01% की गिरावट आई, जबकि ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा मिश्रण हेतु कोयला आयात 29.8% घट गया, हालाँकि कोयला आधारित विद्युत् उत्पादन में 3.53% की वृद्धि दर्ज की गई।
    - वाणिज्यिक कोयला खनन और मिशन कोकिंग कोल जैसी पहलों से घरेलू उत्पादन में 6.11% की वृद्धि हुई, जिससे विदेशी कोयले पर निर्भरता और कम हुई।
- हालाँकि कोकिंग कोल और उच्च गुणवत्ता वाले थर्मल कोल का आयात अभी भी आवश्यक है, लेकिन सरकार की नीतियाँ घरेलू कोयला खनन के विस्तार पर केंद्रित हैं ताकि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत किया जा सके।

कोयला क्षेत्र का आर्थिक महत्व:

कोयला भारत की अर्थव्यवस्था की एक मजबूत आधारशिला है, जो राजस्व, रोजगार और औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

- **रेलवे और माल ढुलाई राजस्व में योगदान:**
    - कोयला रेलवे माल ढुलाई का सबसे बड़ा स्रोत है, जो कुल माल राजस्व का लगभग 49% हिस्सा है।
    - वित्त वर्ष 2022-23 में कोयला परिवहन से ₹82,275 करोड़ की आमदनी हुई, जो कुल रेलवे आय का 33% था।
- **सरकारी राजस्व में योगदान**
    - कोयला क्षेत्र केंद्र और राज्य सरकारों को हर साल ₹70,000 करोड़ से अधिक का राजस्व देता है, जिसमें रॉयल्टी, जीएसटी और अन्य कर शामिल हैं।
    - केवल कोयला उत्पादन से रॉयल्टी संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 में ₹23,184.86 करोड़ रहा, जिससे कोयला उत्पादक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को सहायता मिली।

- **रोजगार और कार्यबल विकास:**
  - » कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) में कोयला क्षेत्र 2,39,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार देता है, जबकि हजारों लोग ठेका खनन, परिवहन और संबंधित उद्योगों में कार्यरत हैं।
  - » पिछले पाँच वर्षों में औसतन ₹18,255 करोड़ वार्षिक पूंजीगत व्यय से अवसंरचना का विस्तार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है।
- **कोयला गैसीकरण: कोयले के सतत उपयोग की दिशा में एक कदम:**
  - » स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कोयला गैसीकरण को प्राथमिकता दी है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोयले को संश्लेषण गैस (सिंगैस) में बदला जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, सिंथेटिक नेचुरल गैस (SNG), उर्वरक और अमोनियम नाइट्रेट के उत्पादन में किया जा सकता है।

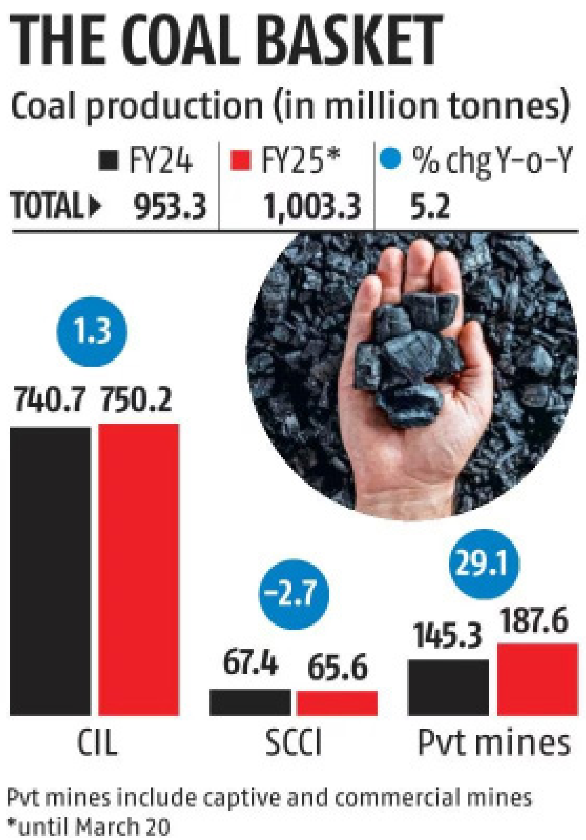

सरकार की प्रमुख पहलें:

- » **वित्तीय प्रोत्साहन:** 24 जनवरी 2024 को सरकार ने कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ₹8,500 करोड़ की मंजूरी दी।
- » **कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का निवेश:** CIL ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए भेल और गेल के साथ साझेदारी की है।
- » **गैसीकरण आधारित नीलामी की नई नीति:** 2022 में एनआरएस लिंकज नीति के तहत "सिंगैस उत्पादन" श्रेणी को शामिल किया गया।
- » **राजस्व हिस्सेदारी में छूट:** गैसीकरण परियोजनाओं में उपयोग किए जाने वाले कोयले पर 50% की छूट दी गई है, बशर्ते कुल उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण में प्रयोग हो।

- 2047 तक, कोयला गैसीकरण से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने और भारत की दीर्घकालिक सतत ऊर्जा विकास योजना को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

कोयला खदान सुरक्षा और तकनीकी प्रगति:

कोयला मंत्रालय ने खदान सुरक्षा, श्रमिक सुरक्षा और संचालन की दक्षता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।

- **सुरक्षा ऑडिट और नियामक ढांचा:**
  - » **वार्षिक सुरक्षा ऑडिट:** "सेफ्टी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट" दिशानिर्देशों के अंतर्गत आयोजित (दिसंबर 2023)।
  - » **राष्ट्रीय कोयला खदान सुरक्षा रिपोर्ट पोर्टल:** 17 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, जिसमें सुरक्षा ऑडिट मॉड्यूल शामिल हैं ताकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो सके।
- **उन्नत खनन प्रौद्योगिकियाँ:**
  - » **विस्फोट-रहित खनन तकनीकें:** निरंतर खनिक (Continuous Miner), पॉवर्ड सपोर्ट लॉन्गवॉल (PSLW), और हाइब्रिड हाई वॉल माइनिंग तकनीकों को अपनाया गया है ताकि दक्षता बढ़े और पर्यावरणीय खतरे कम हों।
  - » **रीयल-टाइम निगरानी:** भूमिगत खानों की वायु जांच के लिए ETMS और गैस क्रोमैटोग्राफ का उपयोग।
  - » **स्ट्रेटा कंट्रोल टेक्नोलॉजी:** संरचनात्मक स्थिरता के लिए यांत्रिक रूफ बोल्टिंग सिस्टम का उपयोग।
- **पर्यावरण और श्रमिक कल्याण उपाय**
  - » **स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधान:** खान नियम, 1955 के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक उपचार, कैंटीन और अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित की जाती हैं।
  - » **पर्यावरण निगरानी:** परियोजना स्वीकृति से पहले पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) किए जाते हैं।
  - » **कौशल विकास:** हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी (HEMM)

ऑपरेटरों के लिए सिम्युलेटर आधारित प्रशिक्षण और वर्चुअल रियलिटी (VR) मॉड्यूल पेश किए गए हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एकीकरण

संदर्भ:

वित्त मंत्रालय ने वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के माध्यम से "एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)" के सिद्धांत पर आधारित 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की घोषणा की है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) के बारे में:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में एक अध्यादेश के तहत की गई थी, जो ग्रामीण ऋण पर नरसिंहम समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। इसके बाद 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित हुआ, जिससे इनकी गतिविधियों को औपचारिक रूप मिला।
- ये बैंक भारतीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करते हैं। ये वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनकी लगभग 92% शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।
- इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, विशेषकर निम्नलिखित वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करके:
  - » लघु और सीमांत किसान
  - » कृषि श्रमिक
  - » कारीगर और छोटे उद्यमी

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्वामित्व संरचना:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी तीन प्रमुख भागीदारों के बीच इस अनुपात में वितरित होती है:
  - » 50% - केंद्र सरकार
  - » 35% - प्रायोजक या अनुसूचित बैंक
  - » 15% - राज्य सरकारें

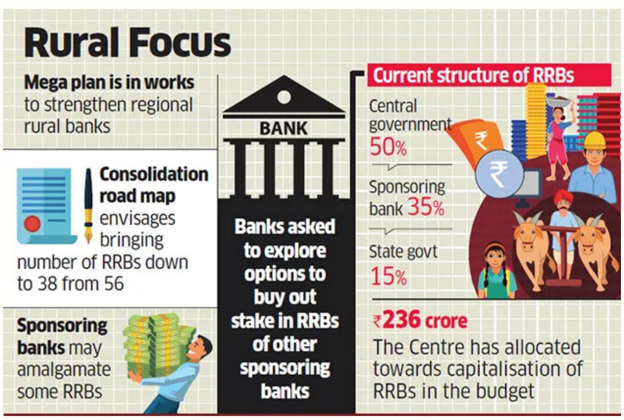

एकीकरण के प्रयास और चरण:

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया 2004-05 में डॉ. व्यास समिति (2001) की सिफारिशों के बाद शुरू हुई थी। यह कई चरणों में किया गया है:
  - » **पहला चरण (2006 – 2010):** RRBs की संख्या 196 से घटाकर 82 की गई।
  - » **दूसरा चरण (2013 – 2015):** संख्या 82 से घटाकर 56 की गई।
  - » **तीसरा चरण (2019 – 2021):** संख्या 56 से घटाकर 43 की गई।
  - » **चौथा चरण (2024):** हालिया चरण में 12 राज्यों के 26 RRBs का विलय करके संख्या 43 से घटाकर 28 कर दी गई।
- **वर्तमान एकीकरण चरण (2024):**
  - » वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) से परामर्श के बाद "एक राज्य, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक" मॉडल लागू किया है। इसका उद्देश्य है:
    - ➢ परिचालन लागत को कम करना
    - ➢ पूंजी पर्याप्तता बढ़ाना
    - ➢ बैंकिंग दक्षता में सुधार करना
  - » आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में, कई RRBs का एक संस्थान में एकीकरण किया जा रहा है ताकि बेहतर शासन और सेवा वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

एकीकरण का प्रभाव:

- एकीकरण के बाद अब 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचे हैं, जो 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं। ये बैंक 22,000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से 700 से अधिक जिलों में सेवाएँ प्रदान करेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित होगी।
  - » **बेहतर पैमाने की दक्षता:** बड़े RRBs संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे और उनकी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी।
  - » **लागत का युक्तिकरण:** प्रशासनिक खर्चों में कमी से लाभप्रदता बढ़ेगी।
  - » **प्रौद्योगिकीय उन्नति:** मजबूत बैंक डिजिटल बैंकिंग और आधुनिक वित्तीय सेवाओं में अधिक निवेश कर सकेंगे।
  - » **मजबूत वित्तीय समावेशन:** एकीकृत RRBs ग्रामीण आबादी को बेहतर ऋण और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम होंगे।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का यह संरचित एकीकरण भारत में ग्रामीण बैंकिंग को सशक्त बनाने की एक रणनीतिक पहल है। छोटे बैंकों

को मिलाकर उन्हें बड़े और अधिक कुशल संस्थानों में बदलने से सरकार का उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, बैंकिंग सेवाओं में सुधार करना और ग्रामीण आर्थिक विकास को सहयोग देना है।

केरल का धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र 'अत्यंत गरीबी से मुक्त' घोषित

सन्दर्भ:

केरल सरकार ने कन्नूर जिले के धर्मदाम विधानसभा क्षेत्र को राज्य का पहला अत्यंत गरीबी से मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह घोषणा पिनाराई गांव में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की गई, जो इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस अवसर पर केरल के मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि केरल को आगामी 1 नवम्बर 2025 (जो राज्य का स्थापना दिवस भी है) तक अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया जाएगा।

अत्यंत गरीबी:

- विश्व बैंक के अनुसार, अत्यंत गरीबी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 या उससे कम (2017 की क्रय शक्ति समता के अनुसार) में जीवन यापन करता है।
- यह गरीबी का सबसे गंभीर रूप है, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, सुरक्षित आवास, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा इत्यादि को भी पूरा करने में सक्षम नहीं होता है।
- इस स्थिति में रहने वाले लोगों को अक्सर भूख, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, शिक्षा और इलाज की सुविधा की कमी तथा अस्थायी या असुरक्षित आवास जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

केरल में अत्यंत गरीबी की स्थिति:

- केरल सरकार ने राज्य को अत्यंत गरीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगभग तीन वर्ष पहले एक विशेष अभियान शुरू किया था।
- इस अभियान के तहत 64,002 परिवारों की पहचान की गई, जो अत्यधिक कठिन और दयनीय परिस्थितियों में जीवन जी रहे थे।
- इन परिवारों को चार प्रमुख मानकों के आधार पर चिन्हित किया गया:
  - भोजन की उपलब्धता
  - स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच
  - पर्याप्त आय
  - उचित आवास की स्थिति
- इन जरूरतमंद परिवारों के उत्थान के लिए विभिन्न विभागों की सहायता से सूक्ष्म-स्तरीय कार्य योजनाएँ (Micro-level Action Plans) तैयार की गईं, ताकि उन्हें योजनाबद्ध और प्रभावी सहायता प्रदान की जा सके।

धर्मदाम क्षेत्र में स्थिति:

- धर्मदाम क्षेत्र में 196 परिवारों को अत्यंत गरीब की श्रेणी में पाया गया।
- इन सभी परिवारों को आवश्यक पहचान पत्र दिलवाए गए और उन्हें संबंधित कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया।

राज्य में प्रगति:

- जिन 64,002 परिवारों की पहचान की गई थी, उनमें से 44,000 से अधिक परिवारों को अब तक अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला जा चुका है। शेष परिवारों को भी आने वाले समय में इस स्थिति से बाहर लाने की योजना है।
- यह कार्य पूरे राज्य में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से घर-घर सर्वेक्षण करके किया गया। इस प्रक्रिया में केरल लोक प्रशासन संस्थान ने मूल्यांकन का ढांचा तैयार किया।
- नीति आयोग द्वारा 2021 में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (Multidimensional Poverty Index) के अनुसार, केरल ने पहले ही भारत में सबसे कम गरीबी दर (0.71%) दर्ज की थी।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा धन का कम उपयोग

संदर्भ:

परिवहन, पर्यटन और संस्कृति से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की हालिया रिपोर्ट में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा आवंटित धन के सही उपयोग न होने पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, यह समस्या भारत के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि में बाधा डाल रही है।

मुख्य निष्कर्ष:

- **धन के कम उपयोग की प्रवृत्ति:**
  - 2024-25 में पर्यटन मंत्रालय को ₹2,479.62 करोड़ आवंटित किए गए, लेकिन इसमें से केवल ₹396.82 करोड़ खर्च हुए।
  - 2023-24 में भी ₹2,400 करोड़ के आवंटन में से केवल 33.4% ही उपयोग हुआ।
  - यह निरंतर कम प्रदर्शन गंभीर अक्षमताओं का संकेत देता है, जिनमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है।
- **प्रशासनिक चुनौतियाँ:**

» रिपोर्ट में फंड के कम उपयोग के लिए देरी, प्रशासनिक समस्याओं और समन्वय की कमी को बताया गया है।
» इसके साथ ही जाँच समिति ने मंत्रालय की कार्यप्रणाली में गहरे स्तर की कमियों की ओर इशारा किया।

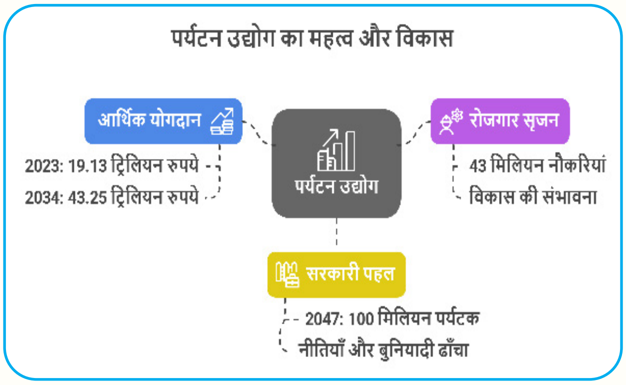

सुझाव:

- **एकीकृत डिजिटल परियोजना प्रबंधन प्रणाली (IDPMS):**
  » फंड के प्रबंधन और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए समिति ने एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म की सिफारिश की।
  » इस प्रणाली से परियोजनाओं की प्रगति को ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे प्रस्ताव से लेकर फंड जारी करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
  » इसमें रीयल-टाइम अपडेट और लंबित कार्यों के लिए स्वचालित अलर्ट की सुविधा होगी।
- **पर्यटन कार्यान्वयन रेटिंग प्रणाली (TIRS):**
  » राज्यों के पर्यटन परियोजनाओं को लागू करने के प्रदर्शन को मापने के लिए एक रेटिंग सिस्टम बनाने का सुझाव दिया गया।
  » राज्यों को उनकी कार्यक्षमता, फंड उपयोग और दस्तावेजी प्रक्रियाओं के आधार पर रैंक दिया जाएगा।
  » बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर फंडिंग और प्रक्रियागत छूट मिलेगी।

परिणाम:

- **भारत के पर्यटन क्षेत्र की वृद्धि:**
  » फंड के कम उपयोग से भारत के पर्यटन क्षेत्र को नुकसान हो रहा है।
  » सही तरीके से फंड का उपयोग करने से बुनियादी ढांचा विकसित होगा और भारत को एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।
- **राज्यों के लिए प्रोत्साहन:**
  » जिन राज्यों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, उन्हें नए पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए प्राथमिकता मिलेगी।
  » इसके साथ ही उन्हें प्रक्रियागत छूट और वार्षिक पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिए जाएंगे।

पर्यटन उद्योग का महत्व:

- पर्यटन, भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र है। 2023 में, इसने भारत की GDP में ₹19.13 ट्रिलियन का योगदान दिया, जो महामारी-पूर्व स्तर से अधिक था। इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र ने 43 मिलियन नौकरियां भी सृजित कीं। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 मिलियन विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना है, जिससे 2034 तक पर्यटन का GDP योगदान ₹43.25 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है।

सरकार की पहल:

- **विशेष पर्यटन:** सरकार द्वारा रोमांचक, वेलनेस और इको-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- **ई-वीजा और 24x7 हेल्पलाइन:** वीज़ा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और बहुभाषी हेल्पलाइन सहायता की व्यवस्था की गई है।
- **पर्यटन दीदी और मित्र पहल:** विदेशी पर्यटकों के लिए बेहतर आतिथ्य सेवाएं देने की विशेष पहल का आयोजन।

घरेलू पर्यटन:

- घरेलू पर्यटन में भी वृद्धि हो रही है। 2023 में 2.51 बिलियन से अधिक घरेलू यात्राएं दर्ज की गईं।
- 'देखो अपना देश' और 'उड़ान' जैसी योजनाओं से भारत के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल रहा है।

सिंचाई और जल प्रबंधन को आधुनिक बनाने की योजना को मंजूरी

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रादेशिक क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (M-CADWM) योजना को मंजूरी दी है। यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत एक उप-योजना के रूप में वर्ष 2025–2026 में प्रारंभ की जाएगी, जिसके लिए सरकार ने प्रारंभिक तौर पर ₹1,600 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

योजना की प्रमुख विशेषताएं:

- **सिंचाई तंत्र का आधुनिकीकरण:** इस योजना का उद्देश्य मौजूदा सिंचाई नेटवर्क, जैसे नहरों और अन्य जल स्रोतों को आधुनिक बनाना है, ताकि खेतों तक पानी की पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। यह माइक्रो-इरिगेशन प्रणाली को सशक्त करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करेगी और खेतों तक पानी की पहुँच को बेहतर बनाएगी।
- **तकनीक आधारित स्मार्ट जल प्रबंधन:** जल उपयोग दक्षता (Water Use Efficiency - WUE) बढ़ाने के लिए योजना में आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जैसे:
    - पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (Supervisory Control and Data Acquisition- SCADA)
    - इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)
- इन तकनीकों की मदद से जल की वास्तविक समय में निगरानी, जल लेखांकन और स्मार्ट सिंचाई संभव होगी। इससे किसान डेटा आधारित निर्णय लेने में सक्षम होंगे।
- **कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि:** सही समय और सटीक सिंचाई से फसल की उत्पादकता बढ़ेगी, जिससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और ग्रामीण जीवनस्तर में सुधार होगा।
- **स्थानीय भागीदारी द्वारा स्थायी प्रबंधन:** इस योजना के अंतर्गत इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफर (IMT) की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत सिंचाई व्यवस्थापन की ज़िम्मेदारी जल उपयोगकर्ता समितियों (WUS) को सौंपी जाएगी। ये समितियाँ:
    - सिंचाई प्रणाली का संचालन एवं रखरखाव करेंगी
    - अगले 5 वर्षों तक सरकार से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगी
    - किसान उत्पादक संगठन (FPOs) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) से जुड़कर स्थायी और सशक्त प्रबंधन सुनिश्चित करेंगी।
- **युवाओं की भागीदारी और कृषि में नवाचार:** इस योजना का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक सिंचाई तकनीकों और जल प्रबंधन के क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान कर कृषि क्षेत्र में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। इससे नवाचार और दक्षता आधारित कृषि मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यान्वयन और भविष्य की रूपरेखा:

- **पायलट चरण (2025–26):** योजना का प्रारंभिक क्रियान्वयन देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में स्थित 78 चयनित पायलट साइटों पर किया जाएगा। इस चरण में लगभग 80,000 किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।
- **राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार (अप्रैल 2026 से):** पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों और निष्कर्षों के आधार पर, सरकार अप्रैल 2026 से एक व्यापक राष्ट्रीय योजना शुरू करेगी, जिसे 16वें वित्त आयोग की अवधि के अनुरूप पूरे देश में लागू किया जाएगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना और जल के कुशल एवं टिकाऊ उपयोग को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का मूल मंत्र "हर खेत को पानी" है।
- **योजना के मुख्य उद्देश्य:**
    - किसानों को बेहतर और सुगम सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना।
    - अधिक से अधिक क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई के दायरे में लाना।
    - माइक्रो-इरिगेशन तकनीकों के माध्यम से जल उपयोग की दक्षता बढ़ाना।
    - जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण की तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

नए पंबन पुल का उद्घाटन

सन्दर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में बने नए पंबन पुल का उद्घाटन किया, जो भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में एक नया मील का पत्थर है। यह भारत का पहला वर्टिकल-लिफ्ट (ऊपर उठने वाला) समुद्री पुल है,

जो देश की उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताओं और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संरचना और इंजीनियरिंग विशेषताएँ

- यह पुल 2.07 किलोमीटर लंबा है और पाक जलडमरूमध्य के ऊपर से रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है।
- यह पुराने पंबन पुल का स्थान लेता है, जिसे 1914 में ब्रिटिश इंजीनियरों ने बनाया था। पुराना पुल रेल संपर्क के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन समुद्री वातावरण और बढ़ते यातायात के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा था।
- नया पुल पुराने पुल से तीन मीटर ऊँचा है, जिससे जहाजों को आसानी से गुजरने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है।
- इस पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा किया गया है, जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम है। इस परियोजना को 2019 में स्वीकृति मिली थी और इसका मुख्य उद्देश्य मजबूती, गति, भार सहन क्षमता और सुरक्षा था।
- इस पुल की खास बात इसका वर्टिकल-लिफ्ट सिस्टम है, जिससे पुल जरूरत पड़ने पर ऊपर उठाया जा सकता है। इससे समुद्री यातायात बाधित नहीं होता और रेल सेवा भी बनी रहती है।

आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व:

- इंजीनियरिंग की दृष्टि से शानदार होने के अलावा, नया पंबन पुल तीर्थयात्रियों, पर्यटकों और व्यापार के लिए एक जीवन रेखा है। इससे संपर्क बेहतर हुआ है और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- इसका वर्टिकल-लिफ्ट डिज़ाइन समुद्री गतिविधियों को प्रभावी बनाता है और पलक जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक क्षेत्र में वाणिज्यिक और रक्षा कार्यों में मदद करता है।

वैश्विक तुलना

- नया पंबन पुल विश्व के कुछ प्रसिद्ध पुलों की सूची में शामिल हो गया है, जैसे:
  - गोल्डन गेट ब्रिज (अमेरिका) – एक प्रसिद्ध सस्पेंशन ब्रिज।
  - टॉवर ब्रिज (लंदन) – एक बेसक्यूल और सस्पेंशन ब्रिज।
  - ओरेसंड ब्रिज (डेनमार्क-स्वीडन) – एक संयुक्त रेलवे और मोटरवे पुल।

नया पंबन पुल केवल एक बुनियादी ढांचा परियोजना नहीं है, बल्कि यह भारत की प्रगति, नवाचार और इंजीनियरिंग क्षमता का प्रतीक है। यह परियोजना आधुनिक तकनीक को ऐतिहासिक महत्व के साथ जोड़ती है और देश के भविष्य के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था की सोच को दर्शाती है। साथ ही, यह भारत की वैश्विक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मजबूती को भी दर्शाता है।

भारत में रबी फसल की प्रगति पर सीआरओपी (CROP) मूल्यांकन

संदर्भ:

भारत में कृषि निगरानी को मजबूत करने के लिए, इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) ने एक अर्ध-स्वचालित, स्केलेबल ढांचा विकसित किया है, जिसे कम्प्रिहेन्सिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस (CROP) कहा जाता है। यह ढांचा फसल की बुवाई, वृद्धि और कटाई का लगभग वास्तविक समय में मूल्यांकन करता है। वर्ष 2024–25 की रबी फसल के दौरान इसे गेहूं की खेती पर केंद्रित कर देशभर में लागू किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष:

- **गेहूं की बुवाई का क्षेत्रफल:**
  - 31 मार्च 2025 तक उपग्रह विश्लेषण के अनुसार गेहूं की बुवाई 330.8 लाख हेक्टेयर में हुई, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के 4 फरवरी 2025 तक के आंकड़े (324.4 लाख हेक्टेयर) के लगभग समान है। यह रिमोट सेंसिंग पद्धति की सटीकता की पुष्टि करता है।
- **फसल की स्थिति और मौसम का प्रभाव:**
  - **जनवरी 2025:** पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में समय पर बुवाई और स्वस्थ फसल वृद्धि के साथ स्थितियां स्थिर रहीं।
  - **फरवरी 2025:** तापमान में वृद्धि और वर्षा की कमी के कारण दाने बनने के समय गर्मी से नुकसान की संभावना बनी।
  - **मार्च 2025**: अनुकूल मौसम से फसल में सुधार हुआ और पकने की प्रक्रिया अच्छी तरह आगे बढ़ी। मार्च के अंत तक रबी फसलों ने मजबूती दिखाई, जिससे सकारात्मक अनुमान सामने आए।
- **कटाई की प्रगति:** कटाई दिसंबर 2024 में शुरू हुई और जनवरी, फरवरी, मार्च तथा अप्रैल 2025 के पहले सप्ताह तक धीरे-धीरे आगे बढ़ी, जो एक सफल कटाई अवधि को दर्शाता है।
- **अनुमानित गेहूं उत्पादन:** 31 मार्च 2025 तक उपग्रह डेटा और एकीकृत फसल सिमुलेशन मॉडल के आधार पर आठ प्रमुख राज्यों में गेहूं उत्पादन का अनुमान 122.7 मिलियन टन लगाया गया।

CROP के बारे में:

- CROP का उद्देश्य उपग्रह डेटा की मदद से गेहूं फसल की प्रगति की व्यवस्थित निगरानी करना है। इसे आठ प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में लागू किया गया:
  - उत्तर प्रदेश

- » मध्य प्रदेश
- » राजस्थान
- » पंजाब
- » हरियाणा
- » बिहार
- » गुजरात
- » महाराष्ट्र

कार्यप्रणाली:

- **उपग्रह-आधारित निगरानी:** CROP ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) उपग्रहों से प्राप्त बहु-स्रोत डेटा का एकीकरण करता है, जिनमें शामिल हैं:
  - » EOS-04 (RISAT-1A)
  - » EOS-06 (Oceansat-3)
  - » Resourcesat-2A
- इस संयोजन से बुवाई की प्रगति, वनस्पति की सेहत और सूखे की स्थिति का निरंतर आकलन संभव होता है।
- **वेजिटेशन हेल्थ इंडेक्स (VHI):** फसल की स्थिति और वनस्पति पर तनाव की निगरानी के लिए VHI का उपयोग किया जाता है। मासिक मूल्यांकन के माध्यम से गेहूं की वृद्धि को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारकों में बदलाव को समझा जाता है।
- **फसल वृद्धि सिमुलेशन:** 5 किमी × 5 किमी के स्थानिक रिज़ॉल्यूशन पर एक प्रायोगिक फसल वृद्धि मॉडल, उपग्रह डेटा (बुवाई क्षेत्र, बुवाई की तारीखें और फसल की स्थिति) को समाहित करके गेहूं की पैदावार का आकलन करता है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सटीक पूर्वानुमान मिलते हैं।

महत्त्व और भविष्य की संभावनाएं:

- CROP ढांचा कृषि निगरानी में कार्यान्वयन योग्य मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसके लाभ हैं:
  - » बुवाई और कटाई की वास्तविक समय में निगरानी
  - » सूखे और फसल स्वास्थ्य की निगरानी
  - » पैदावार आकलन की सटीकता में सुधार
- आगे और परिष्करण एवं स्वचालन के साथ यह ढांचा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर कृषि योजना और खाद्य सुरक्षा रणनीतियों को समर्थन दे सकता है।

इसरो का CROP ढांचा उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि निगरानी में नवाचार का उदाहरण है। वर्ष 2024–25 की रबी फसल के लिए इसकी सफल क्रियान्वयन इस प्रणाली को कृषि लचीलापन और नीति निर्माण में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में स्थापित करता है।

आरबीआई ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के नियमों में दी राहत

संदर्भ:

बैंकों पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना तरलता जोखिम प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) के तहत प्रस्तावित नियमों में ढील दी है। केंद्रीय बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार डिजिटल खुदरा जमा पर 2.5% का अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर लागू होगा, जबकि पहले यह दर 5% प्रस्तावित थी। ये नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे। हालांकि, पेमेंट बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लोकल एरिया बैंक इन नियमों के दायरे में नहीं आएंगे।

रन-ऑफ फैक्टर क्या होता है?

- रन-ऑफ फैक्टर वह प्रतिशत होता है, जो यह दर्शाता है कि किसी वित्तीय संकट की स्थिति में जमा राशि का कितना हिस्सा निकाला जा सकता है। नए नियम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और UPI जैसी डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से ग्राहक अपनी जमा राशि को बहुत तेजी से ट्रांसफर या निकाल सकते हैं, जिससे बैंकों पर तरलता (Liquidity) का दबाव बढ़ जाता है।

लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) क्या है?

- लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR) एक वैश्विक नियामक मानक है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक कम से कम 30 दिनों के वित्तीय संकट की स्थिति में अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ (High-Quality Liquid Assets - HQLA) अपने पास रखें।
- यह मानक 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा विकसित किया गया था। भारत में यह नियम 2019 से पूर्ण रूप से लागू है जो मुख्य रूप से बड़े वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है।

बैंकों के लिए राहत:

- RBI के नरम रुख से बैंकों को बड़ी राहत मिली है। पहले प्रस्तावित 5% अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर से बैंकों पर तरलता का दबाव बढ़ सकता था, लेकिन अब संशोधित नियमों ने स्थिति को संतुलित कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:
  - » स्थिर IMB (Internet/Mobile Banking)-सक्षम जमा पर अब 7.5% रन-ऑफ फैक्टर लागू होगा, जो पहले 5% था।

- » कम स्थिर IMB-सक्षम जमा पर अब 12.5% रन-ऑफ फैक्टर लागू होगा, जो पहले 10% था।
- ये बदलाव RBI की उस सोच को दर्शाते हैं, जिसमें वह वित्तीय स्थिरता और प्राकृतिक बैंकिंग व्यवहार के बीच संतुलन बनाए रखना चाहता है।

RBI दिशा-निर्देशों के अन्य प्रमुख बिंदु:

- गैर-वित्तीय संस्थाएं जैसे ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, LLP और अन्य संस्थागत निकायों से प्राप्त फंड पर अब 40% रन-ऑफ फैक्टर लागू होगा, जो पहले 100% था। यह बदलाव इस आधार पर किया गया है कि इन स्रोतों से निकासी का जोखिम मध्यम माना गया है।
- छोटे व्यवसायिक ग्राहक (Small Business Customers - SBCs) से प्राप्त बिना गारंटी वाला फंड अब खुदरा जमा की श्रेणी में माना जाएगा, और उन पर भी 2.5% का अतिरिक्त रन-ऑफ फैक्टर लागू होगा।
- लेवल 1 उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ (HQLA), जो मुख्यतः सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, अब उनके बाजार मूल्य पर मूल्यांकित की जाएंगी, जिसमें नियत "हेरकट (Haircuts)" घटाया जाएगा। यह बदलाव उन्हें LAF (Liquidity Adjustment Facility) और MSF (Marginal Standing Facility) के मूल्यांकन ढांचे के अनुरूप बनाएगा।

प्रभाव:

- भारत में अनुमानित रूप से ₹45–50 लाख करोड़ की उच्च गुणवत्ता वाली तरल संपत्तियाँ (HQLA) उपलब्ध हैं। नए LCR नियमों के चलते, बैंकों को लगभग ₹2.7–3 लाख करोड़ की अतिरिक्त ऋण योग्य राशि उपलब्ध हो सकती है। इससे 1.4–1.5% तक की अतिरिक्त क्रेडिट ग्रोथ संभव है, जो ऋण वितरण में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने में सहायक हो सकती है।

आईएमएफ का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक

सन्दर्भ:

अप्रैल 2025 में जारी आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.2 प्रतिशत और 2026 में 6.3 प्रतिशत से विकास दर रहने का अनुमान है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं अधिक तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है।

World Economic Outlook Growth Projections

(Real GDP, annual percent change)	ESTIMATE 2024	PROJECTIONS 2025	2026
World Output	3.2	3.3	3.3
Advanced Economies	1.7	1.9	1.8
United States	2.8	2.7	2.1
Euro Area	0.8	1.0	1.4
Germany	-0.2	0.3	1.1
France	1.1	0.8	1.1
Italy	0.6	0.7	0.9
Spain	3.1	2.3	1.8
Japan	-0.2	1.1	0.8
United Kingdom	0.9	1.6	1.5
Canada	1.3	2.0	2.0
Other Advanced Economies	2.0	2.1	2.3
Emerging Market and Developing Economies	4.2	4.2	4.3
Emerging and Developing Asia	5.2	5.1	5.1
China	4.8	4.6	4.5
India	6.5	6.5	6.5
Emerging and Developing Europe	3.2	2.2	2.4
Russia	3.8	1.4	1.2
Latin America and the Caribbean	2.4	2.5	2.7
Brazil	3.7	2.2	2.2
Mexico	1.8	1.4	2.0
Middle East and Central Asia	2.4	3.6	3.9
Saudi Arabia	1.4	3.3	4.1
Sub-Saharan Africa	3.8	4.2	4.2
Nigeria	3.1	3.2	3.0
South Africa	0.8	1.5	1.6
Memorandum			
Emerging Market and Middle-Income Economies	4.2	4.2	4.2
Low-Income Developing Countries	4.1	4.6	5.4

वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट:

- वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (WEO) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की एक प्रमुख रिपोर्ट है, जो वैश्विक आर्थिक रुझानों और नीतिगत चुनौतियों पर केंद्रित होती है। यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है, साथ ही समय-समय पर इसके अद्यतन भी जारी किए जाते हैं। इसमें विकसित, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए निकट और मध्य अवधि की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है।
- अप्रैल 2025 संस्करण के अनुसार, कई वर्षों तक एक के बाद कई चुनौतियों से निपटने के बाद, वैश्विक अर्थव्यवस्था अब "सावधानीपूर्ण स्थिरता" के चरण में प्रवेश कर चुकी है।
- हालांकि वैश्विक आर्थिक विकास की गति अब भी धीमी बनी हुई है और जनवरी 2025 के अद्यतन की तुलना में वैश्विक उत्पादन का अनुमान घटा है। इसका मुख्य कारण टैरिफ दरों में तेज़ बढ़ोतरी, नीतिगत अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में गिरावट है।
- वैश्विक मुद्रास्फीति में गिरावट की संभावना जताई गई है, लेकिन यह प्रक्रिया पहले की अपेक्षा धीमी रहने की संभावना है। साथ ही,

व्यापारिक तनाव और अस्थिर वित्तीय बाज़ार जैसे जोखिम अब भी वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर असर डाल रहे हैं।

भारत के लिए रिपोर्ट:

- भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है। आईएमएफ के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था का विस्तार मुख्य रूप से मजबूत निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चलते रहने की संभावना है।
- वैश्विक अनिश्चितता और धीमी आर्थिक वृद्धि के वातावरण में भारत की मजबूती विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो उसे वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख प्रेरक बल बनाती है। 2025 और 2026 में भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बने रहने का अनुमान है, जिससे वह वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपना वर्चस्व बनाए रखेगा।
- भारत की अर्थव्यवस्था के 2025 में 6.2 प्रतिशत और 2026 में 6.3 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो कई वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं अधिक है। आईएमएफ ने वैश्विक आर्थिक विकास दर 2025 के लिए 2.8 प्रतिशत और 2026 के लिए 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो भारत के असाधारण प्रदर्शन को और भी रेखांकित करता है।

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए रिपोर्ट:

- 2025 के लिए चीन की GDP वृद्धि का अनुमान घटकर 4 प्रतिशत हो गया है, जो जनवरी 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में 4.6 प्रतिशत होने की संभावना थी।
- इसी तरह, अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में भी 90 आधार अंकों की कमी की गई है और अब इसके 2025 में 1.8 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, जो मंदी के संकेत देता है।

आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, 2025 और 2026 के लिए भारत की आर्थिक संभावनाएं प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे सकारात्मक बनी हुई हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं और अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में विकास दर में गिरावट के बावजूद, भारत वैश्विक आर्थिक वृद्धि में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजबूत बुनियादी आर्थिक ढांचे और रणनीतिक सरकारी पहलों के बल पर भारत आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की स्थिति में है।